खण्ड-435, अंक-6
शनिवार, 23 वैशाख, शक संवत् 1922
(13 मई, 2000 ई0)

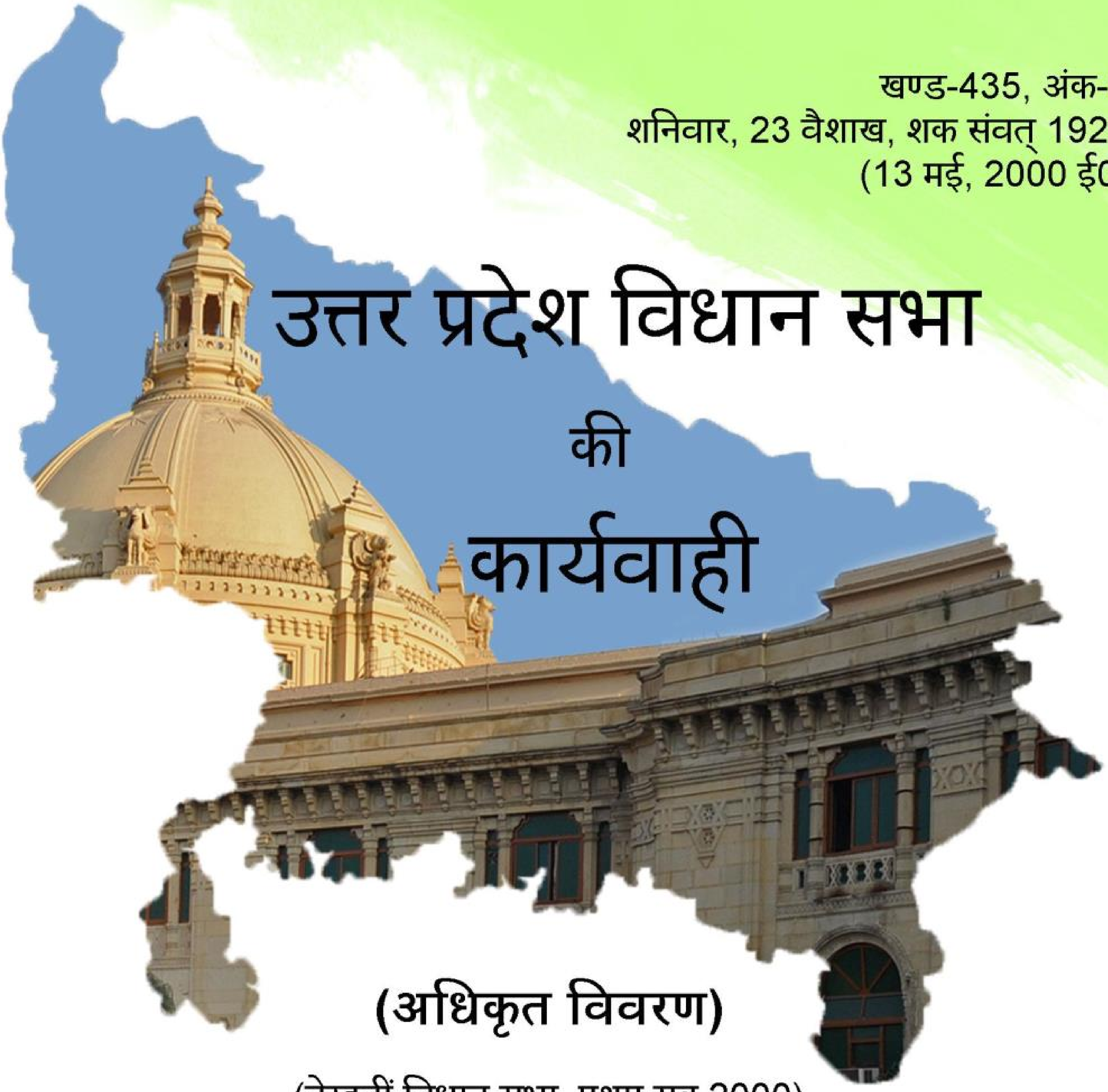

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
श्री जगदम्बिका पाल, स० वि० स० एवं उनके परिवार के साथ की गई कथित अभद्रता का प्रकरण उठाने का प्रयास	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1–2
बांदा नगर के बाबू लाल चौराहा से बबेरू रोड को मिलाने वाली सड़क की मरम्मत एवं लोहिया पुल के आस-पास व्याप्त गन्दगी की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
किसानों को गेहूं की मड़ाई हेतु प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद चित्रकूट के मानिकपुर में एक आयुर्वेदिक ड्रग फैक्ट्री अथवा फार्मेसी खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	2–3
जनपद फैजाबाद में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक मीटर रीडरों को हटाने की कार्यवाही समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	3
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	3–5
जनपद पिथौरागढ़ शहर में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री के० एस० नेगी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका....(उपस्थित की गयी) ...	5
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	5–9
प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	9
सदन का उपवेशन निर्धारित तिथि से पूर्व समाप्त किये जाने पर उक्त दिनांकों को निर्धारित वक्तव्य की तिथियों में भी परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	9
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में अधिनियम के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	10
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या–51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	10–48

विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशित करने हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	48
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–85—सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ...	48
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–21—खाद्य एवं रसद विभाग (स्वीकृत) ...	49–67
स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार सदन का उपवेशन प्रारम्भ होने एवं विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के समय में परिवर्तन की सूचना	67
कानपुर जिले के वाजिदपुर, पेबन्दी, शेषपुर, मोतीपुर, औलापुर तथा सुखनीपुर आदि ग्रामों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से कृषि उपज एवं पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	67–69
प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयं सेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	69–73
सहयोग संस्था द्वारा प्रकाशित आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरण पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग (जारी)	73
प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयं सेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	73–75
सहयोग संस्था द्वारा प्रकाशित आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरण पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग	75
प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयं सेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरण किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	76
कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	76–80
उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही से हज यात्रियों को हुई असुविधा के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	80–85
हज यात्रियों को हुई असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव	86

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही से हज यात्रियों को हुई असुविधा के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	86–88
यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	88
नकली दवाओं की तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	89
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216(4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	89
पोलीथीन बैग्स के कारण जन स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	89
प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलाने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा	89
प्रदेश में मध्यांचल निधि की स्थापना हेतु नियम 52 के अन्तर्गत डा० कौशल किशोर आदि द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	89
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	89–91.

विधान सभा

अवर सचिव प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शनिवार, दिनांक 13 मई, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	जगपाल, श्री	सहारनपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर,
अनिल कुमार, श्री	बलिया	जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	पप्पू भइय्या, श्री	गोरखपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
शोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	दयाशंकर, श्री	जालौन
ानन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
ालमबदी, श्री	आजमगढ़	धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
कबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
ओम प्रकाश, श्री	एटा	प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	बनारसी दास चांदना, श्री	मेरठ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	बी०के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	मंजू, श्रीमती	बलिया
काशी राम, श्री	रामपुर	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
कैलाश, श्री	गाजीपुर	मुश्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
कौकब हमीद, श्री	मेरठ	मोती लाल, श्री	खीरी
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजा रामपाल, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाखी राम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा०	बिजनौर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट,श्री	रायबरेली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्याम देव राय चौधरी 'दादा', श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
संत राम सिंह, श्री	जालौन
सुखपाल पांडेय, श्री	बस्ती
सुमनलता सिंह, श्रीमती,	बरेली
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 13 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बज कर 04 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल स० वि० स० एवं उनके परिवार के साथ की गई कथित अभद्रता का प्रकरण उठाने का प्रयास

डा० वकार अहमद शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जगदम्बिका पाल एवं इनके परिवार के लोगों के साथ अभद्रता की गयी । परिवार के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया । पुलिस की गाड़ी फूंक दी, गोली चलायी । मान्यवर, एक सदस्य की प्रतिष्ठा का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर देंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । देखिये शनिवार को उपवेशन इसलिए किया गया है कि हम लोग अधिक से अधिक काम निपटा सकें । आज नियम 56 की सूचनाएं एवं कुछ अन्य नियमों के अन्दर सूचना नहीं ली गयी है । यह कार्यसूची समाप्त कर दें जितना इसमें है, तो अच्छा है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जैसा कि आपने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के अनुरूप हम कार्य करना चाहते हैं, यह मेरी माननीय सदस्यों से अपील है । जो माननीय पाल साहब की बात आयी उसका संज्ञान ले लिया गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज सदन 11 बजे से आहूत था और आज बहुत प्रमुख बजट भी है लेकिन इसके बावजूद कई मिनट तक कोरम के अभाव में घटी बजती रही । [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

हमने समाचार-पत्रों में क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा उसका संज्ञान हम नहीं लेते । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह लिखा नहीं जा रहा है । कार्यवाही का मतलब कोरम से है कोरम पूरा है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सभी सूचनाएं नियमानुकूल होने के कारण स्वीकार की गईं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री भोला शंकर मौर्य के अनुपस्थित होने पर उनकी सूचना स्वीकार नहीं हुई । शेष स्वीकृत चार सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

बांदा नगर के बाबू लाल चौराहा से बबेरू रोड को मिलाने वाली सड़क की मरम्मत एवं लोहिया पुल के आस-पास व्याप्त गन्दगी की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[महोदय, जनपद बांदा में बांदा नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत बाबू लाल चौराहा से बबेरू रोड मिलाने वाली सड़क जो बांदा नगर के मोहल्ले अलीगंज व परस राम तालाब से होकर रेलवे लाइन के नीचे लोहिया पुल के नीचे से होकर गुजरती है की हालत बहुत जर्जर है उसमें जगह-जगह गड्ढे हैं । लोहिया पुल के पास उपरोक्त मोहल्ले का बरसाती व रोज मर्रा का गंदा पानी हर समय भरा रहता है पानी निकलने का कोई निकास नहीं है । वहीं पर कूड़े करकट का ढेर लगा है । मरे हुए जानवरों को वहीं पर फेंक दिया जाता है जिससे लोहिया पुल के चारों तरफ लगी हुई आबादी में गंदगी व्याप्त है । वहां का पर्यावरण दूषित हो गया है लोगों का जीना दूभर हो गया है । महामारी फैलने की आशंका है जिससे नगर बांदा के निवासियों में असंतोष व रोष व्याप्त है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए बांदा नगर के बाबू लाल चौराहा से बबेरू रोड मिलाने वाली सड़क की मरम्मत नाली बनवाने तथा लोहिया पुल के आस पास व्याप्त गंदगी की सफाई करवाने की मांग करता हूं ।]

किसानों को गेहूं की मड़ाई हेतु प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, इस वर्ष रबी की फसल बहुत अच्छी रही है । विगत दिनों कुछ स्थानों पर आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल को बहुत नुकसान हो गया था । इस समय रह-रह कर पानी की बूंदें पड़ रही हैं । आसमान को देखकर किसान का दिल दहल जा रहा है । वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी फसल की मड़ाई कर खलिहान साफ कर दे एवं अनाज निकाल ले ।

एक ओर अंधाधुंध तौर पर डीजल के दाम बढ़ गये हैं दूसरी ओर बिजली भी आवश्यकता के समय उसे नहीं मिल पा रही है जिससे मड़ाई का कार्य बाधित हो रहा है । पूरे प्रदेश में यह स्थिति पैदा हो गयी है । किसान असहाय सा पड़ा है । सरकार के कान में जूं तक भी नहीं रेंग रहा है ।

मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि प्राथमिकता के आधार पर किसानों को गेहूं की मड़ाई के लिए बिजली उपलब्ध कराये ।]

जनपद चित्रकूट के मानिकपुर में एक आयुर्वेदिक ड्रग फैक्ट्री अथवा फार्मेसी खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[महोदय, जनपद चित्रकूट के वन क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधियों, जड़ी बूटियों का विपुल भण्डार मौजूद है परन्तु उसका नियोजन उपयोग संकलन न होने के कारण कीमती औषधियां प्रतिवर्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नष्ट हो जाती हैं । जनपद चित्रकूट में ऐसे वैद्य हैं जिन्हें वनौषधियों का अच्छा ज्ञान तथा पहचान है अतः मानिकपुर में एक आयुर्वेदिक ड्रग फैक्ट्री अथवा फार्मेसी खोलने की कार्यवाही की जाय अथवा कम से कम मानिकपुर में एक वनौषधि जड़ी बूटी क्रय केन्द्र खोला जाय जहां पर ग्रामीण अंचल से जड़ी बूटी लाकर बेंच सकें । इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा प्राकृतिक औषधियों का विनाश रुकेगा। वह समाज के जीवन दायी उपयोग में आ सकेगी ।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराये जाने की कृपा करें ।]

जनपद फैजाबाद में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक मीटर रीडरों को हटाने की कार्यवाही समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को राज्य विद्युत परिषद् की मीटर रीडरों के पद पर नियुक्ति की गयी है । भूतपूर्व सैनिक मीटर रीडरों को भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा मात्र रु० 2775.00 प्रतिमाह दिया जाता है जबकि परिषद् के एक मीटर रीडर को वेतनमान 4500–7000 मूल वेतन भुगतान किया जाता है । ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के दबाव में जनपद फैजाबाद में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक रीडरों को हटाने हेतु कार्यवाही चल रही है और उप महाप्रबन्धक विद्युत मण्डल फैजाबाद द्वारा इस संबंध में काफी सक्रियता दिखायी जा रही है ।

अस्तु मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि तत्काल भूतपूर्व सैनिक मीटर रीडरों को हटाने की कार्यवाही समाप्त की जाय ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 13 मई, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की । इस सूचना का सदन की कार्यवाही के संचालन से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैंने सूचना को पढ़ लिया है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने विगत 27 मार्च को संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत बजट को सदन में प्रस्तुत कर दिया है । उसी दिन अपना बजट भाषण भी माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है । बजट भाषण के पृष्ठ–69–71 को आप देखें उसमें पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि का उल्लेख किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

बजट में उल्लेख व वक्तव्यों में उल्लेख करते रहते हैं इसका सदन के कार्यवाही के संचालन से क्या सम्बन्ध है ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि की स्थापना 1990-91 में हुई थी ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जब सम्बन्धित विभाग का बजट आया तब यह बात नहीं कही । या सामान्य प्रशासन का जब बजट आए तब अपनी बात कहें नियम 52 के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को ला सकते हैं । यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

इस वर्ष एक नया पैसा पूर्वांचल विकास निधि में नहीं बढ़ाया गया जबकि इस निधि में प्रत्येक वर्ष 50% की वृद्धि की जानी चाहिए ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जब एक बार आप की व्यवस्था हो गई कि यह नियम 300 में नहीं आता तो माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा । यह सूचना नियम 300 में नहीं आती ।

दूसरी सूचना श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा की जल संस्थान के जल कल के अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति न होने के संबंध में इससे सदन की कार्यवाही के संचालन से क्या सम्बन्ध है? यह निरस्त करते हैं । तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है । यही सूचना नियम 300 में दिनांक 11-5-2000 को प्राप्त हुई थी ।.

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों और अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों.....

श्री अध्यक्ष–

अगर सदन को किसी चीज के लिए गुमराह किया गया है किसी चीज के लिए तो उसके लिए अलग से निर्देशों की व्यवस्था है । यह नियम 300 में नहीं आती है ।अगर उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं या उत्तर भ्रामक दिया गया है तो उसके लिए नियमों में व्यवस्था है । मैं इसे नियम 300 में अस्वीकार करता हूं ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल जी आपकी सूचना नियम 300 में कैसे आती है ?

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, नियम–51 के अन्तर्गत मेरे द्वारा जो सूचना 27-4-2000 को दी गयी थी उसमें बबीरा पम्प कैनाल दो गोरखपुर से हमारे क्षेत्र में सिंचाई होती है उससे पिछले पांच सालों से सिंचाई का कार्य नहीं किया जा रहा है । मा० सिंचाई मंत्री जी ने भी इसे स्वीकार किया कि स्वतंत्र फीडर घाघरा उप केन्द्र गोरखपुर से जोड़ दिया जाय जिससे रु० 16.00 लाख खर्च पड़ेगा । मा० अध्यक्ष जी कृपया औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था दिला दें ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आती ।

श्री अशोक बाजपेयी अनुपस्थित हैं ।

जनपद पिथौरागढ़ शहर में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री के० एस० नेगी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद पिथौरागढ़ शहर में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री के० एस० नेगी तथा श्री बी० डी० गहतोड़ी, निवासीगण जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 मई, 2000 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 13 मई से 17 मई, 2000 तक के कार्यक्रम को निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :––

1—दिनांक 24. 25 तथा 26 मई, 2000 को सदन के उपवेशन न हों तथा दिनांक 15 मई, 2000. दिनांक 16 मई, 2000 तथा दिनांक 17 मई, 2000 को सदन का उपवेशन पूर्वाह्न 10 बजे से हो ।

2—दिनांक 15 मई, 2000 तथा दिनांक 16 मई, 2000 को नियम–56 के अन्तर्गत पूर्व में स्थगित सूचनाओं के अतिरिक्त केवल दो सूचनाएं ली जायं, जिनमें से एक माननीय अध्यक्ष द्वारा चयनित की जायेगी और एक शलाका द्वारा निर्धारित होगी ।

3—दिनांक 15 मई, 2000. दिनांक 16 मई, 2000 तथा दिनांक 17 मई, 2000 को नियम–300 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं और दिनांक 17 मई, 2000 को नियम–56 के अन्तर्गत भी कोई सूचना न ली जाय ।

4—(क) दिनांक 15 मई, 2000 तथा दिनांक 16 मई, 2000 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अब दिनांक 15 मई, 2000 को हो ।

(ख) दिनांक 17 मई, 2000 तथा दिनांक 24 मई, 2000 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अब दिनांक 16 मई, 2000 को हो ।

(ग) दिनांक 25 मई, 2000 तथा दिनांक 26 मई, 2000 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अब दिनांक 17 मई, 2000 को हो ।

---

† छापी नहीं गई ।

मई, 2000

5—नियम 103 के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य प्रस्ताव, यदि कोई हो, दिनांक 15 मई, 2000 के लिए निर्धारित किये जायं।

6—नियम–52 के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य सूचनाएं, यदि कोई हों, दिनांक 16 मई, 2000 के लिए निर्धारित की जायं।

13 शनिवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—"कानपुर जिले के वाजिदपुर पेबन्दी, शेषपुर, मोतीपुर, ओलापुर, सुखनीपुर आदि गांवों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से कृषि उपज एवं पेयजल की गम्भीर समस्या" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

3—"प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयंसेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में, श्री अजय भट्ट, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

4—"कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन किये जाने" के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

5—"उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही की वजह से हज यात्रियों को हुई असुविधा" के संबंध में श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

6—"नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा, श्री बी० आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत हेतु निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :—

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय।"

7—प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट एवं श्री राजेन्द्र यादव, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

8—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० के कार्यकलापों के संबंध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत

मई, 2000

किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम–216 (4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग, दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर सदन में आधे घण्टे की चर्चा ।

9—नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा ।

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबंदी लगाई जाय ।"

10—"प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों के विस्तार से चौपट अर्थव्यवस्था/सुरक्षा प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

11—"प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा० कौशल किशोर तथा डा० अशोक बाजपेयी, सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

14 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

15 सोमवार — 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

3—नियम–103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थाई समिति गठित की जाय ।"

4—"प्रदेश में बढ़ती हुई पेयजल समस्या और गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

5—नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :—

मई, 2000

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय ।"

6—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

7—"ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर दो घण्टे की चर्चा ।

6 मंगलवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित एवं आधे घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करे ।"

3—"प्रदेश में निरीह पशुओं के अवैध रूप से काटे जाने पर प्रभावी रूप से नियंत्रण न लगाये जाने" के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

4—"प्रदेश में हैजा आन्त्रशोध (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) आदि संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा श्री राम कुमार एडवोकेट, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

17 बुधवार

1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2—**4.00 बजे अपराह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष जी विधान सभा का सत्र चल रहा है और प्रदेश सरकार ने कल सदन से बाहर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं । एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि प्रदेश के जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं तथा उनके जो कार्यरत अध्यापक हैं उनकी दशा सुधारने के उद्देश्य से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुबाष जी व्यवस्था का प्रश्न किस लिए उठाया जाता है और कब उठाया जाता है इसमें मेरा ज्ञानवर्धन करें ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रदेश सरकार का जो बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है वह करमुक्त है परन्तु प्रदेश सरकार ने कल मंत्रि-परिषद् की बैठक में निर्णय लिया कि बस भाड़े में दुगुनी वृद्धि कर दी जाय । बसों का यात्रीकर 23.9 फीसदी से बढ़ाकर 39.92 फीसदी कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुबाष जी व्यवस्था का प्रश्न कब उठाया जाता है और कौन विषय व्यवस्था के अन्तर्गत उठाया जा सकता है ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

एक मद और दूसरी मद शुरू होने के बीच.....

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

सदन का उपवेशन निर्धारित तिथि से पूर्व समाप्त किये जाने पर उक्त दिनांकों को निर्धारित वक्तव्यों की तिथियों में भी परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, 24, 25, 26 को इस सत्र के उपवेशन होने थे अब तीन दिन कम हो गये हैं । 24, 25, 26 को नियम–51 की सूचना के लिये जो वक्तव्य निर्धारित थे ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न ठीक है । जो निर्धारित था वक्तव्य या केवल वक्तव्य के लिये उसके लिए मैं व्यवस्था करा दूंगा । वह मुझे स्मरण है । यह व्यवस्था का प्रश्न है और आपको इसे उठाने की अनुमति है।

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में अधिनियम के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या–51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,26,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,94,07,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,91,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

एक अनुरोध है माननीय सदस्यों से कि 11.25 हो रहे हैं अगर सब माननीय सदस्य एक बजे तक इस राजस्व विभाग के आय-व्ययक पर चर्चा कर लें। (व्यवधान) डेढ़ बजे तक कर लें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये इस पर कम से कम चार घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

दो बजे तक कर लेते हैं। यह ढाई घण्टे के लगभग हो जायेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, इस विभाग के कार्य-कलापों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। यह विभाग मजदूर और किसान, झोपड़ी में रहने वाले इन्सानों के साथ जुड़ा है और इस विभाग का काम विशेष रूप से गांव के लोगों के लिये ही काम करना होता है। सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया गया है और हमने यह प्रयास किया है कि गांव के गरीबों के लिए अधिक से अधिक राहत दी जाय। "जनता की सरकार जनता के द्वार" तक कैसे पहुंचे ? इस सम्बन्ध में ऐसा प्रयास किया है पिछले वर्ष तथा इस वर्ष सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का जो प्रयास किया है उसमें 15 जिलों का गठन 4-5 मण्डलों का गठन किया गया है। इस साल एक विशेष कार्य किया है गरीब किसानों को सस्ता अनाज दिला सकें। हमारे यहां 904 ब्लाक हैं। 904 ब्लाकों में 550 ब्लाक ऐसे हैं जहां तहसील न्यायालय खोलने जा रहे हैं ताकि किसानों को सस्ता अनाज उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार से सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया गया ताकि लोगों को सस्ता न्याय मिले। इसी प्रकार तहसील दिवस शुरू किया, इसको प्रभावी रूप से चलाने के लिए तहसील स्तर पर कमेटी बनाई गई है इसमें महिलाओं का प्रतिनिधि अन्य वर्ग का प्रतिनिधि एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि रहेगा। हमने समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया है ताकि तहसील स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्य चल सके। इस ओर प्रयास किया गया है और कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, वादों की समस्या है धारा–34 के वाद, दाखिल खारिज के मामले पहले बहुत समय तक लम्बित रहते थे, अब धारा 34 के वाद 45 दिन के बाद निस्तारित कर देते हैं 45 दिन से पुराना अब कोई वाद लम्बित नहीं है। धारा–33 के मुकदमें रसद से सम्बन्धित हैं उनका निस्तारण शत-प्रतिशत करा दिया गया है।

किसान बही की जहां तक बात है किसान बही सभी किसानों को उपलब्ध करा दी गयी है पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच में 4,26,015 किसान बहियां किसानों को वितरित की गयी हैं। प्रदेश के चकबन्दी वाले ग्रामों को छोड़कर शेष किसानों को 2,41,25,262 किसान बहियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। चक मार्गों से अतिक्रमण ग्रामों में होता है उसको हटाने का प्रयास किया गया है। इसको अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। मान्यवर, हमने समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से दलित पिछड़े वर्ग के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, आवास नहीं हैं तो आवास भूमि देने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से मत्स्य पालन हेतु तालाब के पट्टे हमने दिये हैं। कुम्हारी कला एवं मूर्तिकला के मूर्तिकारों को पट्टे देने का प्रयास किया गया है। वृक्षारोपण के लिये भी हमने जमीन के पट्टे दिये हैं ताकि जमीन का सही उपयोग हो सके। सीलिंग से प्राप्त भूमि का उपयोग करने का प्रयास किया गया है ताकि सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हो सकें।

मान्यवर, राजस्व वादों की स्थिति क्या है यह हम बताना चाहेंगे वाद चाहे मण्डल स्तर पर हों चाहे जिला स्तर पर हों उनके शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया गया है उसको त्वरित गति से कर रहे हैं। इसी तरह से राजस्व वादों के संबंध में हमने संशोधन किया जिसकी वजह से वादों में कमी आयी, जनपद स्तर और मण्डल स्तरीय न्यायालयों में वादों का निस्तारण होने से वादों में काफी कमी आयी है। राजस्व भवन जिला स्तर, मण्डल स्तर और तहसील स्तर पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से सुदृढ़ीकरण किया जाए। विशेष अभिलेखागार बनाये हैं इसमें करीब 166 तहसीलों और सब मिलाकर 56 जनपद में कुल मिलाकर 222

अभिलेखों को ठीक करने का प्रयास किया है । बहुत समय से एक बात आयी कि राजस्व बन्दी गृहों की स्थिति बहुत खराब है । जब वसूली के संबंध में किसी को बन्द किया जाता है तो बन्दी गृह जिसमें वह बन्द किया जाता है वह ठीक नहीं है । हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया है । 40 तहसीलों में ठीक हो गये हैं । 10 निर्माणाधीन हैं । तहसील स्तर, जिला स्तर में आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कराने का प्रयास किया है । राजा टोडरमल संस्थान में कुछ भवनों में कमी थी । हमने 347 लाख रुपये कुल लागत से भवन तथा कैन्टीन बनाकर तैयार की है । पटवारी चौकी के संबंध में बात आयी थी । पहाड़ों में पटवारी पुलिस का भी काम करता है राजस्व का काम भी करता है तो उनको चौकियों की दिक्कत थी उनकी इस कठिनाई को देखते हुए चौकी बनाने का प्रयास किया है । हमने इसके लिए 633 लाख का प्राविधान किया है । 113 पटवारी चौकियां कुमाऊं तथा गढ़वाल में बनायी गयी हैं । जिसमें से 54 चौकियां कुमाऊं तथा 64 चौकियां गढ़वाल मण्डल के लिए हैं । राजस्व कार्यालयों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है । इसमें फोटो कापी मशीनें लगायी जा रही हैं । एक कठिनाई और आती है कम्प्यूटर का युग चल रहा है । खतौनी और नक्शे के मिलान में कठिनाई हो रही है । हमने 1112 लाख रुपये की व्यवस्था की है । अब हम कम्प्यूट्रीकृत खतौनी दे सकेंगे । पहले चरण में हम इसको ले रहे हैं । उसके बाद नक्शा को लिया जायेगा । 124 तहसीलों में पचास प्रतिशत हो गये हैं । 15 तहसीलों में पूरे-पूरे हो गये हैं । धीरे-धीरे सभी जनपदों में हो जायेंगे । अब कम्प्यूटर से 2/- रुपये देकर खतौनी मिल जायेगी । एक बात और है ।

ग्राम सभा की जमीन, सार्वजनिक जमीन, तालाबों की जमीन इसमें अवैध कब्जे की बात आयी। यह 15, 20 साल से बढ़ते जा रहे हैं । हमने बहुत से अवैध कब्जों को हटाने का प्रयास किया है। इस बार हमने एक मई से तीन महीने में अभियान के रूप में लिया है । पहले चरण में पूरे प्रदेश में चाहे कितना बड़ा भू-माफिया हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, हम सभी जमीन को चाहे वह ग्राम सभा लैण्ड हो, स्टेट लैण्ड हो, खेत खलिहान या श्मशान की भूमि हो तीन महीने में चिन्हित करके अभियान के रूप में अवैध कब्जे हटाने का प्रयास कर रहे हैं । मान्यवर, राजस्व देय के संबंध में हमने इस बार वसूली के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और 111 करोड़ रुपये की अधिक वसूली की है । 15 जनपद सेल्सटैक्स के अन्तर्गत आ गये हैं, वह अपने हिसाब से वसूली करते हैं । मान्यवर, चकबन्दी के संबंध में प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या रही है । 30–35 साल पुराने जो वाद थे उसका शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया है उसको अभियान के रूप में अभी भी कर रहे हैं और सफलता भी मिली है । पूरे प्रदेश में केवल 1757 गांवों की 10 वर्ष पुरानी चकबन्दी के रह गये थे उसमें जो कठिनाई आती है, 276 गांव ऐसे हैं जहां किसी न किसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश है । माननीय राम औतार शाक्य जी अपने भोगांव के बारे में बार-बार कहते हैं कि चकबन्दी पुरानी चल रही है उसको हमने प्रयास किया है । उसमें 15–20 साल पहले कब्जा परिवर्तन करा चुके हैं धारा 52 नहीं कर पा रहे हैं तो जहां कोर्ट से स्टे है उसका शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया है लेकिन वहां कठिनाई आती है।

मान्यवर, इससे पहले भी अन्य दलों की सरकारें रही हैं वे भी उसमें नहीं करा पाये । मान्यवर, कहना सरल है लेकिन करना काफी कठिन है । मान्यवर, 176 गांव जहां कब्जा परिवर्तन कर चुके हैं और जो 465 गांव हैं जो 20–25 साल पुराने हैं यदि हाईकोर्ट के मामले कोर्ट में दिये जायें, तो जहां हम चकबन्दी नहीं कर सके हैं वहां शीघ्र कार्य करायेंगे । हम चाहते हैं कि चकबन्दी वहां कर दी जाये और जो हाईकोर्ट के मामले हैं उसको देख रहे हैं । मान्यवर, आज 10 हजार 527 गांव चकबन्दी के अन्तर्गत हैं, 10 साल पुराने कोई गांव न बचे रहे यह हमारा प्रयास है । चकबन्दी वालों के निस्तारण के संबंध में सी० ओ०, एस० ओ० सी०, डी० डी० सी० को पूरे प्रदेश में निर्देशित किया गया है जो अपील आपत्तियां रिवीजन के मामले हैं वह सारे के सारे गांवों में जाकर सुनें और 7 दिन के अन्दर निस्तारण करें ।

मान्यवर, काश्तकारों की जितनी बेसिक खतौनी है रकबा बना रहे हैं समायोजन लोग न कर सकें और ग्राम सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके इसकी भी हमने व्यवस्था की है। मान्यवर, चकबन्दी में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां आती हैं यह बहुत पुरानी बाते हैं कुछ स्टाफ की कमियां भी रहती हैं एसओसी, डीडीसी सीओ लेबिल पर है, उनको भी शीघ्र करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जुलाई तक इन पदों को भरने का कुछ लेखपालों के बारे में दिक्कत आ रही हैं उनको शीघ्र भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दिक्कत न हो स्टाफ की कमी के कारण कहीं-कहीं दिक्कत हुई है। मान्यवर, जो गांव के गरीब लोगों का शोषण होता है, जो अधिकारी कर्मचारी शोषण करते हैं किसानों का गरीबों का, उसके लिए हमने प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाय, उसको कम किया जाय ऐसे अधिकारी जो इसमें दोषी पाये गये हैं, हमारे विभाग में 1387 लोग ऐसे हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है, जो लोग दोषी पाये गये हैं सभी के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। 1097 को चार्जशीट दी गयी है और 731 लोगों को निलम्बित किया गया है। पूरा का पूरा परीक्षण कर रहे हैं कि किस प्रकार से दण्डित किया जाए। तहसीलदार सम्वर्ग के 115 लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और इसमें 111 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दिया गया है लगातार इसका परीक्षण हो रहा है कि दोषी लोग बच न जायें ताकि गरीब मजदूर किसानों का शोषण न हो सके और इस प्रदेश के लोगों का भला हो सके।

कुछ हमने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालयों का संशोधन करके उनके पदों को भरने का प्रयास किया है और कुछ प्रमोशन किये हैं ताकि तहसीलदार के पद पूरे हो कुछ कमीशन से पद मिल रहे हैं पदों को भरने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे विभाग में अध्याप्तियों का भी काम होता है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए, उद्योग के लिए आवास के लिए जमीन, सभी प्रकार के सारे कामों के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है इसलिए जमीन अर्जित करके सभी विभागों को दी जाती है और मैंने यह प्रयास किया है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को भूमि मिले लेकिन साथ ही साथ किसानों को प्रतिकर ठीक प्रकार से कैसे मिले इसलिए एक नई व्यवस्था की गयी है किसानों को समझौते के आधार पर, मान्यवर, 11(2) में भी संशोधन किया गया है और संशोधन करके यह निश्चित किया गया है तो इससे जमीन, संशोधन होने के बाद ले सकते हैं। हमने पिछले वर्ष लक्ष्य तय किया था कि ढाई सौ करोड़ रुपया किसानों को प्रतिकर दिलायेंगे, लेकिन इस लक्ष्य से आगे भी हमने पैसा दिलाया है करीब 275 करोड़ रुपया किसानों को प्रतिकर के रूप में दिलाया है।

(इस समय 11 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अम्बरीष कुमार पीठासीन हुए)

हमारा विभाग गजेटियर विभाग भी देखता है जो ब्रिटिश काल से गजेटियर चला आ रहा है उसको ठीक करने का प्रयास किया है। बाढ़ राहत के संबंध में, दैवी आपदाओं से प्रदेश के लोगों को जो कठिनाइयां होती है चाहे पूर्वांचल की बाढ़ हो, चाहे उत्तरांचल का भूकम्प, इस बार बागेश्वर देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी आदि में जो भूकम्प आया था। राजस्व विभाग ने बहुत तत्परता से काम किया है। भारी जन-धन की क्षति हुई है, बहुत सारे मकान ढह गये। कुल 457 पशु और 106 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, इसमें हमारे विभाग ने बहुत तत्परता से राहत देने का काम किया है। अभी चाहे मथुरा काण्ड हो, या अन्य कोई आपदा हो, राहत देने में हमारे विभाग के लोग जी-जान से जुटते हैं। हालाँकि सभी क्षतियों को हम पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी, उन परिवारों को जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हमने राहत देने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी किसी दैवी आपदा के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि उसी शाम तक उसके परिवार को पैसा पहुंच जाना चाहिए। पहले इस काम में कई-कई महीने लग जाते थे, इसके लिए हमने सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखा है।

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप ध्यान से सुनें तो समझ में आयेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ठीक है, मैं धीरे-धीरे बोलता हूं। मान्यवर, अभी पिछले दिनों उड़ीसा में चक्रवात आया। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जहां-जहां भी इस तरह की विपत्ति आती है, हम सहायता देने का काम करते हैं। उड़ीसा में हमने स्वंयसेवी संस्थाओं से तथा विभाग से एकत्र करके 4 करोड़ रुपया भिजवाया था। राजस्थान और उड़ीसा में इस समय सूखा पड़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुये 25-25 लाख रुपये का भूसा दोनों राज्यों को भिजवा रहे हैं। पूरे देश में कहीं भी विपत्ति आती है, हम मिल-जुलकर काम करते हैं हमारे यहां विभाग में एक कठिनाई भी आती है आप सभी लोग भलीभांति परिचित हैं कि इस बार पूरा प्रदेश करीब-करीब चुनावों में रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधान सभा के उपचुनाव हों या पंचायतों के चुनाव हों, प्रदेश के राजस्व विभाग का करीब-करीब 6 महीने का कार्यकाल चुनाव में व्यतीत हुआ है। हमारे विभाग द्वारा जब कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और हम लक्ष्यों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि राजस्व विभाग ऐसा है जो चुनाव की सारी प्रक्रिया से गुजरता है। चाहे लेखपाल हों, नायब तहसीलदार हों, तहसीलदार हों, कलेक्टर हों, सचिव हों, सारे लोग उसमें लग जाते हैं। इसी कारण हमारे बहुत से लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते। लक्ष्य हम जो तय करते हैं वह यह सोच कर करते हैं, हम पूरे साल काम करेगें, लेकिन पिछले वर्ष भी हमारा 6 महीना चुनाव में गुजरा है। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, विभाग के साथ यह सबसे बड़ी कठिनाई है। चाहे चुनाव हो, दैवी आपदा हो, चकबन्दी हो, कोई भी समस्या हो, हमारा विभाग पूरी तत्परता से काम करता है।

अंत में मैं, सभी सदस्यों को जिन्होनें मेरे बजट की चर्चा को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने विभाग के सभी अधिकारियों को जिन्होनें पूरे साल लगकर बड़ी तत्परता से कार्य किया है, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह गांव के गरीब, किसान, मजदूर से जुड़ा विभाग है, इसमें पैसे की सख्त आवश्यकता पड़ती है, आप कटौती प्रस्ताव भी लायेगें, यदि न लायें तो अच्छा है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने अभी माननीय मंत्री जी के विचारों को बड़े ध्यान से सुनने का काम किया। निश्चित रूप से राजस्व विभाग हमारे देश और प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। भूमि की व्यवस्था से सम्बन्धित सारे कार्य राजस्व विभाग के अन्तर्गत आते हैं और राजस्व भूमि व्यवस्था कैसी

होगी, उसका असर हमारे जीवन पर हमारे देश के सामाजिक, हमारे प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। मान्यवर, निश्चित रूप से हमारे देश की लगभग 80 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है इसलिए राजस्व विभाग के कार्यकलापों का इस प्रदेश की आम जनता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। भूमि व्यवस्था के बारे में बहुत से व्यक्तियों ने अपने विचार रखने का काम किया है। मान्यवर, एक महान वैज्ञानिक जो कृषि एवं भूमि सुधार से सम्बन्धित अन्णतर्राष्ट्रीय विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त हैं, रहे हैं डब्ल्यू० ए० लेडजिन्सकी, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि चाहे अन्य संघटक कितने महत्वपूर्ण क्यों न हों, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति भूमि पर काम करते हैं, वे उस भूमि के मालिक हों अथवा उस भूमि पर कम से कम काश्तकार के रूप में सुरक्षित किया जा सके, शेष सब कुछ जल में लिखे लेख जैसा ही है और यह उपलब्ध करना सबसे कठिन काम है। यह अपेक्षाकृत सरल है कि किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाए और यह तभी सम्भव होगा जब खेतिहर की अपनी भूमि के साथ सम्बन्ध और उसके प्रति सरकार का व्यवहार तथा कृषि की अनुकूलता बनी रहे तो उसे पूंजी लगाने में प्रोत्साहन मिलेगा, वह अपनी भूमि का सुधार करेगा तथा उत्पादकता बढ़ायेगा।

मान्यवर, इसी तरह से हमारे प्रदेश के भूमि सुधार के जनक, जिन्होंने जमींदारी विनाश कानून को 1950 जिनकी देखरेख में बना था माननीय चौधरी चरण सिंह ने भी, उन्होंने इस बात को लिखा है, अपनी किताब "भारत की भयावह आर्थिक स्थिति–कारण और निदान" में लिखा है कि "भूमि के प्रत्येक खेतिहर को, चाहे वर्तमान कानून के अन्तर्गत उसकी प्रतिष्ठा कुछ ही क्यों न हो, स्थाई अधिकार देने चाहिए तथा राज्य के साथ सीधे उसका सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए किसी भी मध्यस्त व्यक्ति पर जमींदार को अपने आप खेती करने के लिए काश्तकारों से भूमि लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और किसी भी किसान को अपनी भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मान्यवर, इसका उद्देश्य यह है कि अगर काश्तकार उसमें खेती करेगा तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और यदि वह खेती का मालिक होगा तो निश्चित रूप से उसमें वह अधिक लागत लगाने का काम करेगा, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसीलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमने जमींदारी विनाश अधिनियम को पास करके लोगों को अपनी जमीन का मालिक बनाने का काम किया था। इसी तरह से कई बार संशोधन भी हुए और उत्तर प्रदेश में चकबन्दी कानून 1954 तथा हदबन्दी कानून 1960 पास किया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जमींदारी का विनाश किया जायेगा और लोगों को मालिक बनाया जायेगा। लेकिन कानून बनाये जाने के बाद भी कार्य करने वाले लोगों की रुचि उस कानून के प्रति और उसके क्रियान्वयन के प्रति नहीं हुई, तो निश्चित रूप से जो सुधार का कार्यक्रम है वह सम्भव नहीं हो सकता है। इसीलिए जब 1960 में हदबन्दी कानून पास किया था तो उस समय आशा थी कि लगभग 14 लाख एकड़ जमीन अतिरिक्ति घोषित होगी किन्तु उसके विपरीत जो अतिरिक्त जमीन घोषित हुई वह लगभग 250 लाख एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित हुई।

इसी तरीके से 1960 में पहले जो हदबन्दी कानून था उसमें 40 एकड़ तक जमीन रख सकते थे लेकिन 1972 में कानून में संशोधन करके 40 एकड़ जमीन को घटाकर 18.5 एकड़ जमीन रखने का प्राविधान किया गया। जो अतिरिक्त जमीन घोषित हुई उसमें बाद में 2.32 लाख एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित की गयी जिसमें लगभग एक लाख एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ। वर्ष 1972 के बाद 2.89 लाख एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित हुई और उसमें कब्जा लगभग 2 लाख एकड़ पर प्राप्त हुआ। इसमें सीलिंग एक्ट के मुकदमें न्यायालयों में आज भी विचाराधीन हैं और इतने वर्षों के बाद भी अदालतें अभी भी उसमें कोई निर्णय नहीं ले पा रही हैं जिसके कारण उनकी स्थिति आज उसी तरह से बनी हुई है। मान्यवर, आशा थी कि जो अतिरिक्त जमीन घोषित की जा रही है वह भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों को जो खेती में कार्य कर रहे हैं उन्हें आवंटित करने का काम किया जायेगा किन्तु उसमें

तमाम कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जिसके कारण ऐसा सम्भव नहीं हो पाया । इसलिए 1972 में एक कमीशन मंगल देव विशारद जी की अध्यक्षता में बनाया गया था । मान्यवर, भूमि जांच आयोग जो बना था उसने 30 मार्च, 1974 को अपनी रिपोर्ट दे दिया था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि इन कानूनों को किस तरह से निष्प्रभावी करने का काम किया गया है और किस तरीके से ऐसे-ऐसे नामों पर जमीनों का हस्तान्तरण किया गया है जिसके कारण आज भी उसका जो उद्देश्य था पूरा नहीं हो सका है । उत्तर प्रदेश में तराई की बेल्ट में 10-10 हजार एकड़ की जमीनें आज भी पड़ी हैं । विभिन्न लोगों के फार्म आज भी पड़े हुए हैं । उनकी जमीनों को न लिये जाने के कारण आज हमारी स्थिति यह बनी है । मंगलदेव विशारद जांच समिति ने जो रिपोर्ट दिया था काश उस रिपोर्ट को हम पूरी तरह से प्रयोग में लाये होते तो आज हमारी हालत सुधर सकती थी । जो अनधिकृत कब्जे थे, उसके बारे में भी उन्होंने एक सुझाव दिया था और उस सुझाव का भी हमने पालन करने का काम नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाय और उस सीमा के अन्तर्गत जो भी कब्जे हैं आधे एकड़ तक के अगर वह पात्र लोगों के नाम हैं और उनका कब्जा है तो निश्चित रूप से उनका विनियमितीकरण कर दिया जाय लेकिन वह एक सीमा के अन्तर्गत हो और एक निश्चित समय निर्धारित करके किया जाय । उससे छोटे कब्जे हैं तो उनको दे दिया जाये लेकिन यदि उससे बड़े कब्जे हैं तो उसको प्रत्येक स्थिति में छुड़ाने का काम किया जाय । अगर उसको कर पाते तो निश्चित रूप से हमारी हालत सुधरती । ऐसा क्यों नहीं हो पाया ? जो सरकारें रहीं, उनकी इस बारे में जो सोच थी वह अलग थी । वह नहीं चाहते थे कि गरीबों को अधिकार मिल सके । इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसमें ढिलाई बरतने का काम किया ।

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 200 लाख परिवार हैं जो कृषि पर आधारित हैं और उसमें से 50 प्रतिशत परिवारों के पास एक एकड़ से कम जमीन है और उनकी जमीन कुल जमीन का 3.9 प्रतिशत है वहीं दूसरी तरफ 10 एकड़ के केवल 4.3 प्रतिशत परिवार हैं उनके पास पूरी जमीन का 30 प्रतिशत जमीन है । एक तरफ 50 फीसदी लोगों के पास केवल 4 प्रतिशत जमीन है वहीं दूसरी तरफ 4 फीसदी लोग इस प्रदेश की 30 फीसदी जमीन को हथियाये हुए हैं जिसके कारण आज इस दिशा में जो उत्पादन बढ़ाने का काम होना चाहिए था वह नहीं बढ़ पा रहा है । यह उम्मीद की गयी थी कि हम सीलिंग एक्ट से और अनधिकृत कब्जे से निकालकर लगभग 29 लाख हेक्टेयर जमीन अतिरिक्त मिल पायेगी जिसका पट्टा देने का काम करेंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि उसको छुड़ा नहीं सके । आज भी वह न्यायालय के बीच में दर-दर घूम रहा है । आज माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा उसमें बढ़-चढ़कर घोषणायें करने का काम किया । अवैध कब्जों के बारे में बात की गयी । मैं आप लोगों के सामने जो साहित्य "कार्यपूर्ति दिग्दर्शक उपलब्ध कराया गया है उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो कब्जा हटाने की बात करते हैं । कब्जा पाया गया फरवरी, 2000 तक 33,502.910 हेक्टेयर और उन पर 60,607 मामले कब्जों के पाये गये । कुल 33,50,910 हेक्टेयर जमीन पायी गयी उसमें से 12,963 मामलों में कब्जा हटाया गया जबकि कुल मामले 60,607 थे । 33,502 हेक्टेयर जमीन में से मात्र 1,049.979 हेक्टेयर जमीन खाली करायी गयी ।

चक मार्गों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सतत् प्रक्रिया के आधार पर चक मार्गों के अनधिकृत कब्जे छुड़ाने का काम करेंगे लेकिन पिछली बार जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो आपने उस समय कहा था कि 30 जून, 1999 तक इस प्रदेश के किसी भी चक मार्ग पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं रहेगा । यह आपने अपने बजट भाषण में कहा था । मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से भी जानना चाहूंगा कि क्या चक मार्गों पर से अनधिकृत कब्जा हटाया जा सका है । इसी तरह से जहां हमारी अतिरिक्त जमीनें थी, गांव सभा की जमीन थी जिसका खेतिहर मजदूरों में वितरण करना

था, भूमिहीनों में वितरण करने का काम किया गया था उसका लक्ष्य घटा है । पिछली बार 1997-98 के कुछ कार्यकाल में जब बहन मायावती जी इस प्रदेश की मुख्य मंत्री थी उस समय कृषि के लिए 62.051 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ था । जहां 1997-98 में आवंटन हुआ था 62.051 हेक्टेयर वहीं वर्ष 1998-99 में आवंटन हुआ केवल 13490 हेक्टेयर इसी तरह से 1999-2000 में आवंटन हुआ 13390 हेक्टेयर वर्ष 2000-2001 का लक्ष्य मंत्री जी ने निर्धारित किया है केवल 5000 हेक्टेयर इसी तरह से ग्रामीण आवास आवंटन के सम्बन्ध में 1997-98 में 1.05.541 परिवारों को आवास हेतु जमीन आवंटित की गयी वर्ष 1998-99 में 80.436 परिवारों को आवास हेतु जमीन आवंटित की गई । 1999-2000 में 97 के मुकाबले और घटकर केवल 50.110 परिवारों को आवास हेतु जमीन आवंटित की गयी । जो लक्ष्य मंत्री जी ने निर्धारित किया है वह 40 हजार परिवारों को आवास हेतु जमीन आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया है । मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों के आवंटन की बात है वर्ष 1998-99 में आवंटन हुआ 5263.18 हेक्टेयर 1999-2000 में यह घटकर रह गया 4 हजार 480.6 हेक्टेयर और वर्ष 2000-2001 का लक्ष्य जो निर्धारित किया है वह है 2000 हेक्टेयर । हमारे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुम्हारी कला जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देती है जो मिट्टी का काम करते हैं । यह बेरोजगारी को दूर करने का काम करते हैं । इसके लिए वर्ष 1997-98 में 3656 लोगों को पट्टे आवंटित किये गये वर्ष 1998-99 में 2603 लोगों को पट्टे आवंटित किये गये । वर्ष 1999-2000 में 2652 पट्टे आवंटित किये गये वर्ष 2000-2001 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2000 लोगों का है यह भी घटा है ।

वृक्षारोपण के संबंध में वर्ष 1998-99 में 2796.64 हेक्टेयर वर्ष 1999-2000 में 2390 हेक्टेयर वृक्षारोपण हेतु आवंटन हुआ यह भी घटा है । जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वह 2000 हेक्टेयर का है । सीलिंग भूमि के आवंटन की बात है यह जहां 1999-2000 में 512 एकड़ आवंटन हुआ वहीं 2000-2001 में यह घटकर 500 एकड़ रह गया । राजस्व वादों के निपटारे की बात है मंत्री जी जोर-शोर से कह रहे थे कि हमने राजस्व वादों को निपटाने का काम किया है । राजस्व वादों के कारण ही जनता वर्षों तक पिसती रहती है जिसके कारण उसका आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है । इन वादों को निपटाने काम होना चाहिए और इसके लिये कानून में संशोधन भी करना चाहिए लेकिन वादों की स्थिति देखें 1998-99 में 12.64.497 वादों का निस्तारण किया गया और अवशेष वाद बचे 3.42.603 उनमें 1999-2000 में केवल 12 लाख की जगह पर 4.35.487 वादों का निस्तारण किया गया यह जनपद न्यायालय स्तर के मामले हैं । इसमें शेष बचे 3.58.650 वर्ष 1998-99 में अवशेष थे 3.000.42 वर्ष 1999-2000 में अवशेष बचे 3.000.58 मण्डल स्तर पर न्यायालयों में वादों का निस्तारण वर्ष 1998-99 में निस्तारण किया गया 61.142 अवशेष बचे 80.153 वर्ष 1999-2000 में 15.311 वादों का निस्तारण किया गया । अवशेष बचे 82.062 राजस्व परिषद् स्तर पर वादों का निपटारा वर्ष 1998-99 में 1550 वादों का निपटारा हुआ अवशेष बचे 23.550 वर्ष 1999-2000 में 1015 वादों का निस्तारण हुआ बचा अवशेष 2805 । चकबन्दी के वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी के स्तर पर 99-2000 में लक्ष्य था 3.46.500 आपत्तियों के निस्तारण का और कुल निस्तारण हुआ 281916 वादों का । बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी स्तर पर 72000 अपीलों के निस्तारण का लक्ष्य था जबकि निस्तारण हुआ केवल 54351 अपीलों का । इसी प्रकार सहायक संचालक चकबन्दी स्तर पर 45000 निगरानियों के निस्तारण का लक्ष्य था लेकिन निस्तारण हुआ मात्र 30901 निगरानियों का और यहां मंत्री जी वादों के निस्तारण की बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कर रहे हैं। निश्चित रूप से निस्तारण की दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

अब राजस्व देयों की वसूली का सवाल आता है माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने ज्यादा वसूली की है । मैंने यह आय-व्ययक पुस्तिका पढ़ी है इसमें लिखा है कि मुख्य देय 97-98 में वसूली की गयी धनराशि है । 145.22 करोड़, 98-99 में 148.51 करोड़ और 99-2000 में 144.17 करोड़ ।

यह निरन्तर घटता हुआ फीगर है। 1998-99 से 1999-2000 में बहुत ज्यादा राजस्व की वसूली कम हुई है और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम राजस्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपदा राहत निधि के सवाल पर जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी वैसी व्यवस्था नहीं की गयी है। स्थिति यह है कि जब आपदा राहत की बात आती है तो जिलाधिकारी से सम्पर्क करने पर जिलाधिकारी बताते हैं कि कोषागार पर प्रतिबन्ध लगा है। इसलिए भुगतान नहीं किया जा सकता। साल भर कोषागार पर प्रतिबन्ध रखते हैं फिर भी कहा जाता है कि ज्यादा कर रहे हैं। किसानों के प्रतिकर के लिए 99-2000 में 285 करोड़ का बजट रखा गया था लेकिन 2000-2001 में मात्र 250 करोड़ का बजट रखने का काम किया गया। आज जो राजस्व बन्दी गृहों की स्थिति है जिसके बारे में मंत्री जी ने चर्चा की कि निर्माण की दिशा में कदम उठा रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्व बन्दी गृहों में मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। एक कोठरी है ना तो कोई लॉन है न घूमने के लिए अवसर है। एक कोठरी में जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में बन्द करने का काम किया जाता था उन राजस्व गृहों में आज भी कमजोर वर्ग के लोगों को ही बन्द किया जाता है किसी धनवान को नहीं, किसी अधिकारी को नहीं बन्द किया जाता है और ना ही राजस्व अधिकारी को। निश्चित रूप से यह एक शर्मनाक स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील स्तर पर इन बन्दीगृहों को तत्काल समाप्त किया जाय। अगर बन्द ही करना है तो जेलों में बन्द करो जेलों की स्थिति फिर भी ठीक है जेलों के स्तर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय, वहां लॉन दिया जाय।

इसके साथ ही मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश की स्थिति है जो मुकदमें हैं जिनके कारण कई हैं निर्माण नहीं हो पाता। जमीन के आवंटन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज प्रत्येक गांव में भूमिहीनों को जमीन आवंटित न की जा सके इसलिए जंगल विभाग को पट्टे पर दे दी गयी। लगभग 70 हजार एकड़ भूमि जंगल विभाग को पट्टे पर दे दी गयी है जबकि वहां कोई जंगल नहीं है केवल नाम है। यह इसलिये किया गया है कि भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि का आवंटन न किया जा सके। इसलिए इस तरह से मनमाने तरीके से जंगल विभाग को जमीन न दिया जाय क्योंकि उसका वहां पर सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।

किसान बही के बारे में कहा गया। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने बढ़चढ़ कर कहा कि हर जगह यह काम करेगी। आज जब जाति प्रमाण की जरूरत होती है, बैंक से लोन लेना होता है, उसके लिए खसरा और खतौनी की जरूरत होती है, उसमें उसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए इस दृष्टि से भी उसको देखा जाना चाहिए। पट्टों पर कब्जों के बारे में कहना चाहता हूं पट्टा हुए वर्षों हो गये लेकिन 198 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके कब्जा नहीं दिलाया जाता है ताकि एक विवाद पैदा किया जा सके। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें समय सीमा 4 साल की है जबकि 4 साल के बाद उसमें अनुमति दे दी जाती है। जिनमें पट्टा होने के बाद भी कब्जा नहीं प्राप्त हुआ हो। यदि इसके लिए एक्ट में संशोधन भी करना पड़े तो उसको किया जाय। मान्यवर, आज सबसे बड़ी समस्या है चक मार्गों के अतिक्रमण, गांव समाज की भूमि पर अतिक्रमण और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब चकबन्दी प्रक्रिया के बाद जब कब्जा देने का काम करते हैं तो उस कब्जे के बाद धारा 52 में प्रकाशन होता है और इस दौरान कई परिवर्तन होते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। 25 मिनट आपके भाषण को हो गये हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप सुन लें। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं जब अम्बरीष कुमार जी कटौती रखते हैं या कुंवर रेवती रमण सिंह जी रखते हैं तो आपने उस समय कोई समय सीमा निर्धारित करने का काम नहीं किया मैं 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि इस दौरान सबसे बड़ा

विवाद का कारण होता है कि जब धारा 27 के बाद जमीन पर कब्जा देते हैं तो उसके बाद धारा 52 के प्रकाशन होने में वर्षों का समय लग जाता है और इस समय तक जमीन के आकार में बहुत संशोधन हो जाता है और उस संशोधन की फिर से पैमाइश नहीं होती है इसलिए मेरा सुझाव है कि धारा 52 का प्रकाशन प्रत्येक दशा में ज्यादा से ज्यादा पूरी चकबन्दी प्रक्रिया 10 साल में पूरी कर ली जाय और धारा 52 के प्रकाशन के बाद पैमाइश करके कब्जा दिलाने का काम किया जाय । इस तरह से अधिकांश विवाद समाप्त हो जायेंगे ।

दूसरी स्थिति है आज राजस्व प्रशासन की इसे डी० एम० और एस० डी० एम० देखते हैं उनके पास अन्य प्रशासनिक कार्य होने के कारण न्यायालय का जो कार्य होता है उसे वह नहीं कर पाते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि न्यायालय के कार्य भी सफर न हों इसलिए प्रतयेक तहसील में अपर उप जिलाधिकारी और अपर तहसीलदार की पोस्टिंग करके राजस्व सम्बन्धी सारे कार्यों को उनके जिम्मे कर दिया जाय । राजस्व संबंधी सारे कार्य उनके जिम्मे कर दिये जायं जिससे प्रशासन के कार्यों से उन्हें मुक्ति मिल जाय और वादों का निस्तारण समय से हो जाय । एक्स पार्टी का निर्णय होता है यह भी उनके कोर्ट में न जोड़ा जाय । इस तरह से अनेकों फैसले हो जाते हैं जिसके कारण इस तरह की स्थिति बनती है । हद बरारी का मामला सालों चलता है । नक्शा दुरुस्त हो । खतौनी के आधार पर नक्शा बने लेकिन जो स्थिति है आज पैमाइश नक्शे के आधार पर करते हैं । नक्शा दुरुस्तीकरण में 15-20 वर्ष लगते हैं । यह अनिवार्य नियम संशोधन करके बना दिया जाय कि खतौनी के आधार पर नक्शे को दुरुस्त हर दशा में किया जाय । पैमाइश नक्शे के आधार एवं खतौनी के आधार पर की जाय । इस तरह की स्थिति न बनने पावे कि अगर कोई मामला इस तरह का आता रहे ।

मान्यवर, इसी के साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या आबादी की जमीन है । आबादी की जमीन का हर कोई रिकार्ड नहीं है । सारे गांव में जो झगड़े होते हैं वह आबादी की जमीन को लेकर होते हैं । माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आबादी की जमीन का भी बन्दोबस्त करवाइये । जब चकबन्दी शुरू हुई थी तो लोगों ने आपत्ति की थी कि चकबन्दी के माध्यम से किस प्रकार करेंगे विभिन्न जगहों पर लोगों की खेती है । मान्यवर, उसी तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि आबादी की जमीन के लिए भी सुनिश्चित करें ताकि इस तरह के वादों का निस्तारण हो ।

इसी तरह से इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि नायब तहसीलदार को ब्लाक स्तर पर बिठाने का कार्य करेंगे । 904 ब्लाक हैं और आप 550 पर कर रहे हैं । नायब तहसीलदार के पास तहसील का भी रिकार्ड होता है अगर उसे आप ब्लाक स्तर पर बैठा देंगे तो न तो वह ब्लाक में मिलेगा न तहसील में मिलेगा ।अभी ऐसा तो है कि वह तहसील में मिल सकता है । इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा इसलिये नायब तहसीलदार को तहसील पर ही रखने की आवश्यकता है । यह जरूर होना चाहिए कि नायब तहसीलदार जो मुकदमों का, वादों का फैसला करता है वह तहसील में रखे जाने का फैसला करे । आपने कहा कि समय कम है आप अपनी बात समाप्त करें इसलिए चूंकि समय नहीं है जो बाकी रह जायेगा उसको मैं अपने उत्तर भाषण में कहूंगा । इन्हीं शब्दों के साथ बैठे हुए माननीय सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि इस बहस में हिस्सा लेकर अपने उपयुक्त सुझाव राजस्व जैसे विभाग पर जो उत्तर प्रदेश के लिये सबसे प्रमुख विभाग है, सामाजिक अस्तित्व की रक्षा उससे होनी है ऐसे विभाग के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2000-2001 के राजस्व के बजट पर समर्थन करने के लिए अनुमति प्रदान की । श्रीमन्, जिस तरह से व्यक्ति की शारीरिक इकाई का सबसे ज्यादा

महत्वपूर्ण अंग मेरूदण्ड होता है । मेरूदण्ड अगर गड़बड़ हो जाय तो शरीर की आकृति बिगड़ जाती है । ठीक इसी प्रकार सम्पूर्ण शासन के विभागों में राजस्व विभाग की भूमिका होती है । राजस्व अपने आप में शासन का मेरूदण्ड होता है अगर उसकी स्थिति खराब हो जाय तो सम्पूर्ण शासन की स्थिति खराब होने लगती है । श्रीमन्, राज़स्व विभाग उसके योगदान से कृषि विभाग उसके उत्पादन से खाद्य विभाग, कृषि उत्पादन से उद्योग और खाद्यान्न और उद्योग के उत्पादन से वित्त का सृजन होता है । मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर वर्मा जी बोल रहे थे मैं सुन रहा था । मुझे लग रहा था कि मा० वर्मा जी इतने अध्ययनशील हैं, जो पिटी-पिटाई परम्परा चल रही है मांग करने की, आलोचना करने की उससे हटकर इस महत्वपूर्ण विभाग पर, कोई चिन्तन देने का प्रयास करेंगे । इन्होंने अपने भाषण में जो छोटे-छोटे जोत बंटाई पर या अन्य विभिन्न तरीके से किसानों की जमीन पर जोतने का अवसर मिलता है उसमें स्वामित्व पर बल देने का जो भाव व्यक्त किया उसे कुछ हद तक सार्थक माना जा सकता है, मुझे पता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था के एक मनीषी चिन्तन स्व० पं० दीन दयाल उपाध्याय जी ने अपनी अर्थ नीति में इस बात पर बल दिया है कि जोतने वाले का खेत, इस तरह से उन्होंने आगे विस्तार से प्रकाश डाला है । जोतने वाले का खेत का मतलब यह नहीं है कि जो फावड़े से, हल की मुठिया पकड़कर जोतता हो उसका खेत हो गया या कोई किराए पर ट्रैक्टर चलाकर खेत जोते तो उसका खेत हो गया जिस तरह से उद्योगों में उद्योगपतियों को स्वामित्व दिया जाता है तीन-चार उद्योगपति मिलकर इन्डस्ट्री चलाते हैं, लेकिन उसमें काफी मजदूर कर्मचारी भागीदारी करते हैं इसी तरह से कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो यह भावना वहां भी प्रतिपादित होनी चाहिए । स्व० पं० दीनदयाल उपाध्याय जी ने जोतने वाले किसान से,मतलब जो उस खेती से लाभान्वित हो या प्रभावित हो वह उसका स्वामी है । वह चिन्ता करके जो-जो खेत में आवश्यक है उसको लगाकर उत्पादन बढ़ाए उसका लाभ देश और प्रदेश को मिले ।

माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करूंगा कि राजस्व विभाग जैसा निवेदन किया आवास भी दे रहा है प्रति व्यक्ति कृषि भूमि लगातार घट रही है । जिससे संकट प्रदेश और देश के सामने बढ़ रहा है कृषि लायक भूमि, प्रति व्यक्ति घटते जाने का कारण है जहां एक तरफ असीमित जनसंख्या का विस्तार होता है वहीं कृषि लायक भूमि को बिना किसी समुचित योजना के घटाते जाना कि उसको एक्वायर करके मकान बनाते चले जायेंगे, इन्डस्ट्री लगाते जायेंगे इन्डस्ट्री के लिए भी जमीन चाहिए लेकिन आवासीय व्यवस्था करनी है तो हम मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना सकते हैं कृषि योग्य भूमि घटती जाए और विदेशों से खाद्यान्न आयातित करें, ऐसा न हो । आवास मल्टी स्टोरीज बनाकर दे सकते हैं आप एक मंजिला मकान न बनाएं आप मल्टी स्टोरीज बनायें 10 एकड़ में 100 परिवार रहेंगे और बहु मंजिला बनायेंगे तो एक एकड़ में 100 परिवार रहेंगे । इस तरह से आप आवास मुहैया करा सकते हैं और 9 एकड़ जमीन बचा सकते हैं इसको मैं बल देकर कहना चाहूंगा । दिन प्रतिदिन कृषि लायक भूमि घट रही है यह संकट का विषय बनेगा खाद्यान्न की कमी होगी, सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी । जब खाद्यान्न महंगा होगा और खाद्यान्न बाहर से आयातित करना पड़ेगा ।

बंदीगृहों की चर्चा मंत्री जी ने की है सामान्य कारागारों की चर्चा होती है तो उसे सुधारना समझ में आता है बन्दियों को सामाजिक परिवर्तन और संस्कार देकर उनकी मानसिकता बदलने की बात होती है । मेरा निवेदन है अलाभकारी जोत से लगान नहीं लिया जाता है कुछ छोटे लोग कर्जे अन्य विभागों से लेते होंगे, वह छोटे हो सकते हैं, छोटे लोगों की सिफारिशें बहुत कम हो पाती हैं तो उनको ऋण नहीं मिल पाता है और उनकी वसूली भी बहुत कम आती है । पकड़ में वह आते हैं जिनके ज्यादा राजस्व अवशेष हैं उनको पकड़ने की गुंजाइश रहती है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बन्दी गृह इतने आरामदायी न हों कि उन्हें आराम मिले । कई बार लोग ऋण लेकर अपने को दिवालिया घोषित कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो कुछ दिनों बन्दी गृह में जाकर आराम करें । तो इन बन्दीगृहों को कष्ट प्रद ही रहने दें ।

मान्यवर, दो विषयों की ओर मैं और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं उनका भी मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । आज उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने धन का संकट है, वित्त का संकट है । पुरानी सरकार ने जिस तरह से उलटा पुलटा अनियंत्रित खर्च किया, व्यवस्थित करने की चिन्ता नहीं की । उसी का दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है । विकास प्रभावित न हो, अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन प्रभावित न हो सारे काम ठीक चलें इसलिए मेरा निवेदन है, मैं एक उदाहरण देकर टेस्ट केस है, कानपुर महानगर में मैंने एक एक्सरसाइज करायी एस० डी० एम० के द्वारा उससे जो चीज निकलकर आयी है, मान्यवर, 50 हजार एकड़ जमीन उसमें नजूल की भी है, कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीन भी है, उसकी सूची मेरे पास है और मैंने प्रस्तुत भी की थी, यह लुप्त है । उसका हिसाब किताब नहीं है । मैंने निवेदन किया था कि कार्यदल बनाकर उसकी जमीन को निकालने और रेखांकित न करके निस्तारण करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चला देते हैं तो बीसियों हजार करोड़ उस जमीन से प्राप्त होगी और इस तरह से अन्य महानगरों एवं विकास प्राधिकरणों में भी इस प्रकार का घोटाला होगा । मान्यवर, इसमें कई आई० ए० एस० अधिकारी, पी० सी० एस० अधिकारी एवं कर्मचारी भी लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करके एक कार्यदल बनायें और भूमि घोटाले का भंडाफोड़ करें ।

एक अन्तिम विषय की ओर और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा । वह विषय है, चर्चा में आया, निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में भी मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि कानपुर महानगर को तकनीकी कारणों से और व्यावहारिक कारणों से दो जनपदों में विभाजित किया जाय और कानपुर दक्षिण एक नया जनपद का सृजन किया जाय । मैंने इसमें विस्तार से ध्यान आकृष्ट किया था । मुझे खेद है कि कार्यवाही का वह अंग ध्यान आकृष्ट करने में विफल रहा । अभी पता चला पिछले हफ्ते रिपोर्ट आयी है जिसमें रिपोर्ट लगा दी है कि वह विवादित रिपोर्ट है बड़ा खर्च लगेगा कि ज्यादा खर्च लगेगा और ऐसा करना जरूरी नहीं है खर्च तो हम वहां से दे रहे हैं हम व्यवस्था दे रहे हैं और तकनीकी कारणों से बल देकर उसकी मांग कर रहे हैं । मैं राजस्व मंत्री जी से बल देकर कहता हूं कि गम्भीरता से उस पर कार्यवाही करने का कष्ट करें और जब उत्तर भाषण दें तो कृपा पूर्वक आश्वासन देंगे । इसी के साथ मैं बजट प्रस्तावों का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है उसमें ढाई घण्टे का समय इस बजट पर चर्चा के लिए नियत था अब इसमें डेढ़ घण्टा बाकी है तो दोनों पक्षों के विधायकों के लिए 45-45 मिनट का समय है । समाजवादी पार्टी की ओर से 11 नाम आये हैं और दूसरी पार्टी के 8 नाम हैं अब आपको ही इसमें व्यवस्थित करना है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह राजस्व विभाग पर माननीय मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया और कटौती माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत की और उसके बाद कुछ बिन्दु मिश्रा जी ने उठाये । मेरा नाम दो तीन बार मंत्री जी ने लिया । कहीं न कहीं मेरी बातें उनके दिल और दिमाग में खटक रही हैं । एक तो माननीय मंत्री जी ने कब्जा हटाने के संबंध में बात कही । तो, दो तरह के कब्जे होते हैं । एक तो वह कब्जा जो खेती के तौर पर चाहे खलिहान की जमीन हो, परिक्रमा मार्ग हो, या आबादी की जमीन हो, काश्तकार खेती करने लगता है तो खेती की तरह नाजायज कब्जा कर लेता है । दूसरे कब्जे में पक्का निर्माण करने लगता है । जो कानून है उसको दण्डित करने का कब्जा हटाने का, वह 122 बी० जमींदारी विनाश अधिनियम में है, इसके अलावा और कोई सेक्शन नहीं बना है । तो जो खेती का

कब्जा है उसको तो आप हटवा सकते हैं । लेकिन जो पक्का निर्माण है तो इस अधिनियम में या चकबन्दी में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उसको हटा दें । तो आप इस अधिनियम में जरूर संशोधन लाएं जिससे राजस्व न्यायालयों को यह अधिकार मिले और वे पक्के निर्माण को हटाने का काम कर सकें । मान्यवर, दूसरी समस्या यह आती है कि आपके लेखपाल जाते हैं, आपके कानूनगो जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं लेकिन उसमें पुलिस की भी जरूरत पड़ती है तो इन मामलों में पुलिस सहयोग नहीं करती है । जैसा आपने फरमाया कि पहाड़ी इलाके में पटवारी पुलिस और रेवेन्यू दोनों का काम करता है । मेरा अनुरोध है कि आप अपनी रेवेन्यू पुलिस का गठन करने का काम करें जब यह पुलिस होगी तो जो इस तरह के कब्जे हटवाने में, बल के प्रयोग में जो पुलिस का कोआर्डिनेशन रेवन्यू के साथ नहीं रहता है तो जब रेवन्यू पुलिस होगी तो यह समस्या नहीं रहेगी । तीसरी बात जब पक्का कांस्ट्रक्शन होगा तो कौन हटायेगा यह पक्की व्यवस्था नहीं है तो इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि खर्च आयेगा उसकी वसूली उस काश्तकार से होगी उस व्यक्ति से होगी जिसने नाजायज कब्जा किया है।

टाइटिल के संबंध में 229 बी जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत दावा दायर किया जाता है लेकिन वही कागज दुरुस्ती का मुकदमा 33/39 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का दायर करते हैं । मौलिक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ से 33.39 के अन्तर्गत मुकदमा जो रेवन्यू कोर्ट में एस० डी० एम० स्तर पर चलता है और हाई कोर्ट तक चला जाता है, फिर 229 बी का मुकदमा चलता है, यह डबुल व्यवस्था है जो खत्म करना होगा ताकि जो वादकारी हैं उनको सहूलियत हो । एक तरफ की ही व्यवस्था हो अगर 33/39 हो तो वहीं फाइनल मान लिया जाए । फिर 229 बी इसमें नहीं होना चाहिए ।

आपने स्टाफ की कमी बताई । आपके एस० के० (कानूनगो) की संख्या बहुत कम है । जिससे जनता को लाभ नहीं मिलता है इसको भरा जाना चाहिए । तमाम जिले आपके नेतृत्व में ही सृजित किये गये हैं उसको कलेक्ट्रेट बनायेंगे, बन्दी गृह बनायेंगे और कुछ भी बनायेंगे, उस पर कोई व्यवस्था आपने अपने बजट में नहीं की है तो यह कैसे सम्भव है ? मान्यवर, माननीय मिश्रा जी जमींदारी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं तो एक कहावत है–जिसका सिद्धान्त लागू होना चाहिए :–

"जो हल जोते खेती वाकी,
और नहीं तो जाकी ताकी ।"

मान्यवर, कब्जा गासवाना के आधार पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह है कि जब तक उस व्यक्ति का कब्जा भौतिक रूप से न हो, लगातार न हो, विदआउट इन्ट्रप्शन हो तब तक उसको अधिकार नहीं मिलता । माननीय मिश्रा जी उसी जमींदारी व्यवस्था को दुबारा लाना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में ताकत और जमीन बने रहे पूर्वी प्रदेश में अभी भी यह व्यवस्था लागू है, हल को चलाना लोग पाप समझते हैं कुत्ते बिल्ली के नाम से जमीन है । भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वह जमीदाराना है । मान्यवर, अल्ला ताला के नाम से जमीन, कुत्ता, बिल्ली के नाम से जमीन की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए । इसके साथ ही बेनामी इन्द्राज खत्म होना चाहिए और असल मालिक काश्तकार होना चाहिए । मान्यवर, अब आप अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिए मुझे बैठना ही होगा, लेकिन इससे प्रदेश की जनता बहुमूल्य सुझावों से वंचित हो जायेगी । मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री जगदीश नारायण राय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । आज हम बहुत महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में चक मार्गों से शत-प्रतिशत कब्जा हटा देने की बात कही है । मैं बताना चाहूंगा कि चक मार्गों पर कब्जा हटाने के सबंध में प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित है, परन्तु चक मार्ग नापने के बाद धारा 115

सी में 10-10, 15-15 साल मुकदमें चला करते हैं और चक मार्ग खाली नहीं हो पाता। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चक मार्ग पर नापने के बाद धारा 115 सी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इस पर आप प्रभावशाली ढंग से कब्जा करायें, ताकि इस प्रदेश का विकास हो सके।

मान्यवर, चकबन्दी प्रक्रिया इस प्रदेश में चल चुकी है, आपने कहा कि स्टाफ की कमी है, मैं मानता हूं, लेकिन जो धारा–52 की प्रक्रिया होने के बाद टाइटल सूट के मुकदमें चल रहे हैं, उनको आप एस० डी० एम० को स्थानान्तरित कर दें, तभी इस पर जल्दी फैसला हो सकता है। आपने जोत बही की बात कही, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं और सदन का सदस्य हूं, मुझे आज तक जोत बही नहीं मिली है, जबकि चकबन्दी हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि धारा 229 बी की कोई आवश्यकता नहीं है। जमींदारी विनाश अधिनियम या उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है, 229 बी में कोई फैसला नहीं होता, इस पर आप पुनर्विचार करने का कष्ट करें।

फ्रेगमेंट बैनामे बहुत होते हैं और आपका विभाग इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, इसके भी हजारों केस चल रहे हैं और आपके नायब तहसीलदार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर घपला हो रहा है आप नायब तहसीलदार को ब्लाक भेजकर क्या उपलब्धि लेना चाहते हैं? भ्रष्टाचार तो ही ही रहा है, उसको आप और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आप नियत समय के लिये भेजिये, वह वहां जाये और केवल मुकदमों का निस्तारण करे। इसके लिये आप हफ्ते में एक-दो दिन निर्धारित कीजिये, ताकि जनता का कुछ भला हो।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, 122(4) जेड० ए० ऐक्ट अनुसूचित जाति लोगों के हित में बनाया गया था, आज इसकी पूरी कार्यवाही बंद कर दी गयी है, कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। एक बात और कहना चाहता हूं, गांव का मानचित्र नहीं बन रहा है। अपनी पुस्तिका में आपने लिखा है कि कुछ जगहों पर इसका सर्वे करा रहे हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। यदि यह सर्वे हो जाता है तो इस प्रदेश में कम से कम ला एंड आर्डर की समस्या हल हो जायेगी। ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि सैकड़ों साल से जो लोग रह रहे हैं, वह आबादी खसरा, खतौनी में आबादी दर्ज नहीं की जाती है। यदि इसे खसरा, खतौनी में दर्ज करा दिया जाय तो बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसी प्रकार यह देखा गया है कि चरागाह की जो जमीनें 50-50 एकड़ सुरक्षित कर दी गयी हैं, उस पर कानूनन कोई काम नहीं हो सकता, उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी जमीनें जो चरागाह के लिए उपयुक्त नहीं रह गयी हैं, उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, अपने कानून में अमेंडमेंट करने का कष्ट करें जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

*श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह ऐसा विभाग है जिसका सीधा सम्बन्ध किसानों से है और देश की जनता जमीनों पर जीवन यापन करती है। मान्यवर, मैं उत्तरांचल के सम्बन्ध में कह रहा हूं। वहां की भूमि संरचना अलग प्रकार की होने के कारण वहीं की भूमि की व्यवस्था अलग प्रकार की है। लेकिन मुझे खेद है कि उस प्रकार से वहां की जो स्थिति है उसके अनुसार कार्य नहीं किया गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1893 में अंग्रेजों के जमाने में जब देश के अन्दर और कुमायूं कमिश्नरी में जिसमें गढ़वाल और कुमायूं दोनों सम्बन्धित हैं, उस पर आधिपत्य किया था तो उस समय वन कानून

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अन्तर्गत 1893 में सारी भूमि वन विभाग की हो गयी और जब वन विभाग की हो गयी तो वहां आन्दोलन चले और उसके बाद अंग्रेजों ने ही सारी की सारी भूमि हमारे राजस्व विभाग को दी, वहां के निवासियों को दी और जो तीन बन्दोबस्त हुए 1924 का, 1939-40 का और 1960 का उसमें सारे परिवर्तन किये गये। 12 दिसम्बर, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी राजस्व भूमि को परिवर्तन कर दिया और जो भूमि थी वह सारी की सारी वन विभाग की हो गयी और 1980 का जो वन अधिनियम है, उसके ऊपर जो परिवर्तन हैं, लाये गये। लेकिन विभाग ने उत्तरांचल के सम्बन्ध में, अपने अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई आब्जेक्शन नहीं किया और कोई व्यवस्था नहीं की है।

मान्यवर, मेरा मानना है, 1893 का ऐक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया जिसमें तीन बन्दोबस्त हुए और इन तीन बन्दोबस्त के बाद सारी भूमि का जो हम विकास के कार्य करते हैं, सड़क बनाते हैं, सारी व्यवस्था होती है और अब वह न होकर के सारी वन भूमि हो गयी है और 107 साल बाद वह पुराना कानून लागू कर दिया गया। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से, मैं समझता हूं कि उनको ज्ञान भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी वजह से उत्तराखण्ड में राजस्व विभाग का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसका परीक्षण कर ले और माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस बात को भी कहें। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर और सुप्रीम कोर्ट में परस्यू करके हमारे अधिकार सुरक्षित कर दिये जायें। उसके बाद जो वहां पर हमारे पहाड़ में ये जो बन्दोबस्त हैं, 1960 में हुआ था, उसके बाद में नहीं हुआ है मैं चाहता हूं कि भूमि बन्दोबस्त किया जाये। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप का भूमि हदबन्दी कानून जो है, तराई में, हमारी तराई भाभर में आज लोग रह रहे हैं, वहां पर बड़े-बड़े भू-माफिया हैं और उनके पास हजारों एकड़ की भूमि है, उसको लागू करायें। जो गैर कानूनी कब्जे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर इनमें साहस है तो जो आज से 50 साल तक नहीं हो पाया, उस तराई में जो अवैध कब्जे हैं, सरकारी भूमि पर हैं, थारू की भूमि पर हैं, उस भूमि से उनको हटायें। मान्यवर, पहाड़ों में एक त्रासदी हो गयी वहां पर 2 भूकम्प आये और वहां पर अतिवृष्टि और भूस्खलन हुआ। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने राहत दी है मैं बताना चाहता हूं कि आज भी वहां पर ऐसे गांव हैं जो रहने के लायक नहीं रह गये हैं। इन गांवों के बारे में वहां के अधिकारियों ने लिखकर दिया है कि इनको अलग बसाया जाय लेकिन उन गांवों के लोगों को अलग बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वहां पर गांव के गांव नष्ट हो गये हैं। वहां पर इतनी भयंकर घटना हुई कि हरिद्वार के भी बह जाने का खतरा हो गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सारी व्यवस्थायें पटवारी रेवेन्यू पुलिस के माध्यम से की जाती है। मंत्री जी ने कहा कि चौकियां बना रहे हैं। पहाड़ में राजस्व विभाग ही खतरे में पड़ गया है। वहां पर जिसको लाक अप में रखा जाता है उसको 7 रुपये दिया जाता है लेकिन पटवारी के चपरासी को कोई वर्दी और कुछ नहीं दिया जाता है। वहां पर पटवारियों ने 7 महीने तक हड़ताल की है। उनकी मांगों को पूरा किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर,मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें तो जो मैंने 1893 का रेफरेन्स दिया है उसके बारे में उत्तर जरूर दें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो फुटकर बोलने वाले हैं उनको आप कितना समय दे रहे हैं बता दें ताकि उसी के अन्दर अपनी बात रखें।

श्री अधिष्ठाता–

सत्ता पक्ष से 7 नाम आये हैं और विपक्ष से 20 नाम आये हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष का समय बराबर-बराबर 45-45 मिनट है । तो कितना समय मिलेगा, करीब ढाई-तीन मिनट मिलेगा । इसी में आप समाप्त कर लें ।

*श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, राजस्व विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है । यह जो पुस्तिका मिली है इसको मैंने बड़े गौर से देखा और माननीय मंत्री जी ने बजट में जो चीजें दर्शायी हैं उनमें बहुत सी चीजों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । वैसे तो माननीय राजस्व मंत्री जी की विद्वता के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है और न मुझे इसमें कोई आशंका है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अभी मैं देख रहा था, तो जो यह पुस्तिका है इसके पेज नम्बर 13 पर मंत्री जी ने ग्राम समाज की भूमि पर से अवैध कब्जों को हटाने के आंकड़े दशार्य हैं । मंत्री जी ने 33502.910 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे दिखाये हैं, जिसमें से 12963 मामलों के माध्यम से 1049.979 हेक्टेयर भूमि पर से अवैध कब्जे हटाये गये हैं यह मान्यवर, कुल भूमि के 1/3 से भी कम है । जब मंत्री जी के संज्ञान में आ गया कि 33502 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे हैं तो उसमें तत्परता से कार्यवाही होनी चाहिए थी ।

मान्यवर, मंत्री जी ने भूमि आवंटन के बारे में भी प्रगति की है । 98-99 में 10 हजार हेक्टेयर के सापेक्ष 13498 हेक्टेयर और 1999-2000 में 10 हजार हेक्टेयर के सापेक्ष 13398 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी है । लेकिन इसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि किसको एलाट की गयी है क्योंकि भूमिहीन इस प्रदेश में आई० ए० एस० भी हैं जिन्होंने जमीनों के पट्टे लेकर डाल रखे हैं । इस देश के व्यापारी भी भूमिहीन हैं और बड़े-बड़े किसान भी भूमिहीन हैं और उनके बाद गरीब आदमी का नम्बर आता है । माननीय मंत्री जी मेरे ही जनपद के हैं । मंत्री जी के संज्ञान में है कि बहुत सी जगहों पर आई ए एस अफसरों ने पट्टे ले रखे हैं । वैसे तो आपने 134 प्रतिशत आवंटन किया है लेकिन इसमें कितने आई ए एस, कितने व्यापारी या कितने भूमिहीन गरीब किसान हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है । यह भी उल्लेख नहीं है कि उनको कब्जा दिया गया है यह आवंटन केवल कागज पर हुआ है । हमारे यहां पट्टे तो हो जाते हैं लेकिन कब्जा लेने कोई नहीं जाता है । मंत्री जी की खुद जानकारी में है और मेरी भी जानकारी में है कि इस देश के सीनियर आई ए एस अधिकारियों ने गौतमबुद्ध नगर और बुलन्दशहर में पट्टे ले रखे हैं लेकिन उनका कोई उल्लेख इसमें नहीं है । पेज नं० 11 पर मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से मुख्य देय और विविध देयों के आंकड़ों को दर्शाया है । मान्यवर, 1997-98 में 145.22 करोड़ रुपये मुख्य देयों की वसूली हुई थी और 98-99 में 148.51 करोड़ रुपये की मुख्य देयों की वसूली हुई थी और 99-2000 में 144.17 करोड़ रुपयों की मुख्य देयों की वसूली हुई थी । लेकिन इसके साथ विविध देयों में जहां मंत्री जी का विभाग दादागिरी करता है वहां अच्छी प्रगति की है । मान्यवर, मंत्री जी के विभाग ने जो दूसरे विभागों की वसूली किया है उसमें 778.68 करोड़ रुपया वसूल किया है । लेकिन अपनी वसूली जिसका सारा पैसा विभाग को मिलता उस पर आपने कम ध्यान दिया है ।

मान्यवर, भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक 2000-2001 राजस्व विभाग के पृष्ठ 17 पर कहा गया है लेकिन उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है जिसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं, आप देखें, भूमि स्वामी के हितों को शासन/निदेशालय द्वारा विशेष रूप से ध्यान में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रखते हुए उनको अपनी भूमि का प्रतिकर का तत्परता से भुगतान हेतु शासन/निदेशालय द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रतिकर की धनराशि प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाय। मान्यवर, अब आप देखें प्रतिकर की धनराशि कैसे प्राप्त होगी इसका कहीं उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सारे लोगों ने जमीन अधिग्रहण किया है, मंत्री जी वकील के रूप में बुलन्दशहर में कार्य कर चुके हैं इसलिए उनकी जानकारी में है कि वहां कितनी कठिनाइयां हैं कि भुगतान सही समय पर नहीं हो रहा है और किसान हाईकोर्ट तथा न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं। मंत्री जी ने घोषणा किया था कि प्रति वर्ष 15 प्रतिशत प्रतिकर में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा था। इस वर्ष जो मुआवजा दिये जा रहे हैं उसमें किसानों को बढ़ी दरों से मुआवजा नहीं मिल रहा है। ब्याज जो लग जाना चाहिए वह नहीं लगाया जा रहा है और किसान परेशान होकर इधर-उधर घूम रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा में किसानों को मुआवजा सरकार दे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने मुआवजा देने के लिए 40 करोड़ रुपये दिया था लेकिन वेतन देने के लिए पैसा नहीं था इसलिए उस धनराशि को वेतन बांटने में लगा दिया और किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया।

मान्यवर, नये जिले से सम्बन्धित मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 15 जिले और 5 मण्डल नये बनाये गये हैं लेकिन उनका इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। मंत्री जी से स्वयं भी मैंने निवेदन किया था और कई बार यहां भी ध्यान आकर्षित किया है लेकिन आज तक पिछले तीन वर्षों से मंत्री जी परिसीमन कमेटी के इंचार्ज हैं किन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब वहां चुनाव होने जा रहे हैं और ब्लाक प्रमुखों के भी चुनाव होंगे किन्तु अभी ब्लाकों का सृजन नहीं हो पाया है। 150 ग्राम सभायें हैं, ब्लाकों का सृजन होना है और जिला हेडक्वार्टर बनाया जाना चाहिए किन्तु रोक लगा दिया है कि जिला हेडक्वार्टर अभी विचाराधीन है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र की 36 ग्राम सभाओं और एक कस्बे का परिसीमन रह गया है। मान्यवर, गौतमबुद्ध नगर जिला बना दिया गया है लेकिन उसके आकार को चौकस नहीं किया गया है जिससे वहां जेवर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में अधिकारीगण नहीं पहुंच सकते हैं। कई-कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां यदि आग लग जाय तो फायर ब्रिगेड तक नहीं जा सकते हैं। कोई मेन रोड, स्टेट सेक्टर की रोड नहीं है जिससे आवागमन के लिए कठिनाई होती है। इसलिए बजट में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहां रहेगा और कहां-कहां ब्लाक होंगे ? इससे मुझे आपत्ति है। इसी के साथ श्री लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूरे प्रदेश में आज राजस्व वादों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। गांवों में बेहद गरीबी और अमन-चैन कायम न होने का मुख्य कारण है तो वह मुकदमेबाजी है। पूरे प्रदेश में प्रतिवर्ष जिला स्तर पर 8 लाख मुकदमें आ रहे हैं जिनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। कारण मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की बेहद कमी है। तहसील स्तर पर अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं। लोक अदालत अभी सिर्फ सूबे तक है, इसकी व्यवस्था जिले तक होनी चाहिए। गांवों में जो सबसे बड़ा विवाद है वह आबादी की जमीन को ले करके है क्योंकि आबादी की जमीन की नम्बरिंग नहीं होती, वैसे ही बांट दी जाती है और आये दिन उसमें विवाद खड़े होते रहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आबादी की जमीन की नम्बरिंग अवश्य की जाय। जो जमीन दलित या कमजोर वर्ग के नाम पर पट्टा हो जाये तो तुरन्त कब्जा दिलाया जाये और पट्टे के बाद यदि कोई विवाद होता है तो निर्णय होने तक दलित का कब्जा ही बना रहना चाहिए। पट्टा देते समय भूमिहीनों में दलित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसके बाद पिछड़े वर्ग को फिर अल्पसंख्यक को उसके बाद सवर्ण को मिलनी चाहिए। जोत बही पूरे सूबे में सबके

पास नहीं है उसे तेजी से बंटवाया जाये । राजे-रजवाड़ों और मठों के पास काफी जमीनें हैं, एक-एक मठ के पास 10-10 हजार एकड़ जमीन है उनको भी 18 एकड़ के अन्दर लाया जाना चाहिए ।

दैवी आपदा की बात माननीय मंत्री जी ने कही है एक-आध को 1500 या 1000 रुपया दे देते हैं नहीं तो सबको 500 रुपया दे करके छुट्टी पाने का काम करते हैं । 500 रुपये में क्या होता है ? आज 150 रुपये में एक बांस भी नहीं मिलता है । दैवी आपदा का जो रकम है उसको महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए । आदमी के मरने पर केवल 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दे रहे हैं यह राशि भी बढ़ायी जानी चाहिए । ताल, पोखरों का ठेका बड़े-बड़े लोगों को दिया जा रहा है, वह गरीब आदमियों को दिया जाना चाहिए । लुहार, सोनार, भर, पासी इनके पास जमीन नहीं है । कुम्हार जमीन से मिट्टी निकालकर आंवे का बर्तन बनाने का काम करता है उसको कुछ जमीन का आवंटन हो जाये तो अच्छा रहता है । भानपुर सोनहा तहसील का गठन 1990 में हुआ, उसके लिए हमने पता नहीं कितनी बार लिखा लेकिन हमेशा वित्तीय संसाधन की कमी कह करके जवाब दे दिया जाता है । तब से पता नहीं कितनी नई-नई तहसीलें बनीं । सोनहा भानपुर तहसील का निर्माण भी माननीय मंत्री जी करने का कष्ट करें । इसी के साथ माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं ।

*श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, राजस्व विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा जो किसान सेवा केन्द्र की स्थापना तथा तहसील दिवस के जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं इसमें शोषित, पीड़ित, असहाय लोगों के मामलों का निपटारा किया जाता है । कुछ कमियां थीं, उन कमियों को सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी ने एक सुधार कमेटी गठित करने की बात कही है । इस कमेटी के गठित हो जाने के बाद जो कमियां थी उसका भी निवारण हो जायेगा । मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने किसान बही की अनुपयोगिता, भूमि आवंटन, तालाब इन सारे बिन्दुओं पर प्रकाश डाला । किसान बही की उपयोगिता है आज किसान की पूरी प्रापर्टी किसान बही पर अंकित है चाहे किसी मुकदमें की जमानत के लिए हो या इन्तखाब की आवश्यकता हो वहां भी उपयोगिता है । वर्मा जी ने भूमि आवंटन के संबंध में आंकड़े दिये कि वर्ष 1997-98, 98-99, 99-2000 में क्रमशः कम आवंटित हुई । चकबन्दी हर साल तो होती नहीं विगत 25 वर्षों पूर्व जो जमीन आबादी की छूटी हुई थी वह जमीन हर साल आवंटित होती गई जब आवंटित होती गई तो जमीन कम होती गयी रकबा घटता गया जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं वह उपयुक्त नहीं है । चकरोड के विषय में बताया गया विगत वर्ष राजस्व मंत्री के निर्देश पर एक अभियान चलाया गया था जो चकरोड पर अतिक्रमण किये हैं उसको हटाने के लिए अभियान के रूप में चकमार्गों का अतिक्रमण हटाया गया है । कुछ चकरोड ऐसे रह गये हैं । मैं निवेदन करता हूं कि उसको अभियान के रूप में लेकर हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

दैवी आपदा की बात हुई मुझे इस पर एक निवेदन करना है जो मकान जल जाते हैं तो दैवी आपदा राहत में उसको 1000 रुपये 500 रुपये आदि की व्यवस्था है शासन की यह व्यवस्था है कि जिनके आवासीय मकान जलेंगे उनको सहायता मिलेगी जिनके अनावासीय मकान जल जायेंगे उनको सहायता नहीं मिलेगी । फर्ज के लिए आवासीय जिसमें भोजन बनता है उसको आवासीय मान लिया जाता है एक छप्पर है उसके नीचे भोजन बनता है तो उसको आवासीय मानकर एक हजार दो हजार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपए दे दिये जाते हैं लेकिन जो एक लाख दो लाख रुपए का मकान जल जाता है उसको सहायता के रूप में एक पैसा नहीं दिया जाता है इसमें विसंगति है इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ।

परतावल बाजार तहसील कस्बा करने के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ाई जारी है । हमारे यहां से तहसील मुख्यालय 45 कि०मी० दूर है विकास के लिए छोटे-छोटे जिले बनाये जाते हैं, छोटे-छोटे प्रदेश बनाये जाते हैं हमारा क्षेत्र तहसील मुख्यालय से 45 कि०मी० दूर है अतः निकटवर्ती तहसील की आवश्यकता है मंत्री जी से निवेदन है कि जब वह अपना उत्तर भाषण देंगे तो सम्भव हो तो नई तहसील की घोषणा करें तो अच्छा रहेगा ।

गांव की हदबन्दी करने के संबंध में विगत वर्ष में बजट में चर्चा आयी थी इसी कारण गांव में खूंटे गाड़ने नाली बनाने आदि के विवाद पैदा होते हैं । गांव की हदबन्दी कराने की योजना विगत वर्ष चर्चा में आई थी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांव की समस्याओं के समाधान के लिए गांव की हदबन्दी कराई जाए ताकि गांव के रहने वाले लोगों में विवाद समाप्त हो । एक निवेदन और है पार्ट बैनामा पर सरकार ने रोक लगाई है उसके बावजूद पार्ट बैनामा होता है या तो सरकार इस पर लगी रोक को हटा दे या पार्ट बैनामा की दाखिल खारिज करना शुरू कर दे पार्ट बैनामा किसान कराता है उसकी दाखिल खारिज नहीं हो पाती है अगर दाखिल खारिज होती है तो हम सब लोग जानते हैं उसमें अनियमितता होती है । अतः सरकार पार्ट बैनामा के सम्बन्ध में आदेश वापस ले तथा पार्ट बैनामा की दाखिल खारिज करने के लिए निर्देश करे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने मुझे श्री लाल जी वर्मा द्वारा कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आज प्रदेश में गरीबों, किसानों और दलितों का अगर कोई शोषण कर रहा है तो वे हैं लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार । इस सरकार ने किसान बही पर जो मूल्य अंकित किया है उससे अधिक मूल्य लेकर किसानों को बही दिया जा रहा है जिससे उनका शोषण हो रहा है । सरकार ने तहसील दिवस के अवसर पर दस दिन में समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था की है लेकिन आज इस तहसील दिवस के अवसर पर किसानों, दलितों, मजदूरों और पिछड़ों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता बल्कि शोषण किया जाता है और हमारा किसान इन खातेदार, काश्तकार, कानूनगो, लेखपाल का शिकार होता है । लेखपाल को कहा जाता है कि चक रोड खाली कराओ तो वह गांव में जाकर आपसी विवाद पैदा करके अवैध धन की उगाही करता है । मेरी निश्चित जानकारी है कि मेरे जनपद गोण्डा में एक भी चकरोड खाली नहीं हुई है वहां गरीबों का शोषण हो रहा है । वहां ग्राम समाज की जमीन पर दलित समाज के लोगों का कब्जा है उनको पट्टा कर दिया जाय । वहां लेखपाल और कानूनगो गरीबों का शोषण कर पट्टा किसी और को दे देते हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आवास विहीन हैं उनको पट्टा दिया जाय लेकिन आज दलितों को पट्टा न देकर ऐसे लोगों को पट्टा दिया जाता है जिनके पास आवास है जो काश्तकार हैं ।

हमारे क्षेत्र में भटौरा ग्राम में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है फिर भी उसे हटवाया नहीं गया । पिछले विधान सभा सत्र के दौरान भी विधान सभा प्रश्न के माध्यम से मैंने यह बात कही थी लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई । मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कराया था कि ग्राम सभा की भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों का कब्जा है जिससे वहां गांव में आक्रोश व्याप्त है । मान्यवर, अम्बरपुर में सीलिंग की 156 एकड़ भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को पट्टा कर दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया लेकिन जो गरीब हैं उनको पट्टा नहीं किया गया । इसकी जांच भी हुई और जांच में वे प्रभावशाली लोग दोषी भी पाये गये लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । जिस कारण गांववासियों में रोष व्याप्त है । मैं अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं कि मनकापुर तहसील का भवन का निर्माण करा दिया जाय । मैं इस कटौती का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं श्री लालजी वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज इस देश की 90 फीसदी आबादी के लोग खेती, किसानी पर निर्भर करते हैं और गांव में निवास करते हैं । एक पुरानी अवधारणा के अनुसार उत्तम खेती निकृष्ट चाकरी । लेकिन आज वर्तमान हालात में किसान को सबसे निकृष्ट श्रेणी में गिना जा रहा है । उसे अनपढ़, गंवार और असभ्य की संज्ञा से सम्बोधित करते हैं । जो लोग हाथ से खेती करते हैं और हल चलाते हैं तो ऐसे लोगों के पास भूमि रहनी चाहिए । जो लोग यह भी नहीं जानते कि खेत में गन्ना बोया जाता है या गुड़, ऐसे लोगों के नाम पर खेती है । इसलिये मेरा कहना है कि जो लोग खेती को जानते हैं, उनके हाथ में खेती जानी चाहिए। जब गांव का किसान खुशहाल होगा तभी देश और प्रदेश में खुशहाली आयेगी । कानून में तमाम संशोधन होते हुए भी जो व्यावहारिक स्वरूप है, उसमें जो अड़चनें और परेशानियां हैं, उसे राजस्व मंत्री जी स्वयं जानते होंगे । जो टुकड़ों में खेती का बैनामा होता है, जमींदारी एबोलिशन एण्ड रिफार्म ऐक्ट की धारा 168(ए) में किसी बड़े खेत का अगर कोई टुकड़ा होता है तो वह बैनामा शून्य होता है, जो जमीन गांव सभा में वैस्ट होनी चाहिए । एक खेती का टुकड़ा अगर किसी आदमी ने खरीद लिया तो उसकी दाखिल खारिज नहीं होता है लेकिन एक किसान के 5 लड़के हैं और उस किसान की मृत्यु हो जाती है तो उन चार लड़कों के पक्ष में दाखिल खारिज हो जाती है इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर कोई कम पैसे वाला बैनामा कराना चाहता है तो मूल काश्तकार के साथ सह-खाता दर्ज होना चाहिए । यह कानून में संशोधन होना चाहिए । वैसे भी दाखिल खारिज कहीं रुक तो नहीं रही है, भले ही वह 168(ए) के विरुद्ध हो रही हो । 100–200 रुपए लेकर तहसीलदार कर देता है और इसमें 5-6 हजार रुपए लेकर दाखिल खारिज कर देता है । जिन तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का ट्रांसफर होने लगता है तो वह फ्रेगमेंटेशन की फाइलें मंगवाकर दाखिल खारिज कर देते हैं । जब यह सारी चीजें हो ही रही हैं तो किसान अपना 8–10 हजार रुपया क्यों खर्च करे इसलिए आप कानून में संशोधन लायें ।

श्रीमन्, चकबन्दी की प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है । बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर एस० ओ० सी० और बी० डी० सी० नहीं हैं जैसे जनपद जालौन में ही 8 हजार मुकदमें काफी लम्बे समय से लम्बित हैं वहां न एस० ओ० सी० है न डी० डी० सी० है, जिससे किसान सफर करता है इसलिए लम्बित वादों को निपटाने के लिए आप अधिकारी तैनात करें । डे-टू-डे सुनवाई करें, कैम्प लगवायें, डे-टू-डे 8–10 दिन लगातार सुनवाई करें तो निश्चित रूप से ये वाद 3 महीने से ज्यादा लम्बित नहीं रह सकते हैं यदि एक बार निर्णय हो जायेगा तो किसानों को परेशानी नहीं होगी । बुन्देलखण्ड क्षेत्र की एक विडम्बना है आज भी वहां पर 200 और 250 एकड़ के कास्तकार हैं जबकि 18.75 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए । आखिर यह क्या सरकार की गैर जानकारी में है वहां आज भी कुत्ते बिल्लियों के नाम पर बैनामी ट्रांजिक्शन तमाम नौकर चाकर के नाम है ? जब वे नौकर चाकर कहीं लापता हो गये तो उनकी जमीन की वसीयत कास्तकारों के रिश्तेदारों के नाम हो गई। यह धन और धरती बढ़कर रहेगी यह उत्तर प्रदेश में कब सपना साकार होकर रहेगा जिनके पास

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सैकड़ों जमीन है वे छिपाये हुए हैं । इसलिये नियमों में कानून में संशोधन होना चाहिए । सीलिंग की जमीन में बहुत सारे बाग, अब तो यह कहा जाता है कि सीलिंग से जिसकी जमीन निकली हो वह जीवन भर लड़ता रहे, जमीन नहीं जा सकती है । बहुत से लोग आज भी इस वाद में कोर्ट में हैं । मेरा महत्वपूर्ण सुझाव माननीय मंत्री जी को यह है कि ऐसे सीलिंग के वाद जो वर्षों से लम्बित हैं एक विशेष न्यायालय का गठन करके डे-टू-डे सुनवाई हो प्रतिदिन अदालत लगाई जाय जिससे यह मुकदमें साल भर, छः महीने में निपट सकते हैं । दूसरी बात यह कि जो सीलिंग से जमीन निकलती है बहुत सी जमीन सीलिंग से निकल कर 167जेड (ए) के अन्तर्गत खतौनी में राज्य सरकार की जमीन के रूप में लाल स्याही से अंकित हो गई । जिस कास्तकार की जमीन निकलती है वह कोर्ट के चक्कर लगाता है और स्टे लेता है । हाईकोर्ट के आदेश को देखकर तहसीलदार के हाथ पैर फूलने लगे.....

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप करें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं राजस्व का वकील हूं । मैं ही सुझाव नहीं दूंगा तो बतायें कैसे होगा ? दो मिनट का समय और दे दें । मान्यवर, हदबन्दी की प्रक्रिया में एक कास्तकार अपनी भूमि की पैमाइश के लिए दरख्वास्त देता है वहां पत्थर गद्दी से पैमाइश हो जाती है । बाद में पड़ोस का किसान उस पत्थर गद्दी को गिराकर कब्जा कर लेता है । एस० डी० एम० के पास जब वह कास्तकार जाता है तो वह कहते हैं कि तहसीलदार से हदबन्दी करवाइये । इसके लिये कानून में संशोधन करें । सीमांकन और पत्थर गद्दी हो जाने के बाद जो उसको हटाता है कब्जा करता है उसे जेल भेजने या जुर्माना की व्यवस्था करें । दूसरी बात यह है कि मान्यवर, बहुत से मामले ऐसे आपकी भी जानकारी में आये होंगे जहां कास्तकार ऐसे हैं जिनके लड़का या लड़की कोई नहीं है उन कास्तकारों को जिन्दा ही मरा दिखाकर उसकी जमीन हड़प ली जाती है और उसके बाद उस कास्तकार की हत्या कर दी जाती है । मान्यवर, उन्नाव का एक मामला है एक महिला जिन्दा है उसको.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । सबको 5 मिनट दिया है आपको 8 मिनट हो गया है । अंब कृपया समाप्त करें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, एक जालौन का किस्सा है । मान्यवर, ऐसे लोग जो जिन्दा हैं उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से दाखिल खारिज कर रहे हैं उसके लिये भी कानून में संशोधन की आवश्यकता है । मान्यवर, नदियां हैं जिनकी धारा प्रति वर्ष बदलती रहती है अभी इस किनारे को काटती है कभी उस किनारे को काटती है उससे जो जलमग्न भूमि निकलती है उसके लिए दो मौजों के बीच विवाद होता है, आये दिन लाठी गोली चलती है । आप कोई नियम बनायें ताकि भविष्य में इस तरह का विवाद न हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पिछले दिनों इसी सदन में टूण्डला काण्ड की चर्चा हुई और राजस्व परिषद् के चेयरमैन से उसकी जांच की बात आई थी । मान्यवर, उस जांच के आदेश कब निर्गत होंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट मेरी बात सुन लें । व्यवस्था का प्रश्न होता है वह एक मद के खत्म होने के बाद दूसरी मद के शुरू होने के बीच में कर सकते हैं । इसलिये इस बजट के बाद जब दूसरा बजट शुरू हो आप अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

*डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने राजस्व जैसे महत्वपूर्ण बजट पर भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए आपको हृदय से बार-बार धन्यवाद देता हूं । अभी हमारे विपक्ष के साथी जो इसके पहले सरकार में रह चुके हैं हमारी सरकार के किये गये कार्यों के बारे में तमाम तरह की बातें बता रहे थे । मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं :––

आपने जो भी किया था सभी को वह पता है
है अक्षम्य उस समय जो किया खता है
मजबूर मत करो कि बोलना शुरू करें
हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है ।।

खाईं जो किया आप, उसे पाट रहे हैं
दुख लूटकर जनता के,हम सुख बांट रहे हैं
अबभी जो कुछ यहां पर भ्रष्टाचारी बचे हैं
खोज-खोज कर उन्हें हम छांट रहे हैं ।।

सबका हो उत्थान मेरा संकल्प यही है
छेड़ा है जो अभियान समय अल्प नहीं है
कोई कितनी कोशिश करे सफल नहीं होगा
भाजपा का अब यू० पी० में कोई विकल्प नहीं है ।

गरीबों के लिए बना है वरदान ये बजट
दलितों का करेगा उचित उत्थान ये बजट
राहत त्वरित, मरे जो दैवी आपदा में हैं
देगा मदद जमीन और मकान ये बजट ।।

भूमि भवन दे रहे व्यवसाय के लिए
सस्ता सुलभ सही और शीघ्र न्याय के लिए
पांच सौ पचास ब्लाकों पर तहसील न्यायालय
गुंजाइश न रहेगी किसी अन्याय के लिए ।

मिट्टी हेतु पट्टा दे रहे कुम्हारों को श्रीमन्
तालाब मछली हेतु भी मछुआरों को श्रीमन्
पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण के जरिए
पट्टा कमजोर, गरीब काश्तकारों को श्रीमन् ।।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा

सरल दाखिल खारिज की हमने प्रक्रिया किया
वरासत में हो न देर, दूर आपत्तियां किया
चकबन्दी युक्त गांवों को ही छोड़कर श्रीमन्
सभी किसानों को किसान बही दिला दिया ।

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी को मैं बधाई देते हुए अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी ने कुम्हारों, मछुवारों के लिए शासनादेश जारी कर, आपने निजी पेशा को बढ़ावा देने के लिए पट्टा दिया है किन्तु खेद है कि इसी समाज में आपके निजी पेशे में लगे अनुसूचित जाति के धोबी जाति के लोग हैं, कपड़ों की धुलाई के लिए जिन तालाबों गड्ढों का प्रयोग अपने दादा-बाबा के जमाने से करते चले आ रहे हैं मान्यवर, उन तालाबों, गड्ढों को धोबी घाट के रूप में पट्टा करने हेतु शासनादेश जारी करने की आज ही सदन में घोषणा करने की मैं मांग करता हूं ।

मान्यवर, मेरे जनपद में 1996 में भूमि अध्याप्ति इकाई की स्थापना की गई जिसे साजिश के तहत समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जो उचित नहीं है, डी० एम० भदोही व कमिश्नर विन्ध्यांचल मण्डल की रिपोर्ट के अनुसार मानक से काफी ज्यादा इकाई के पास काम है किन्तु भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा कम काम दिखाकर शासन को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है । मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी भदोही से भूमि अध्याप्ति इकाई समाप्त नहीं किया जाए कृपया सदन में घोषणा करने की कृपा करें ।

मान्यवर, भदोही में अहमदपुर फुलवरिया के 82 अनुसूचित जाति के गरीब मजदूरों की भूमि, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेश के विरुद्ध जबर्दस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है । इसकी पुनः जांच कराकर दलितों को भूमि वापस करने की कृपा करें । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से भदोही में दुर्गागंज को ब्लाक और सुरियावां को तहसील घोषित करने की भी मांग करता हूं । हम विपक्ष से कहना चाहूंगा कि––

दिल में है कि समाज में हम कुछ नया करें
सब लोग कहते अपने मुंह हम क्या बयां करें
जनता सराहती हमें शाबाशी दे रही
अब तुझे मिर्ची लगे तो हम क्या करें ।।

अन्त में यही कहूंगा कि–

आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं लगते लालची
रहते सचेष्ट नित्य, नहीं लगते आलसी
दलितों, गरीबों की सदा दुहाई देते हैं
फिर भी कटौती कर रहे क्यों भाई लालजी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय लालजी वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत बढ़ चढ़कर के आंकड़े दिये हैं मैं उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि वह सही नहीं हैं । मान्यवर, इस प्रदेश में मछुआ समुदाय एक करोड़ की संख्या में रहते हैं और नदियों और झीलों के किनारे जो लोग रहते हैं

उनकी भी भारी संख्या है । मान्यवर, मत्स्य पालन के लिए दस वर्षीय पट्टे का शासनादेश है । माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में इस वित्तीय वर्ष में केवल 2 हजार तालाबों का प्रट्टा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि बहुत कम है । मान्यवर,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह शासनादेश बहुत दिनों से चल रहा है । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि प्रदेश में कुल कितने तालाब हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है और अब तक कितने तालाबों का पट्टा दस वर्षीय मत्स्य पालन हेतु किया गया है । कुल क्षेत्रफल क्या है और कितने तालाबों, पोखरों और जलाशय का क्षेत्रफल बाकी है । आगामी कितने वर्षों में उनको मत्स्य पालन का पट्टा दिया जायेगा ?

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि नदियों में मत्स्य आखेट की नीलामी की जाती है वह मछुवारों को नहीं दी जा रही है । हमारा निवेदन है कि मछुआ समुदाय को उसका लाइसेंस दिया जाय । मान्यवर, बाढ के समय नाविक अपने तन मन धन से रक्षा करते हैं लेकिन राजस्व विभाग की तरफ से उनको नाविकों को किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा है । बरसों तक उसे तहसील में दौड़ना पड़ता है । मान्यवर, वनवासी समाज के लोग, जो समाज के सबसे गरीब हैं उनकी बस्तियों को आबादी दर्ज नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वनराजा मुसहर जातियों का सर्वेक्षण करायें और इनकी बस्तियों को आबादी दर्ज किया जाय । चकबन्दी के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि मान्यवर, चकबन्दी लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश का पांचवां द्विवार्षिक अधिवेशन 12-4-99 को हुआ था माननीय मंत्री जी भी वहां पर गये थे उनकी मांग थी उसके ऊपर विचार करके दो निर्णय लिये गये थे । एक तो चकबन्दी प्रक्रिया को और अधिक जनपयोगी बनाने हेतु मैनुवल में संशोधन हेतु समिति गठित कर दी जाय और दूसरा लेखपालों का स्थानान्तरण मण्डल में किया जाय । विशेष परिस्थितियों में बाहर किया जाय । इस संबंध में राजस्व अनुभाग–8 से 15 मई को शासनादेश हुआ लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व ग्राम केसरूआ बुजुर्ग, बरांव ककराही के चकबन्दी रिकार्ड 10 वर्ष हुए चोरी हो गये थे तो उनके रिकार्ड पुनः तैयार कराये जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब बहुत हो गया है कृपया समाप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । तो जो रिकार्ड चोरी चले गये वह नये रिकार्ड बनवाये जाएं दूसरे मान्यवर, गांव सभा की जमीन यदि घटती है तो अधिकारी दण्डित किये जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें मैंने गोरखनाथ पाण्डेय जी को बुला लिया है ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, नया रेवेन्यू कोर्ट बनाया जाये विधान सभा की प्रवर समिति ने उसका अध्ययन भी किया था । दूसरे वे गांव बीकापुर, तेंदुवामाफी, नन्दरौसी, बिलारी माफी, नासिरपुर मूसी रामपुर परेई, सीका, नरोत्तमपुर, तहसील बीकापुर जहां चकबन्दी की विज्ञप्ति निरस्त हो गयी है वहां चकबन्दी पुनः कराई जाये ।

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जिसमें अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर किसान के रूप में गांव में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी इंसान के रूप में निवास करते हैं और इन सबका सीधा सम्बन्ध राजस्व विभाग से है। माननीय मंत्री जी ने सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा बजट इन सबके हित में रखा है। इस तरह से गांव में रहने वाले किसानों की कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं चाहे किसान की बही की बात हो, तहसील दिवस में आने वाले छोटे-छोटे मामलों का निपटारा करके, जो लोग उन्हें झोपड़ी से उनके कच्चे घरों से बेदखल किया करते थे, उसमें व्यवस्था दे दी है। किस तरह से राजस्व मामलों में जो बन्दी जाये जाते थे, उन्हें कुछ कठिनाइयां होती थीं, बन्दी गृहों का निर्माण करके, राजस्व में वसूली की भी आपने एक नयी व्यवस्था देते हुए बताया कि 111 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है। चकबन्दी को भी आपने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है।

मान्यवर, मेरा जनपद संत रविदास नगर एक नवसृजित जनपद है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो तहसील ज्ञानपुर के नाम से जाना जाता है। वहां से मुख्यालय की दूरी ग्रामीण अंचल से 55–60 किलोमीटर पड़ती है। किसानों को अपनी समस्याओं के निबटारे हेतु मुख्यालय आना पड़ता है। इतनी दूरी का उन्हें नाजायज भाड़ा देना पड़ता है। मान्यवर, इसलिये अनुरोध है कि कोई रोना नाम से तहसील प्रदान करें और लोगों को सुविधा प्रदान करें। मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहां दीघ ब्लाक है वहां के गांववासी चकबन्दी से वंचित हैं गांव के किसान चाह रहे हैं कृपया वहां चकबन्दी कराने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं प्रश्नों के माध्यम से भी संज्ञान में लाया हूं,ऐसे गांव जो चकबन्दी के स्तर पर हैं किन्हीं मामलों से वंचित हो गये हैं उनको आप देखने का काम करेंगे। मान्यवर, भूमि अध्याप्ति कार्यालय वहां बहुत आवश्यक है इसका कार्यालय ज्ञानपुर से भदोही न किया जाये। ज्ञानपुर में ही रहने दिया जांये। वहां काम भी है। मान्यवर, नया जिला है मुख्यालय भवन का शिलान्यास हो चुका है कुछ धन भी दिया गया है, कुछ कठिनाइयां आ रही हैं उसके निर्माण में तो जो भी कठिनाइयां आवें उसे शासन स्तर पर त्वरित गति से हल करते हुए उसे पूर्ण कराने का प्रयास करें। हमारा जो नया जिला है वह वनारस से अलग हुआ है और अभी बहुत सारे आफिस वनारस से ही अटैच हैं, सारे आफिस का कार्य अगर मुख्यालय पर कर दिया जाता है तो इससे जनता को सुविधा मिलेगी और अपनी समस्या का निपटारा करने में सहयोग मिलेगा। मान्यवर, डीडीसी आफिस बनारस में है उसका मुख्यालय ज्ञानपुर में परिवर्तित कर उनको वहीं बैठने का आदेश दें। सादोपुर न्याय पंचायत है जो कि ज्ञानपुर से लगी हुई है परन्तु उसको वहां न रखकर 15 किलोमीटर दूर भदोही से अटैच किया गया है उसे ज्ञानपुर से सम्बन्धित कर दिया जाय। एक सुझाव देना चाहता हूं गांव में आये दिन गर्मी के दिनों में आग लग जाती है और बहुत सारी सम्पत्तियां नष्ट हो जाती हैं चाहे फसल के रूप में, घरों के रूप में, आवासीय व्यवस्था के रूप में उन्हें बहुत कम मुआवजा की धनराशि मिलती है तो ऐसे गरीब किसानों को झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जिनकी सारी सम्पत्ति जलकर नष्ट हो जाती है उसके अनुरूप उन्हें मुआवजा दिया जाय ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, राजस्व विभाग बहुत ही पुराना विभाग है और इससे जनमानस की समस्यायें जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, हम कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पट्टे के संबंध में यहां पर जिक्र हुआ है । मान्यवर,मैं कहना चाहता हूं कि एक तो पट्टा करने की नीति है उसमें लेखपाल और प्रधान आपस में मिलीभगत करके धन का दोहन कर लेते हैं और पट्टा भी नहीं किया जाता । तमाम गांव में भूमिहीनों की बहुत सी शिकायतें आयी हैं । दूसरी बात तमाम सीलिंग की जमीन पड़ी हुई है और उन पर पट्टा नहीं हो पा रहा है । जनपद हरदोई के अन्तर्गत एक ऐसी सवायजपुर तहसील है जहां 49 पट्टे किये गये हैं लेकिन उन पर कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तमाम तहसीलों का नवसृजन हुआ है लेकिन वहां भवन का निर्माण नहीं हो पाया है । जनपद हरदोई के अन्तर्गत सवायजपुर तहसील का निर्माण न होने के कारण तमाम मुकदमें लम्बित पड़े हैं तथा मुकदमें नहीं हो पा रहे हैं । मैं वसूली के संबंध में कहना चाहता हूं कि शाहाबाद के अन्दर इतनी कड़ाई से वसूली की गयी है, काश्तकारों के ट्रैक्टर नीलाम किये गये हैं उनको बन्दी गृहों में रखा गया है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शाहाबाद तहसील में एक लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज है उस पर 72 लाख का बकाया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही एस० डी० एम० द्वारा नहीं की गयी है । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री धर्मराज निषाद–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री ने जो घोषणाएं की कि ग्राम समाज की भूमि पर पट्टा दिया गया, आवंटन किया गया तो ग्राम समाज की भूमि हर एक ग्राम सभाओं में बांटी है जो भी पट्टे दिये गये हैं आज तक उन पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है । हमारे राजेन्द्र भारती अहतिया के हैं उनके कब्जे को लेखपाल ने लिखकर दे दिया लेकिन उल्टे उनके ऊपर 151 कर दिया गया है । अम्बेडकर नगर में तमाम पट्टा धारक हैं जिनको पट्टा नहीं दिलाया गया । मान्यवर, आपने हमारे मछुवा समुदाय के लिये तमाम घोषणायें कीं । मैं कहना चाहता हूं कि जो मछुवा समुदाय के लिए 10 वर्ष का पट्टा दिया जा रहा है, उसको बढ़ाकर 15 वर्ष का कर दिया जाय । पानी का जो क्षेत्र दिया जाता है, उस पर, भीटे पर भू माफिया कब्जा कर लेते हैं । जो भीटे हैं, लोग लोन लेते हैं, आवास के लिए लेते हैं, 5 बिस्वा भीटे के उसी पट्टे में आवंटित किया जाय । एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जिस न्याय पंचायत में मछुवा समुदाय नहीं है, वहां दलितों को पट्टा दिया जाय ।

अभी माननीय मंत्री जी ने बाढ़ एवं दैवी आपदा के बारे में घोषणा की थी । मैं बताना चाहता हूं कि पिछली बार मैं प्राक्कलन समिति के साथ गया था, जब गोरखपुर में जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी, माननीय मंत्री जी, मछुवा समुदाय के लोगों को हेलीकाप्टर से लेकर गये थे, वहां उन लोगों ने तमाम बाढ़ पीड़ितों को बचाने का काम किया, लेकिन जब उनकी मजदूरी देने की बात आई तो बजट में पैसा नहीं था और जब उनको वापस भेजने की बात आई तो ट्रकों से पहुंचाया गया । मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में, जब भी कभी बाढ़ आये, तो यह दुर्दिन देखने को न मिले ।

मान्यवर, हमारे यहां टांडा में अवसानपुर है, वहां बाढ़ में तमाम घर बह गये थे, जिलाधिकारी वहां 30 मकान की घोषणा किये थे, लेकिन 10 ही बने हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि शेष की व्यवस्था की जाय । माननीय राजस्व मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि तहसील दिवस जो होता है, उसमें जितने आवेदन-पत्र दिये जाते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती । जिलाधिकारी वहां बैठते नहीं हैं और 11 बजे तक मिलते नहीं हैं, इस संबंध में भी समुचित व्यवस्था की जाय इसी के साथ मैं माननीय लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने इस विभाग में गुणात्मक सुधार किया है और आपके द्वारा कई कार्यों को कराने के लिए, एक अभियान चलाकर ग्रामीण अंचलों पर वह कार्य पूरा हुआ है, उसमें तहसील दिवस के माध्यम से, किसान दिवस के माध्यम से, किसान सेवा केन्द्र पर बहुत सारी घोषणायें की गयी और जो स्थानीय समस्यायें थीं, उनका निराकरण कराया गया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। जब हम तहसीलों पर जाते हैं तो जैसे किसी का पिता मर गया, इस संबंध में कड़े शासनादेश हैं कि उसी वक्त तुरन्त लेखपाल गांव में जाकर दर्ज करेगा, लेकिन यदि किसी रिश्तेदार ने कोई अड़ंगा लगा दिया, कोई मुकदमा दर्ज करा दिया तो फिर कोई समय सीमा नहीं है कितने दिन में उस मुकदमे का निस्तारण होगा। कौन उसका वारिस है, यह सिद्ध करने में 10 वर्ष लग जाते हैं। आप तहसील स्तर पर सर्वे कराकर देख लीजिये कि कितने इस तरह के वाद लम्बित हैं और कितने दिनों से लम्बित हैं। इस पर आप समीक्षा करा लें तो सचमुच लगेगा कि यह वास्तविक कठिनाई है। इस तरह के आदेश होने के बाद भी दिक्कत आ रही है, जबकि आदेश यह है कि लेखपाल तुरन्त जाकर दर्ज करके यह बता देगा कि यह हमने कर दिया है। किन्हीं कारणों से वह तहसील पर चला जाता है, किसी ने मुकदमा कर दिया तो वह मामला वर्षों वर्ष निस्तारित नहीं हो पाता है, इसके 2-3 कारण हैं। पहला है वसूली अभियान है, इतना कमिश्नर का दबाव है, डी० एम० का दबाव है कि लक्ष्य पूरा करना है, एक दिन भी कोर्ट में नहीं बैठते हैं। व्यवहार में देखने में आता है कि मुकदमे जो वर्षों से पड़े हैं, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। मंत्री जी उसको अभियान चलाकर निस्तारित करायें, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। दूसरी बात मान्यवर, हमारे नगर पंचायत रुद्रपुर, देवरिया में चकबन्दी आज तक हुई ही नहीं, इसके नाते विशेश्वर नाथ का मन्दिर है, और दर्जनों मन्दिर हैं, वहां भीता टीला, सहनकोट, ताल-पोखरा के नाम इतनी भूमि है, जितने धार्मिक स्थल हैं, वह सारी जमीन कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, वह जमीन बेंच रहे हैं, जिसके नाते बहुत कठिनाई पैदा हो गयी है और पूरी नगर पंचायत रुद्रपुर में काफी दिक्कत है, वहां सरकार शीघ्र चकबन्दी कराये। मैं 1991 में पहली बार विधायक हुआ था, मैंने मांग की थी। मान्यवर, सर्वविदित है कि मछुआ समुदाय के लोग नहरों, झीलों और तालाबों के किनारे निवास करते इनको ही गर्गवरार नदी, तालाब, झीलों का मत्स्य पालन हेतु पट्टा दिया जाय उनको बहुत कठिनाई आ रही है (व्यवधान) को दूर कराये जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दिलीप कुमार–

मान्यवर, आपने माननीय लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, धन्यवाद। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान बहराइच व नवसृजिन जनपद श्रावस्ती की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्रावस्ती जनपद का जो सृजन हुआ है,वह बहुत बेढंगा हुआ है, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था लेकिन आज इसमें दिखाया गया है कि इसमें कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होगी। जनता को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है, विशेसरगंज पषांगपुर व जमुनहा से श्रावस्ती जाने वाले लोगों को भी कठिनाई उठानी पड़ रही है, माननीय मंत्री जी इस समस्या पर ध्यान दें। बहराइच में मिहीपुरवा स्थल है, बार्डर के लोगों को 60–65 किलोमीटर तहसील जाना पड़ता है यदि मिहीपुरवा में तहसील बना दी जाए तो समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री भोलाशंकर मौर्य, नहीं हैं।

श्री विश्वनाथ–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, 2-3 बातें सीमित समय में मैं कहने की कोशिश करूंगा । माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पार्ट बैनामा की ओर पार्ट बैनाभा गैर कानूनी है । मान्यवर, आदमी मजबूरी में अगर उसके पास एक एकड़ का चक है और 20 डिस्मिल बेंचकर अपना काम चलाना चाहता है, लेकिन उसे 1 एकड़ भूमि बेचने पर मजबूर होना पड़ता है अपनी जरूरतों से आहत इंसान भूमिहीन होने के कगार पर है । इसलिए आपसे कहूंगा कि इस मुख्य बिन्दु पर आप विचार करें और पार्ट बैनामा को वैधानिक बनाने का उपक्रम करें । दूसरी बात पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर सीलिंग की जमीनों को बड़े-बड़े लोगों ने जानवरों के नाम करा रखा है । 1947–51 में सीलिंग ऐक्ट लागू होने के पहले लोगों ने सीलिंग की जमीनों को दूसरों के नाम रजिस्ट्री कर दिया और सीलिंग में उन्हीं जमीनों को दिखा दिया । इससे जिसने जमीन खरीदी थी वह बेदखल हो रहा है और अपनी जमीन बचाने में जमींदार लोग कामयाब हो गये हैं इस तरफ भी आप ध्यान दें । अदालतों के जरिये भी सीलिंग की जमीनों को बचाने का काम हो रहा है पडरौना, कुड़वा कुशीनगर के तमकुही रोड आदि की हजारों एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से स्टे लेकर बचाने का काम किया गया है । रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिले हैं और ऐसे लोगों को मौका देते हैं कि स्टे ले लें । ऐसे मामलों को जल्दी निपटाया जाय ताकि वह जमीन निकल सके और गरीब आदमियों में बांटी जा सके । अगर आप जमीन गरीबों को दें तो मैं समझूंगा कि आप वास्तव में उनके हितैषी हैं मगर आपका नाता तो बड़े जमींदारों से है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिन गरीब आदमियों पर छोटे-छोटे कर्ज हैं उनको आप बंद करते हैं लेकिन जिनके ऊपर लम्बे-लम्बे बकाये हैं उनको आप बंद नहीं करते हैं । आपने बड़े लोगों को निडर बनाया है और छोटे लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि गरीब लोगों को वसूली के मामलों में परेशान न किया जाय, मैं नहीं कहता हूं कि उनका बकाया माफ कर दिया जाय लेकिन उनको वसूली के लिए सताया न जाय । इसी तरह से कहना चाहता हूं कि दैवी आपदा, आंधी-ओले, आग लगने से बहुत लोग तबाह होते हैं और आप 15 सौ, 8 सौ रुपये सहायता देते हैं । आप कहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है, हमारे यहां कुशीनगर जिले में ओले से तबाही हुई और पूरी फसल बरबाद हो गयी । कुशीनगर जिले का 1/4 हिस्सा एक मंत्री जी के क्षेत्र में आता है । उन्होंने अपने क्षेत्र में ओलों से हुए नुकसान के लिए राहत बंटवायी लेकिन विपक्ष के लोगों के क्षेत्रों में जहां पर भारी नुकसान हुआ वहां सहायता नहीं दी गयी । एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कुशीनगर और देवरिया जिले में किसानों का गन्ना मूल्य मिलों पर बकाया है । किसान पर बकाया होता है तो आप उसे जेलों में बन्द करते हैं लेकिन गन्ना मूल्य के बकाया के बारे में आपने किसी मिल मालिक को जेल में बन्द नहीं कराया । अगर आप बंद करते तो गरीब किसान का पैसा जल्दी मिलता । इसलिये मेरा निवेदन है कि बड़े मिल मालिकों के बकाये की वसूली करवायें ताकि किसानों के भुगतान के लिए पैसा मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी अभी 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी की रफ्तार से अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे । अधिकांश लोगों को शायद यह समझ में न आया होगा । मैं भी इसे समझने से महरूम रहा कि इसमें क्या विशेषतायें थीं । मैं अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर 1-2 बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, एक बात श्री लालजी वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कही कि राजस्व अधिकारियों के ऊपर प्रशासनिक बोझ बहुत अधिक डाल दिया गया है जिसके कारण राजस्व का काम सफर करता है, मैं सहमत हूं । राजस्व अधिकारी जो आपके आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार 1999-

2000 में वादों की संख्या लगभग 11 लाख 33 हजार थी जिसमें लगभग 5 लाख 42 हजार वाद निपटाये। इस प्रकार आधे से भी कम वादों को निस्तारित किया गया। मान्यवर, इसी तरह से जिले स्तर पर 1/3 का फर्क आ गया और मण्डल स्तर पर 1/4 वादों का निपटारा किया गया। वादों के कम निपटारे का कारण है कि राजस्व अधिकारियों पर आपने प्रशासनिक बोझ अधिक डाल दिया है।

मान्यवर, राजस्व अधिकारी राजस्व का काम देखने के साथ ही साथ उन्हें सप्लाई का काम भी दे रखा है। एस० डी० एम० को चीनी की दुकानों का आवंटन, निलम्बन और बहाली के लिए काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि एस० डी० एम० की इन कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी रहती है चूंकि यह कमाई का स्रोत है और रेवेन्यू के कार्यों में दिलचस्पी कम रहती है। इसलिये यह राशन की दुकानों का काम उनसे हटा लेना चाहिए क्योंकि इससे रेवेन्यू का काम सफर होता है।

मान्यवर, रेवेन्यू वसूली के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि बड़े बकायेदारों से जिनके ऊपर लाखों रुपये बकाया होता है उनसे वसूली नहीं की जाती है चूंकि बड़े के यहां एस० डी० एम० की दावतें होती हैं और छोटे बकायेदारों, छोटे कास्तकारों को छोटी-छोटी रकम जिनके ऊपर 5–10 हजार रुपये बकाया होता है वसूली न होने पर उन्हें जेलों में बन्द किया जाता है। इसलिए इसमें आपको सोचना पड़ेगा।

मान्यवर,मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण आपके लेखपाल हैं जो 20-20 सालों से एक ही जगह पर जमें रहते हैं। इसी तरह तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी एक-एक स्थान पर तीन-तीन, चार-चार बार अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। मान्यवर,मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां तहसील सदर, मुरादाबाद में नायब तहसीलदार रहा, उसका प्रमोशन हुआ, तो अपर तहसीलदार और फिर तहसीलदार हो गया और तहसील सदर में पोस्ट है जो मुरादाबाद में पैदा हुआ यहीं पढ़ा था उसके पिता मुरादाबाद में ही रिटायर हुए और उसकी मां मुरादाबाद में ही एक कालेज की प्रिंसिपल थीं उनकी पत्नी जिनका कालेज मुरादाबाद में चल रहा है और फिर भी उप जिलाधिकारी परगना सदर पर वहां पोस्ट हैं। मुरादाबाद में इस एस० डी० एम० का पांच भू-माफियाओं से उसका सम्पर्क है। इसलिए एक जगह पर रहने के कारण लोगों से सम्बन्ध हो जाते हैं और उन सम्बन्धों के कारण राजस्व कार्य में बाधा आती है। इसीलिए शिकायत है कि बड़े बकायेदारों को नहीं पकड़ा जाता है चूंकि उनसे उनके सम्बन्ध होते हैं और छोटे-छोटे दो-दो, चार-चार हजार रुपये के बकायेदारों को पकड़कर जेलों में बन्द किया जाता है। इसी तरह हमारे यहां जिलाधिकारी हैं जो 5 साल पहले ए० डी० एम० (सिटी) थे और अब दुबारा जिलाधिकारी बन कर आ गये हैं। वह 3-4 बार इस जिले में पोस्ट हुए हैं। इसलिए आप ऐसी नीति बनायें जिससे राजस्व अधिकारी अपने विभागों के कामों को करने में सक्षम हो सकें और जो उनके मुख्य काम हैं उन्हें वह संभाल सकें। मान्यवर, आपने 15 जिले और मण्डल बनाये, तहसील भवनों के लिए आपने 9.70 करोड़ रुपया दिया है मगर आपने इस बजट में जिला मुख्यालयों के लिए कोई पैसा नहीं दिया, मण्डल मुख्यालयों के लिये कोई पैसा नहीं दिया। मान्यवर, आपने जे० पी० नगर बनाया है लेकिन उसके लिए अभी आप भूमि तक उपलब्ध नहीं कर सके। अभी श्रावस्ती का उदाहरण आपके सामने रखा गया .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, दो मिनट चाहूंगा। कुछ सुझाव देने हैं। आपके लेखपालों के हाल यह हैं कि एक ही जगह पर 20-20 साल से हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाये कि जमानत के लिये फर्द-खतौनी की जरूरत

है या कर्ज लेने के लिए जरूरत है तो उसके लिये 500 रुपया लेखपाल ले लेते हैं । इसी तरीके से यदि बैनामे के लिए फर्द-खतौनी की जरूरत है तो उसका दाम 500 से 1000 रुपया तक हो जाता है । पहले इसकी फीस 50 पैसे थी अब शायद दो रुपये हो गयी है । आप 10–20. 50 या 100 रुपये इसकी फीस कर दीजिये लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिये कि इससे ज्यादा पैसा लेखपाल न ले पायें तो इसमें कुछ सुधार हो सकता है । आपने दैवी आपदा राहत की बात की । राहत का मतलब है कि तुरन्त सहायता पहुंचायी जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । श्री बिन्दुलाल जी अपनी बात कहें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, कुछ सुझाव देना चाहता हूं । तहसील से जांच होती है जांच रिपोर्ट डी० एम० के यहां जाती है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में थानसिंह का मकान गिरा, उसके बीवी-बच्चे, दो भैंसे दबकर मर गयीं । जिलाधिकारी से इस सम्बन्ध में मिला, मुझे जवाब दिया गया कि उसका कोई पैसा नहीं मिल सकता । शासन को भेज दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें । मैंने अगले माननीय सदस्य को बुला लिया है । अब सौलत अली एडवोकेट जी जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

बिन्दुलाल जी अपनी बात कहें ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वाक्य पूरा हो जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

क्षमा करें । सौलत अली जी अब स्थान ग्रहण करें । मैंने अगले माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, आधा मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, आप बैठें ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व विभाग का बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने किसानों के हित में बहुत से नये कार्यक्रम घोषित किये हैं चाहे वह किसान बही हो, चाहे अनधिकृत कब्जों को हटाना हो और हर विकास खण्ड में नायब तहसीलदार की नियुक्ति हो । यह ऐसी घोषणायें थाना दिवस, तहसील दिवस जिसकी सुविधा का लाभ किसानों को मिलेगा । राजस्व विभाग आम जनता से जुड़ा हुआ है वहीं इसका संबंध शांति व्यवस्था से है । गांव में जमीनों के विवाद को लेकर अक्सर झगड़े हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं यह अक्सर गांव में होता रहता है मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि किसान बही हर किसान को दी गई है उसको पूरी मान्यता मिले अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी तहसीलदार ही जाति प्रमाण-पत्र देता है अगर किसान बही में जाति अंकित है तो उसको तहसीलदार को जाति प्रमाण-पत्र मानने में क्या ऐतराज है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी घोषणा करें कि किसान बही से जाति प्रमाण-पत्र मान लिया जाये । ऐसा हो जाएगा तो जो लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ती है वह खत्म हो जायेगी । जो बैनामे होते हैं वह फर्जी हो जाते हैं अगर जोत बही बैनामे पर चढ़ जाए रजिस्ट्रार के यहां तो उचित होगा । एक का जैसे बैनामा 18 एकड़ का हो गया और जमीन 12 एकड़ थी तो बाकी के लिए झगड़ा होता है । अगर जोत बही पर चढ़ा हो तो इस समस्या से निपटा जा सकता है । जहां तक अनधिकृत कब्जे की बात है वह हटाये गये हैं लेकिन अभी आपके पास ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कानून नहीं है कि अनधिकृत कब्जों को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए अगर यह हो जाए तो अनधिकृत कब्जे नहीं होंगे । अनुसूचित जातियों/जनजातियों को जो जमीन आबादी की आवंटित की जाती है उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं, आपके पास ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि उनसे खाली कराई जा सके इस पर भी विचार कर लें । पार्ट चक की बात यहां कही गई यह वाकई भ्रष्टाचार की जड़ है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

गांव के बन्दोबस्त की बात उठी पुलिस किसानों को भड़काकर उनका शोषणा करती है विवाद पैदा करती है और फिर लोगों से पैसा लेती है । अगर बन्दोबस्त हो जाए उसका नक्शा बन जाए जहां सड़क हो वहां सड़क निकल जाए तो गांव के मार्ग भी बचे रह सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया । अभी 15 जिलों का सृजन हुआ है मंत्री जी को काफी दिनों से इसकी जानकारी है लेकिन असमर्थ हैं परेशान हैं जिसकी वजह से कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं हमारे जनपद में समाजवादी पार्टी के 5 एम० एल० ए० हैं भारतीय जनता पार्टी के दो एम० एल० ए० हैं इन सबने और भारतीय जनता पार्टी के एम० एल०सी० ने मांग की कि श्रावस्ती जिले को समाप्त किया जाए । इस पर निर्णय लेने में आपको क्या परेशानी हो रही है । जबकि वहां के अधिवक्ताओं लगभग 4000 की संख्या में सब लोगों ने हड़ताल किया कि श्रावस्ती को समाप्त किया जाए । श्रावस्ती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद बने रहने का कोई कारण नहीं बनता है । दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आपको अब तक निर्णय ले लेना चाहिए था । एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम कंगाल हैं परेशान हैं तोमड़ा लेकर चौराहे पर मांगना शुरू कर देंगे और दूसरी तरफ फिजूल खर्च कर रही है यह सरकार । 110 किलोमीटर दूर श्रावस्ती भिण्डा न्याय के लिए चलकर जाते हैं लोग । एक बन्दीगृह है जहां पेशाब नित्य कर्म सब वहीं होता है । मंत्री जी आपको जब वहां रहना पड़े तो आपको पता लगे । जो बड़े कर्जदार हैं वे आपके साथ भोजन करते हैं ठंडा पीते हैं और जो छोटे लोग हैं उन्हें आप हवालात की हवा खिलवाते हो । अभी आपसे कुछ कहो, संसदीय कार्य मंत्री जी से कुछ कहो तो कहते हैं संसाधन नहीं सीमित संसाधन हैं । जो करोड़ों के कर्जदार हैं वे आपके साथ भोजन करते हैं और जो 10–20 हजार के कर्जदार हैं उन्हें बन्द करते हैं आप । आप एक बार उनसे पैसा वसूल लो आपका राजस्व भर जायेगा । पूरे प्रदेश में आग लग रही है । मेरे क्षेत्र बहराइच में फूस के मकान हैं वहां कैसरगंज, धनचडिया जैसे अनेक गांवों में 400 घर जल चुके हैं । कहां है आपका राहत का पैसा, कहां डी० एम० बैठे हैं, कहां एस० डी० एम० बैठे हैं कहां पैसा बंट रहा है । लेखपाल रिपोर्ट तैयार नहीं करता । हमारे मुलायम सिंह जी के जमाने में सख्त आदेश थे कि जहां कहीं आग लगी हो वहां एक घण्टे में लेखपाल रिपोर्ट तैयार करे और दो-तीन घण्टे में पैसा पहुंच जाना चाहिए वरना लेखपाल अपने बस्ते के साथ बन्द हो जायेगा । आपके पास पैसा है तो व्यवस्था क्यों नहीं करते ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

उस आदेश की एक कापी हमें भी दे दीजियेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आदमी की जवान भी तो कुछ होती है मुख्य मंत्री जी हनक भी तो कुछ होती है । मुख्य मंत्री के काम कराने का एक तरीका होता है । पैसा मौजूद है तो समर्थन करते थे । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि दिन और समय ठीक है चिन्ता करे और विचार करे जिससे व्यवस्था ठीक हो वरना नीचे का पेंदा टूट जायगा अभी कल 100 विधायक नाराज हो गये कल 200 होंगे । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

श्री अधिष्ठाता जी आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं करूंगा जो हमारे साथियों ने की । हम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर जनता के अधिकारों के लिए विधायिका के अधिकारों का प्रयोग करके संविधान बनाते हैं । जो दूसरे जन प्रतिनिधि हैं वे यह नहीं कर सकते । विधायक होने के नाते कानून बनाने का काम हम करते हैं । मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद औद्योगीकरण विनाश के कानून बने और पहले अंग्रेजों के जमाने से कई ऐक्ट थे जिससे विसंगति पैदा हो गई । इन कानूनों में इतनी विसंगतियां थी कि जैसे राम चरित मानस की एक चौपाई में जहां एक जगह पर सम्मान किया जता है तो दूसरी जगह पर ताड़ना और प्रताड़ना कर दी जाती है, वैसे ही रेवेन्यू के मामले हैं । रेवेन्यू से रिलेटेड 26 अधिनियम और 1500 धारायें हैं। इसी आदरणीय सदन में रेवेन्यू कोड बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ, दो-दो मुख्य मंत्री जी, श्री राम नरेश यादव जी जो इस समय यहां मौजूद नहीं हैं और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, अधिकारी इन विसंगतियों का फायदा उठाकर एक जगह एक व्याख्या और दूसरी जगह दूसरी व्याख्या करते हैं । इसी का सरलीकरण करने के लिए यह बिल लाया गया था । सरकार पूरी तरह से नौकरशाहों के चंगुल के अधीनस्थ कार्य कर रही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। उसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू को समाप्त करने की सिफारिश प्राविधानित थी, यही एक बड़ी बाधा इसमें है। आज यह आई० ए० एस० आफिसर्स का चारागाह बना हुआ है, वह जानते हैं कि इसे लाने से उनका चारागाह समाप्त हो जायेगा, यह कारण है कि यह बिल लागू नहीं हो पा रहा है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून, जिसमें 1500 धारायें सिमट कर ढाई सौ रह जाती और 26 अधिनियम की जगह पर एक ऐक्ट बन जाता जिससे साधारण से साधारण किस्सा भी समझ जाता जिससे वह अपने राजस्व संबंधी विवादों का हल अपने आप ढूंढ लेता। आज उस कानून को बनाये जाने की आवश्यकता है। जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण देंगे तो इस बात की घोषणा करेंगे कि वह इस ऐक्ट को बनाने का काम करेंगे।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कई जगहों उल्लेख किया, मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि उन्होंने मेरे स्थान का जिक्र नहीं किया परन्तु मैं कुछ जनपदों का उल्लेख करना चाहता हूं जैसे पडरौना, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, बनारस और मिर्जापुर जहां की नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को बांधती हैं। ये नदियां अपनी धारायें बदलती रहती हैं, जिसके कारण बिहार के साथ सीमा विवाद चलता रहता है। फसल बोने और फसल काटने तक सीमा विवाद होता है, इसके कारण हत्यायें होती हैं, किसान वहां मारे जाते हैं, इसलिये सरकार का दायित्व है कि वह अपने किसानों के हक की हिफाजत करे। आप जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं परन्तु आप मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी आप नजरें रखें। आप कोई ट्रांसफरेबिल मंत्री तो हैं नहीं, जब से आप रेवेन्यू मंत्री बने हैं, तब से आप ही हैं। मेरा निवेदन है कि अगली फसल की बुवाई और उसकी कटाई के समय तक आप इस स्थिति का निराकरण कर दें। उत्तर प्रदेश के किसानों का हित चिन्तन करते हुए त्रिवेदी आयोग ने पिलर्स लगा करके धुर–धारा (मिड स्ट्रीम) के सिद्धान्त को समाप्त करते हुए बाउन्ड्रीज फिक्स करने का काम किया था, इसलिये मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के हितों के लिये चाहे आपको वहां पर पी० ए० सी० ही क्यों न लगानी पड़े, आप लगायें। आज उत्तर प्रदेश के किसानों का हित चिन्तन नहीं हो रहा है। किसानों से रेवेन्यू वसूल किया जाता है परन्तु फसल काट ले जाता है बिहार का आदमी। आज किसानों को किसी तरह से भी संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, इसलिये आपका संवैधानिक दायित्व है कि आप किसानों के हितों की रक्षा करें। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं इस विवाद के हल के लिये जिन इलाकों में चकबन्दी नहीं हो रही है, की जाय। चकबन्दी अधिकारी का पद शायद कम फायदे का माना जाता है यह ए० आर० ओ० का पद होता है। जो नये-नये तहसीलदार से एस० डी० एम० बने होते हैं उन पर आपका नियंत्रण नहीं है वरन् नियुक्ति हो जाती। हमारे यहां 5-7 वर्षों से ए० आर०ओ० का पद रिक्त है। मैं जनपद की बात नहीं करता लेकिन आवश्यकता पड़ी इसलिये कह रहा हूं।आपने 8 पी० सी० एस० आफिसर की नियुक्ति की लेकिन सरकार की औकात नहीं है कि उन्हें ज्वाइन करा दे। राजस्व मंत्री जी सीधे-सीधे पी० सी० एस० अधिकारी नहीं पोस्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी इस पीड़ा को समझ सकते हैं। आपकी इस एथारिटी को चुनौती देता हूं अगर सचमुच में पी० सी० एस० अधिकारी को एप्वाइन्ट करने का राजस्व के मामले में आपका अधिकार बनता है तो एक ए० आर० ओ० को 31 मई के पूर्व उसकी ज्वाइनिंग करा दें तो आपको बधाई देने का काम करूंगा।

अन्त में एक छोटा सा व्यक्तिगत अनुरोध है। तीन वर्ष पूर्व मैंने एक ग्राम सभा का जिक्र किया था जहां के किसानों के बारे में। एक हिस्से में हजारों में आबादी है उनको सामान्य अधिकार नहीं मिले हैं। सामन्ती नाम है मरही सोहरहू उस ग्राम सभा के अलग बनाये जाने की बात कही थी। आपने आदेश दे दिया था लेकिन आपके आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। आपको आक्रोश हो न हो लेकिन वहां लोगों को है। राजस्व मंत्री के आदेश का अनुपालन एक डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार नहीं

करता । लेखपाल को तो आप लिखते नहीं । एक बार उन्हें भी लिखकर आजमा लें । इसी के साथ अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपका आभारी हूं । आशा करता हूं राजस्व मंत्री जी इन उठाये गये मौलिक बिन्दुओं को गम्भीरता से लेने का काम करेंगे और इस पर अपनी सरकार का दृष्टिकोण रखने का काम करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ लालजी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इस सदन के लगभग 21 माननीय सदस्यों ने बजट के सम्बन्ध में बात कही, इसमें चर्चा में भाग लिया । श्री सीता राम निषाद, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री बिन्दु लाल, श्री धर्मराज निषाद, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री विश्वनाथ, श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री दिलीप कुमार, श्री श्रीराम पाल, श्री जगदीश नारायण राय, श्री बाबू खां, श्री अम्बिका चौधरी आदि माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और सभी ने इस राजस्व के बजट पर अपनी चिन्ता जताई । मैं दो तीन निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा । भूमि जो है, वह सामाजिक सम्मान का सिम्बल है । गांव में लोग हजारों एकड़ भूमि रखे हुए हैं । हमने नियम बनाया कि 18 एकड़ जमीन पर सीमांकन किया । लेकिन उस सीमांकन के कानून की, सीलिंग ऐक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रदेश में लोगों ने कहीं न कहीं किसी रूप से हजारों एकड़ जमीन रखी हुई है । श्री विश्वनाथ जी ने अपने जिले की चर्चा की । मान्यवर, तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किसानों ने नहीं बल्कि बाहर से किसान आये और उत्तर प्रदेश की ज़मीन को कब्जा करने का काम किया है । बहराइच में इसी तरह से कब्जा करने का काम किया है ।

इस सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था जांच समिति मंगलदेव विशारद ने 1974 में जो रिपोर्ट दी है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको पढ़ लें । उसमें ऐसी फर्म को जो गलत तरीके से सीलिंग के कानून का उपयोग न होने पाये उसकी स्थितियां बनाई हैं उस जमीन को निकालकर गरीबों में, जो समाज में कमजोर हैं, भूमिहीन हैं उनको दे दें । 1997 में एक संशोधन हुआ जिसमें यह 3 जून, 95 वाले में जो कुछ जमीन पर अनुसूचित जाति के लोग काबिज थे उनको अधिकार दे दिया जायेगा । अभी ऐसे भी बहुत से मामले विचारणीय हैं । माननीय राजस्व मंत्री जी ने संशोधन किया कि समितियां, संस्थाएं या इस प्रकार के अनेकों लोगों का सीलिंग की में उस दिन वे लेने का काम किया था । लेकिन लेने का काम करने के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । इसलिए बैनामी समिति को अधिग्रहीत करके लोगों में बांटने का काम किया जाय । एक निवेदन और करना चाहूंगा जो छोटी जोत हैं एक-एक हेक्टेयर से कम, 9.2 परसेन्ट उनसे उत्पादन होता है, 9.6 प्रतिशत उनसे उत्पादन होता है । जो छोटी जोतें हैं उनसे उत्पादन ज्यादा होता है । प्रतिशत के आधार पर 55 परसेन्ट बड़े किसान हैं उनसे कुल 52 फीसदी उत्पादन होता है, बालचन्द्र जी कह रहे थे जमींदारी को पुनः बहाल करना है तो यह उचित नहीं है । भूमि का बंटवारा होना चाहिए । बालू खनन का तमाम सदस्यों ने जिक्र किया । तमाम लोग ऐसी संस्थायें बनाकर मछुवारा संस्थाओं के नाम पर बड़े लोग कब्जा करते हैं । मछुआरा समाज को फायदा मिले इसके लिये एक-एक एकड़ के पट्टे देने चाहिए ताकि मछुआरा गरीब उस खनन के काम को कर सके ।

मान्यवर, तहसील दिवस की बात आती है एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में उतरेलू में एक राममिलन है एक वर्ष से चक मार्ग खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक वर्ष से वह खाली नहीं हो पा रहा है । इस तरह से अनधिकृत कब्जा है । मान्यवर, 122 बी है इसके आधार पर कार्यवाही होती है, वर्षों लग जाते हैं आयोग ने भी सुझाव दिया तीन महीने समय सीमा निर्धारित की जाए । मैं चाहूंगा कि इसके लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी जाए । जब आबादी के किनारे की जमीन, सड़क के किनारे की जमीन की सरकार को आवश्यकता होती है तो लेती है किसान थोड़ी बेचे लेते हैं ताकि दूसरा उद्यम लग सके । पार्ट बैनामे में उनको जमीन बेचते हैं तो सस्ते

में बेचते हैं, तो इसमें पांच बिस्वा तक पार्ट बैनामे की इजाजत दे दें ताकि छोटे काश्तकार अपने थोड़ी जमीन का पैसा पाकर कोई काम कर सकें। रुड़की में फ़ाइनल नक्शा बनता है उसमें 15–20 साल लगता है तो इस दिशा में भी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे इसमें काम हो सके। जो बजट है इसको मैंने पूरा पढ़ा कहीं पर भी छोटे नव सृजित जनपद हैं उनके लिए धन नहीं रखा है। मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 15 नव जनपद हैं इनको बनाये रखा जाये। इससे पहले मेरे जिले में भी शिलान्यास हुआ बनना शुरू हो गया वर्षों से रुका है उस जिले के निर्माण के लिए धन देने का काम नहीं किया गया है। मण्डल मुख्यालय है मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व परिषद् को अच्छी तरह से चलाने के लिये कार्यालय नहीं होंगे तो यह कैसे चलेंगे उनको पैसा देने का काम करें। जो गांव चकबन्दी में खलिहान/जमीन छोड़ी जाती है या और जमीन खलिहान की छोड़ी जाती है उसमें आप यह व्यवस्था करें यदि पश्चिमी हवा चलती है तो अगर खलिहान पश्चिम में होगा तो यदि आग लगती है तो पूरा गांव जल जाएगा, तो खलिहान पूरब और उत्तर में छूटें पश्चिम में न छूटें। पश्चिम न हो क्योंकि इसमें जान, माल और धन की हानि होगी। एक बात और बन्दी गृहों के बारे में कही गयी। माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी लेबर लीडर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह ठीक हैं। तो आज देश मानवाधिकार की वकालत कर रहा है और यहां पर भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया उसके बाद यदि बन्दी गृहों का सुधार नहीं हो पा रहा है तो यह उचित नहीं है। उन बन्दी गृहों का सुधार होना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां तहसील अलापुर में अम्बेडकर नगर में। उसका मुख्यालय कुछ लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि अलापुर बनायी जाय जबकि वहां के जो रहने वाले सारे लोग चाहें वह किसी भी पार्टी के हों, सब यह चाह रहे हैं कि अलापुर में बनायी जाय,वहां पर जमीन सुरक्षित भी कर दी गयी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर इसका निर्माण कराया जाय। मान्यवर, सोनभानपुर तहसील नहीं बन रही है जबकि दस वर्ष हो गये हैं तो उसका निर्माण कराया जाय। एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो सी० आर० ओ० का पद है राजस्व वाद का निपटारा करने के लिए आज वह समाप्त कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी की नियुक्ति, जिलाधिकारी की नियुक्ति.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। बहुत हो गया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर,मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, राजस्व प्रशासन का जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी पर नियंत्रण नहीं होता है, माननीय मंत्री जी का नियंत्रण नहीं होता है इसलिए उसके संबंध में निर्णय नहीं ले पाते जो नीतियां हैं उसका सही ढंग से पालन करें, इसलिए पुनः निवेदन है कि इस राजस्व विभाग को अच्छा बनाने के लिए अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए पुलिस मदद नहीं करती है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी कमेटी बना दें जिसके अन्तर्गत पुलिस हो, सीधा नियंत्रण हो। मान्यवर, पुलिस का सहयोग लेना पड़ता है, वह एस० ओ० को लिखता रहता है.....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसके लिए अलग से एस० डी० एम० अपर जिलाधिकारी जिसका पूरी तरह से नियंत्रण हो, की व्यवस्था की जाय। अभी हमारे साथ श्री श्रीराम पाल जी ने नदियों के किनारे के जो गांव हैं, मेरे यहां भी मेरे क्षेत्र में हैं उन गांवों में सर्वे का काम नहीं हो पा रहा है और कभी-कभी नदियां धारायें तोड़ती रहती हैं। मेरे क्षेत्र नैपुरामाझा में खतौनी में नाम आ गया है लेकिन नक्शे में उसका अभिलेख नहीं किया गया है कि वह नम्बर कौन सा है ? उस माझे में दबंग किस्म के लोग कब्जा

करके गरीब लोगों से छीनने का काम कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसे दुरुस्त करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, माननीय लालजी वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने शायद इस पुस्तिका को ढंग से नहीं पढ़ा है। यदि वह पढ़ लेते तो शायद नहीं कहते। आंकड़ों की बात आती है। हमने 111 करोड़ रुपया अतिरिक्त वसूल किया है। मुख्य देयों के बारे में कहा ठीक है लेकिन विविध देयों की बात आती है तो अगर पढ़ लेते तो ठीक होता। चाहे इस सदन में अच्छी बात कही जाय लेकिन ये लोग इसको नहीं मानते हैं। राजस्व वादों के बारे में पुस्तिका में देखा नहीं। जो कालम हैं उसमें देखें। इसमें आप जो हमारी कार्यपूर्ति दिग्दर्शक पुस्तिका है उसको देखने का कष्ट करें। उसमें 1-10-99 से 28-2-2000 तक वादों के निस्तारण की बात कही गयी है। यह कहा गया कुछ खतौनी के बारे में और कुछ नक्शे के बारे में कि रकबे की जो स्थिति होती है उसकी नक्शे में शक्ल बननी है उसमें कहीं-कहीं शिकायतें हैं तो जहां शिकायतें हैं ठीक कराने का प्रयास करें। अगर कहीं माननीय सदस्यों को कुछ विशेष कठिनाइयां हैं अलग से भी जानकारी दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्बिका चौधरी जी ने दो साल पहले अपने गांव के बारे में कहा था उसके बारे में आदेश दिया था पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ था। मान्यवर, 22 माननीय सदस्यों ने आज जो सुझाव दिये हैं, महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। हमें बहुत सी बातों की जानकारी हुई है। इसमे समावेश करते हुए विचार किया जायेगा, सही प्रकार से काम होने वाले हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों को बाद में सूचित कर देंगे। किसान बही की बात माननीय सदस्यों ने कही, हमने अधिकार दिया हुआ है कहीं-कहीं शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। जोत बही को हमने मान्यता दी हुई है, वह मान्य है।

मान्यवर, कहा गया कि जमीनों के पट्टे हो गये किसी को कब्जा नहीं दिलाया गया। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, वह बात सही है हम मानते हैं कि कहीं-कहीं कब्जा नहीं हुआ है। कहीं-कहीं न्यायालयों में वाद हैं तो कठिनाई आती है। मान्यवर, एक बात सभी माननीय सदस्यों ने कही अवैध कब्जों के संबंध में। राम औतार शाक्य जी ने कहा था, कि इसमें जेड० ए० ऐक्ट में जो कायदा है बेदखल नहीं कर सकते, तो 122 बी में प्राविजन है बेदखली का भी है और जुर्माना का भी है। ग्राम सभा में सारे अधिकार नियत हैं। एक तहसील दिवस की बात आयी है कि तहसील दिवस में लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। हमने दिया है कि इस पुस्तिका में तहसील दिवस के बारे में पूरे साल में 4,01,283 शिकायतें/कार्य प्राप्त हुए हैं जिनमें 3,78,980 शिकायतें एवं कार्यों का निस्तारण किया गया है। कहीं-कहीं शिकायतें आतीं है तो उसको संदर्भित किया जाता है कहीं-कहीं कठिनाइयां आती हैं निस्तारण में बहुत सारी बातें निस्तारित नहीं हो पाती हैं जैसे कोई सिविल न्यायालय का मामला आ गया तो उसको नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उसके लिये तहसील स्तर पर कमेटियों की घोषणा की थी उसमें युवक मंगल दल का भी आदमी होगा, अनुसूचित जाति का भी आदमी होगा और महिला भी होगी और सम्मानित व्यक्ति भी होंगे उसका तहसील स्तर पर गठन किया गया है। निश्चित रूप से किसानों को कैसे लाभ मिले कैसे सस्ता, सुलभ न्याय मिले इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं।

चकबन्दी की बहुत सारी बातें कही गई हैं यह बात सही है कि चकबन्दी बहुत समय तक चली हमने यह कहा था कि सत्ता और विपक्ष के जितने लोग बैठे हैं बाबू राम जी बैठे हैं वह राजस्व मंत्री रहे हैं उनके जमाने के मामले झेलने पड़ रहे हैं, चकबन्दी के 30-40 साल के मुकदमे हैं ऐसे भी प्रकरण हैं जहां सुल्तानपुर में आजमगढ़ में सारा रिकार्ड चकबन्दी का जला दिया गया तो इस समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष की सरकारें रही हैं हमने तो प्रयास किया है और प्रयास ही नहीं उसको ठीक करके ही

छोड़ेंगे, लेकिन जो सड़ी-गली व्यवस्था मिली है उसको सुधारने में समय लगता है । मृतकों के बारे में बात कही गयी है और यह कहा गया कि कुछ लोगों को मृतक दिखाया जो लोग जिन्दा हैं और उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है । जो ऐसे प्रकरण सामने आये हैं उनकी उच्चस्तरीय जांच की जा रही है और कार्यवाही की जा रही है । 168ए के बारे में कहा गया कि जमीन को कम कैसे किया जाए यह सही है इस संबंध में विचार करेंगे । बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि जो गांव की आबादी है उसका बन्दोबस्त कैसे किया जाए यह समस्या पूरे प्रदेश की है इसमें समय भी लगेगा यह सबकी चिन्ता सही है कि गांव की आबादी का बन्दोबस्त किया जाए इसको सभी लोगों ने कहा है इस पर विचार करेंगे कि कैसे समाधान किया जाए यह उचित प्रतीत होता है । डा० पूर्णमासी पंकज ने कुछ बातें कही हैं, भदोही में आफिस की बात है धोबी घाट की बात है इसमें जल्दी निर्णय करेंगे । अम्बिका जी अब आ गये हैं एक नरही गांव की बात कही थी एक पत्र दिया था उस पर आदेश भी किया था फिर बाद में यह मिले नहीं, कभी टेलीफोन कर दिया होता तो हो सकता है कि समाधान हो जाता, लेकिन आज के दिन के लिए शायद इसको छोड़ दिया और कहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, जो हमारी बात न सुने ।

श्री अम्बिका चौधरी–

रेवेन्यू कोड बिल पर कानून बनाने का सवाल है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उसको मैं देख लूंगा । माननीय लालजी वर्मा ने तहसील की बात कही थी, नई तहसील बनवाना चाहते हैं, यदि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो मैं अभी तहसील की घोषणा करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

जो नये 17 जिले और मण्डल हैं, उन सभी के लिए आप धन दे दीजिये तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि समय-समय पर जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उसमें कठिनाइयां आती हैं, 6 महीने हमारा चुनाव में लग गया था, सभी माननीय सदस्य जानते हैं । फिर भी बहुत प्रयास किया गया है, फिर भी मैं सभी के हित की बात करते हुए चाहूंगा कि माननीय लालजी वर्मा अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री बाबूराम यादव–

एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं । तीन-चार चीजें हैं जो किसानों के हित में हैं ।

(श्री अरविन्द कुमार जैन, माननीय मंत्री द्वारा बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जैन साहब, आपका व्यवहार उचित नहीं है । सीट पर बैठे-बैठे बोलना उचित नहीं है ।

श्री बाबूराम यादव–

इन 3-4 चीजों में से एक चीज की घोषणा आप कर दीजिये । यह जो विरासत के मामले निर्विवाद हैं, वह कितने समय के अन्दर हल कर दिये जायेंगे, जो अभी तक नहीं हुए हैं । इसके अलावा कब्जे के, पट्टे के और चकबन्दी के जो मामले हैं, उनको कितने समय में निस्तारित करवा देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जो निर्विवाद मामले हैं, चाहे विरासत के हों, सभी का निस्तारण इस उत्तर प्रदेश में 45 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नये जनपदों के सृजन जो हुए हैं उनके लिए धन की व्यवस्था के लिये और जो बैनामी संपदा पड़ी है, 10-10 हजार एकड़ भूमि तोड़े हुए हैं उनको सीलिंग के अन्तर्गत निकाल कर भूमिहीनों में बांटने के लिए कोई घोषणा नहीं की है । माननीय मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि नवसृजित जनपदों के लिए एकमुश्त धनराशि दे देंगे और 10-10 हजार एकड़ भूमि जो जोतें हैं, उसको अनुसूचित जाति और भूमिहीनों में बांटने का काम करने के लिए घोषण कर देंगे तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा ।

(कटौती का प्रस्ताव वापस न लेने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,26,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,94,07,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,91,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के नाम निर्देशन करने हेतु मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन चंन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन के लिए विधान सभा के आज दिनांक 13 मई, 2000 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए मा० अध्यक्ष, को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन के लिए विधान सभा के आज दिनांक 13 मई, 2000 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए मा० अध्यक्ष, को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा निर्वाचित समझे जायेंगे, को स्वीकार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक की अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–85—सार्वजनिक उद्यम विभाग

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का संपादन नहीं किया ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–21—खाद्य एवं रसद विभाग

* खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,81,35,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अधिष्ठाता महोदय, यह सदन और सभी सम्मानित सदस्य अवगत हैं कि खाद्य और रसद नागरिक आपूर्ति विभाग बहुत ही संवेदनशील विभाग है । यह सामान्य जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है चाहे वह धनी से धनी व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, इस विभाग से प्रभावित होता है । खाद्य और रसद विभाग की स्थापना 1941-42 में हुई जब द्वितीय वेश्व युद्ध को दृष्टिगत रखते हुए 1940 में इस तरफ प्रयास किया गया। यह विभाग आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है । इस समय इस विभाग के पास 2 लक्ष्य समूह हैं एक तो किसान जो उत्पादन करते हैं उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य भारत सरकार से दिलाना और समर्थन योजना के तहत किसानों को डिस्ट्रस सेल न करना पड़े इसके लिए धान, गेहूं, चावल की खरीद की जाती है । एक तरफ किसान का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह गरीब आदमी को उचित मूल्य पर मिल सके इसके लिये यह विभाग कार्य करता है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत यह जो राशन की दुकानें हैं उनके माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वालों को सुविधा दी जाती है और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त मिट्टी के तेल और चीनी भी उन्हें उपलब्ध करायी जाती है । हमारे प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 55 लाख 35 हजार कार्ड धारक हैं और 3 करोड़ 97 लाख ए० पी० एल० के कार्ड धारक हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं । इन सभी को जो राशन की दुकानें हैं, सस्ते गल्ले की दुकानें हैं उनके जरिये से खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, चीनी उपलब्ध करायी जाती है ।

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, चीनी के बारे में हम लोगों ने इस वर्ष एक विशेष उपलब्धि हासिल किया है । पहले हमारे प्रदेश को लेबी चीनी 59,122 मैट्रिक टन चीनी प्रति माह मिलती थी जिसे प्रयास करके 70,722 मैट्रिक टन करा दिया गया है, इस तरह लगभग 11,000 मी० टन की बढ़ोत्तरी हुई है । मैं यह भी माननीय सदस्यों और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति चीनी कम मिलती थी लेकिन जो अधिक चीनी भारत सरकार से उपलब्ध हुई वह सारी चीनी ग्रामीण क्षेत्र को आवंटित कर दिया जिसके कारण अब गांवों में प्रति व्यक्ति चीनी 400 ग्रा० मिलने लगेगी जो पहले कम हुआ करती थी ।

मान्यवर, मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो अभी तक मिट्टी के तेल में भारत सरकार की तरफ से हमारे साथ ज्यादती होती रही है, देश में 12.4 लीटर प्रति व्यक्ति मिट्टी का तेल मिलता है, हमारे प्रदेश में यह औसत 10 लीटर रहा जिससे यहां मिट्टी का तेल कम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिलता रहा । इसलिए इधर प्रयास करके इसे बढ़ाया गया । मान्यवर, अब 50,000 कि० लीटर प्रति वर्ष आवंटन भारत सरकार ने बढ़ा दिया है लेकिन जरूरत कम से कम 2,25,000 कि० लीटर मिलना चाहिए जबकि हमें जरूरत 2,75,000 कि०ली० मिट्टी तेल चाहिए । मान्यवर, पिछले दिनों भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री से भेंट किया था तो निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश का मिट्टी तेल का कोटा अधिक आवंटित किया जाय । मान्यवर, मिट्टी के तेल में लोगों को कुछ शिकायतें रही हैं कि मिट्टी के तेल गरीबों आंर जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता है । हमने उसकी व्यवस्था को कुछ बेहतर बनाने का प्रयास किया है । अभी 3 स्तर पर इसकी चेकिंग होती है । इसके साथ ही साथ अभी तक जो होल-सेलर्स ड्रम में किरोसिन ऑयल रखते थे उनके लिए जमीन में टैंक बनाना निश्चित कर दिया गया है और अधिकांश ने अण्डर ग्राउण्ड टैंक्स बना भी लिये हैं । मान्यवर, मिट्टी का तेल खासतौर से गरीब आदमी के लिए, गांव के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है इसके लिए भी हम लोगों के अच्छी व्यवस्था की है और आगे आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है कि मिट्टी का तेल गांव के लोगों, गरीब लोगों और शहर के लोगों तक जरूर उपलब्ध हो जायेगी । कुकिंग गैस जो खाना बनाने का एक अच्छा साधन है । हमारे प्रदेश में एल०पी०जी० के 50,35,000 उपभोक्ता हैं । 15 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं ।

मैं आपके माध्यम से सदन को एक खुशखबरी देना चाहता हूं ।

पिछले दिनों भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से भेंट की थी तो उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया है कि दिसम्बर, 2000 तक सभी 15 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में हैं उन्हें एल०पी०जी० का गैस कनेक्शन रिलीज कर दिया जायेगा । इससे बड़ी सुविधा हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगी । पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल और डीजल की घटतौली की शिकायत हो रही है । यह शिकायत वाजिब है और इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है । हम इसको बहुत जल्दी नियंत्रित करने के प्रयास में हैं और इसे नियंत्रित करेंगे । मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो खाद्य सामग्री और मिट्टी का तेल लोगों को मिलता है वह ठीक से लोगों को मिले इसके लिए हमने बहुत परिवर्तन की कार्यवाही करायी है और 10,457 छापे डाले गये, 1238 लाइसेंस निरस्त किये गये, 39,458 लीटर मिट्टी का तेल जब्त किया गया, 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 223 लोगों पर मुकदमें कायम किये गये, धारा–3/7 के अन्तर्गत 99 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी । हम इस बारे में बहुत प्रयत्नशील हैं । इधर जो मिलावट की शिकायत आ रही थी उस तरफ भी बहुत प्रयास हुआ है और घटतौली और मिलावट को कम करने की कोशिश हुई है इसके लिए जरूरत है कि हमारे पास कुछ मोबाइल लेब्रोटरीज हो । इस पर भी भारत सरकार से बात की है । हमें उम्मीद है कि जून के अन्त तक 5-7 लेब्रोटरीज भारत सरकार से मिल जायेगें और जो सचल दस्ते हैं उन्हें तेज करेगें । मान्यवर, जो घटतौली है इसको रोकने का भी प्रयास किया गया है और इसमें इस वर्ष 80 हजार छापे डलवाए गये हैं उसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रवर्तन की कार्यवाही को और तेज किया जायेगा जिससे लोगों को सही नाप से पेट्रोल और डीजल मिल सके और उसमें मिलावट को भी रोका जा सके । यह प्रयास होगा पेटी डीलर को जो लाइसेंस दिये जाते थे इनको और हमने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो पेटी डीलर्स हैं वह नियमों के तहत ही कार्य करें कोई उसका दुरुपयोग न कर पाये और मिलावट न हो पाये । मूल्य नियंत्रण के लिए भी प्रदेश स्तर पर अनुश्रवण समिति है । कीमतों के बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर माहवारी बैठक करके समीक्षा की जाती है आकस्मिक जांच के लिए भी एक प्रयास है और दस्ते गठित कर पूरे प्रदेश में प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी और दोषी व्यक्तियों को उसमें पकड़ा जायेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में 1999-2000 में 64,844 छापे मारे गये । वर्ष 1998-99 में 26 हजार 944 छापे पड़े थे इस बार तेजी से प्रवर्तन की कार्यवाही हुई । इसमें 166 लोग गिरफ्तार किये गये और 1702 लोगों के लाइसेंस निलम्बित किये गये 930 लोगों के लाइसेंस निरस्त किये गये । इधर धान की भी खरीद हुई

जो अभी तक खरीद होती रही उसमें पिछले साल 61,345 मी० टन धान खरीदा गया इसके पहले अधिकतम खरीद 13,103 मी० टन की हुई थी। वर्ष 1997-98 से हम चावल भी विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली से खरीद रहे हैं। शिकायत होती थी कभी-कभी घटिया किस्म का गेहूं जो दूसरे प्रदेशों से आता था हमारे यहां के उपभोक्ताओं को मिलता था वह अब नहीं मिलेगा हमने उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। अब जो गेहूं, चावल उत्तर प्रदेश में खरीदा जाता है जो हम डिसेंट्रलाइज परचेज के तहत खरीदते हैं वह यहीं गोदामों में स्टोर किया जाता है यहीं जारी भी किया जाता है कोटेदारों को इसमें शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। गेहूं की खरीद भी अच्छी हो रही है और पूरे प्रदेश में 580 रुपये प्रति कुन्तल से कहीं कम कीमत किसानों को नहीं मिल रही है। मान्यवर, दो और नये काम, मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि मैं अपने साथियों के सुझाव सुनना चाहूंगा और ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। अभी तक बी० पी० एल०, में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था लेकिन अब उन्हें बढ़ाकर 20 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जायेगा। भारत सरकार की नई योजना जो शुरू हुई है जिसके लिये मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, जिसमें 65 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को 10 किलोग्राम प्रतिमाह की दर से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। अब हमारा कोई बुजुर्ग कोई मां भूखी नहीं रहेगी। उपभोक्ता संरक्षण के लिए भी बहुत प्रयास हो रहे हैं। राज्य स्तर पर आयोग और जनपद स्तर पर उपभोक्ता फोरम है जहां सुनवाई होती है और लोगों की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं जिससे उपभोक्ताओं को उनका अधिकार मिलेगा ऐसी एक नई योजना हम बना रहे हैं "उपभोक्ता पंचायत का आयोजन" इसमें कोटेदार और अधिकारी आमने सामने बैठकर अपनी शिकायतों का निपटारा करेंगे। इसके साथ ही इसमें हमारे कुछ साथी भी शिरकत करेंगे।

हम पारदर्शिता चाहते हैं इसलिए हमने सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की है जिससे किसी भी उपभोक्ता को जानकारी मिल सकती है। कर्मचारी कल्याण निगम कार्य कर रहा है और पिछले साल की तुलना में इसमें घाटा भी कम हुआ है। 1998-99 में एक करोड़ इकसठ लाख का घाटा था और 1999-2000 में यह सिर्फ 10 लाख रुपये का घाटा रह गया है। आवश्यक वस्तु निगम भी जनता की सेवा में है। हम चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक उपयोग जनता की सेवा में किया जाय। एक बिन्दु और जिस पर चर्चा नहीं हुई, रेन्ट कन्ट्रोल। पहले मंत्रि-परिषद् की एक उपसमिति बनी थी जिसका पुनर्गठन किया जायगा। इसमें रेन्ट कन्ट्रोल के माध्यम से विस्तार से चर्चा करके यदि आवश्यक हुआ तो सुधार भी किया जायेगा। हमने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रोन्नति की बात की है तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है उनको दण्डित करने का प्रयास भी किया है। हमने एक कदम और उठाया है। बहुत सी हमारी वस्तुएं निष्प्रयोज्य हैं और डम्प हैं, उसे कैसे समाप्त किया जाए, उसके निस्तारण के लिये भी हमने कार्यक्रम बनाया है, जिससे जगह भी खाली हो जायेगी और सरकार को कुछ रेवेन्यू भी मिल सकेगा। हमने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर विचार किया है ताकि उन्हें तमाम कार्यक्रमों की जानकारी दी जा सके और वह अपने कार्य को और अच्छी तरह से कर सकें। मैं ज्यादा न कहकर माननीय सदस्यों के विचारों को सुनना चाहूंगा।

एक खुशखबरी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं, हमारी जो महिलायें हैं, जिनकी आबादी 50 प्रतिशत है, जो राशन की दुकानें हैं और जो कोटेदार होंगे, उनमें 20 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को दिया जायेगा। यह एक अच्छा कदम होगा। माननीय सदस्यगण यह निश्चित रूप से पूछेंगे कि जो दुकानें आवंटित हो रही थी उन्हें निरस्त क्यों कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें निरस्त नहीं किया गया है बल्कि स्थगित किया गया है। चूंकि जो पहले व्यवस्था थी, उसमें कुछ कटौती की गई थी, हम उस व्यवस्था को पुनः लागू करेंगे और हम बहुत जल्द ही दुकानों को आवंटित करेंगे। इस प्रकार के प्रयास हमारे विभाग ने किये हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों के सकारात्मक

सुझाव आयेंगे ताकि उनके अनुसार कदम उठाने का प्रयास किया जायेगा । आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी आप कटौती का प्रस्ताव रखें । एक अनुरोध है कि जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है, वही आप भी करेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज खाद्य एवं रसद विभाग का 2000-2001 का बजट माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, हमें उम्मीद थी कि जो विसंगतियां इस विभाग की कार्य-प्रणाली में विगत 3-4 वर्षों से बहुत तेजी से बढ़ी हैं उनमें किसी तरह का सकारात्मक और प्रभावी योजनायें अपने बजट में रखने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे । माननीय मंत्री जी ने एक शब्द का अपने भाषण में प्रयोग किया कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने धैर्यपूर्वक उन्हें सुना । मैं कहना चाहता हूं कि धैर्यपूर्वक ही नहीं अपितु आशापूर्वक आखिर शब्द तक हम उन्हें सुनना चाहते थे । शायद अपने बजट भाषण कहने से जो वह छूट गये हैं स्मरण करके उन्हें आखिर में समावेश कर लें । पुनः अवसर एक अवसर और दूंगा, जब वह अपने उत्तर भाषण को शुरू करें तो जो विसंगतियां विगत तीन-चार वर्ष में इस विभाग में आ गई हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कौन सी प्रभावी योजना सरकार के विचाराधीन है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बजट भाषण में कहीं भी नहीं किया, इसलिये जब माननीय मंत्री जी उसे अपने उत्तर भाषण में रखेंगे तो मैं उनका आभारी हूंगा । मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित जितने भी प्रश्न इस विधान सभा में पूछे गये हैं, उनमें सर्वाधिक जानकारी माननीय सदस्यों ने जो चाही है । मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा । बहुत संक्षेप में जैसा आपने निर्देश दिया है, निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वाधिक शिकायत इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की है । इसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति की लम्बाई-बार-बार एक ही स्थान पर स्थानान्तरित हो जाने के बाद पदस्थापित किये जाने के संबंध में, और उसके बाद उससे जुड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी पूछे जाने के संबंध में है । जब भी इस विभाग से सम्बन्धित प्रकरण इस सदन में आया है 80 प्रतिशत से अधिक चर्चा भ्रष्टाचार में पूर्ण नियंत्रण करने के लिए कोई योजना बनाई है । कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की इसके बारे में कोई आंकड़े नहीं दिये जबकि आपने आंकड़े तो बहुत दिये हैं ।

बहुत आश्चर्य होता है इस सरकार में मंत्रियों के स्थानान्तरण तो जल्दी-जल्दी हो जाते हैं । एक वर्ष में दो तीन मंत्री बदल दिये जाते हैं लेकिन जो इनके पूर्ति निरीक्षक हैं और जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं और जो आई० ए० एस० नामधारी सबसे मजबूत जन्तु है उस पर कार्यवाही करने की हिम्मत माननीय मंत्री जी को नहीं है । ऐसे कोई आंकड़े आपने इस बजट साहित्य में नहीं दिये हैं । एक बात की प्रसन्नता है कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को खाद्य एवं रसद विभाग दे दिया गया । जब परिवर्तन किया गया, यह मुख्य मंत्री जी का आन्तरिक मामला है कि वह कौन सा विभाग किसको दें उससे कोई मतलब नहीं है । यह जरूर हम समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्षमताओं को परखा होगा, नई शर्तें लगाकर यह पद दिया होगा । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वे कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा कर लेने के बाद आपको यह पद प्राप्त हुआ जब आप अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें यह अवगत कराने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता जी, जो कुछ भी डंग साहब ने कहा है उसको सादर, विनम्रतापूर्वक 100 गुना करके उनको वापस करता हूं। श्रीमन्, यह खाद्य एवं रसद विभाग जनता से इस कदर जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु जीविकोपयोगी जितनी वस्तुएं हैं जिनके बिना जीना सम्भव नहीं है हवा और पानी को छोड़कर जिनके अभाव में प्राणीमात्र के जीने की कल्पना नहीं है, उससे सम्बन्धित है। जहां खाद्यान्न, तेल, पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला रसोई गैस इनके विभाग से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। इनके संबंध में नियंत्रण करने का काम, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए यह काम इनका विभाग करता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

मैं तो माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं संयोग से जिनके समर्थन और सहयोग से आप लगे हैं इन्हीं की सरकार भारत सरकार की ऊंची कुर्सी पर बैठी है। आपकी सुनवाई इसमें नहीं हो रही है तो कब होगी ? आपने कहा कि 91 की जनगणना के आधार पर कोटा है। दस वर्ष बीत गये हैं और इतनी ज्यादा तादात में आबादी बढ़ी है उसके अनुपात में हमारा कोटा बढ़ा दिया जाय लेकिन नहीं किया गया मात्र 50 ग्राम प्रति माह प्रति यूनिट चीनी का कोटा बढ़ाने में कामयाब आप हो पाये हैं, उसके लिए आपको बधाई दे दें। इसके अलावा कोई सुनवाई उधर नहीं हो रही है। यह आप विचार करें कि आप किस चीज के लिए भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं। खाद्यान्नों की उपलब्धता के बारे में आपने एक बात कही कि गेहूं पंजाब से और दूसरे..... आपने नाम नहीं लिया अन्य प्रदेशों से आता था और सड़ जाता था। आपके पास आंकड़े मौजूद होंगे उत्तर प्रदेश में गेहूं सरप्लस है। अपने उपयोग से अधिक और आपने जो बजट साहित्य उपलब्ध कराया उसमें भी इस बात का जिक्र है गेहूं हमारे प्रदेश में सरप्लस है। समय-समय पर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जाता है। कहा जाता है कि गेहूं किसान बाहर नहीं ले जा सकता है आपने साहस करके कदम उठा लिया है तो आपका कदम स्वागत योग्य है दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरप्लस गेहूं किसान दूसरी जगह भेजना चाहता है तो भेजने दिया जाए, आपके विभाग से सीधा जुड़ा यह नहीं है लेकिन आप विनियमन करते हैं, तो सरप्लस गेहूं बाहर ले जाने पर रोक जो लगाते हैं वह न लगाई जाए, इसमें आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। कई प्रश्न विधान सभा में उठाए गए कई माननीय सदस्यों ने कहा उनकी ओर आपका ध्यान चला जाए जो इस सत्र में और 1999 के सत्र में इस वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित उठाए गए हैं उनका उत्तर जो दिया गया है, आप व्यक्ति के रूप में नहीं उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री के रूप में इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यों को जो उत्तर दिये गये हैं उनका अनुपालन नहीं होता है आपके विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। खाद्य और रसद मंत्री जी के पूर्व बहराइच और दूसरी जगहों पर नई दुकानें तय की गईं, पूरी तरह से सूची तैयार हो गई।

माननीय मंत्री जी जब से इस विभाग में आ गये उसको निरस्त कर दिया, कारण क्या था ? आपकी सरकार, आपके अधिकारी, आपके मंत्री, पहली सूची गड़बड़ थी या अब गड़बड़ी के लिए सूची रोकने का काम किया है दोनों बातें हैं आप स्पष्ट कर दीजिएगा तो मैं आभारी होऊंगा। पहली सूची की गड़बड़ी के लिए मंत्री जी को क्या कहा जाए और अधिकारी को [illegible] कहूं, जो भी जिम्मेदार हो आपकी इस गड़बड़ी में बदबू आती रहेगी। आप सूची को क्यों खरि[illegible]रना चाहते हैं जब खाद्य एवं रसद मंत्री के रूप में, इस सदन का सदस्य होने के नाते आपको बधाई दे [illegible] तो उस [illegible] में आप जरूर अवगत कराने की कृपा कीजिएगा।

(एक माननीय मंत्री के बैठे-बैठे बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी यह संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है आप बैठे-[illegible] बीच में टि[illegible]ा न करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार पारदर्शी है यह कहा जाता है लेकिन यह सरकार पारदर्शी नहीं है । लबादा पारदर्शी ओढ़ लिया है जब सरकार लबादा खरीदती है तो एक लबादा उसे पसन्द है । दूसरे ने कहा कि सरकार इस लबादे को कैसे पहनेगी इसमें तो आर-पार दिखायी देता है । तो सरकार कहती है कि इसमें तो मैं ही दिखाई देती हूं । तो वही पारदर्शी लबादा यह पहने हैं और इसका दर्शन जनता कर रही है । इसमें सरकार एक-एक इंच नजर आ रही है । मैं आग्रह करूंगा कि इस छवि को बदलने के लिए कोई विशेष बातें कह सकें तो उसका उल्लेख करने का काम निश्चित रूप से करियेगा । एक बात और है माननीय मंत्री जी ने तय किया था कि दो-दो हजार की आबादी पर गांवों में तथा चार-चार हजार की आबादी पर नगरों में दुकानें होंगी । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राशन की दुकानों के भी माफिया हैं । विभिन्न नामों से वह आवंटित कराते हैं ।

अभी जैसा कि आपने कहा कि 20 प्रतिशत दुकानें महिलाओं को दी जायेंगी, जो दुकानें आरक्षित होती हैं, महिलाओं के नाम पर, विकलांगों के नाम पर, भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर या अन्य किसी वर्ग के नाम पर जिनको आप आरक्षण देना चाहते हैं वह माफिया के हिस्से में चली जाती हैं । इसके निराकरण के लिए उचित उपाय किये होते, दो हजार की आबादी पर गांव में और चार हजार की आबादी पर नगरों में लेकिन यह नहीं किया गया । देखा कि दस हजार 15 हजार कार्ड हैं तो उसे माफियाओं को दे दिया गया । तो यह उनसे निपटने का काम नहीं करना चाहते हैं । किन कारणों से यह फंसे हुए हैं या तो सरकार को बचाने में फंसे हुए हैं या फिर स्वतः फंसे हुए हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि गांव की आबादी पर निकटतम स्थान पर और छोटे-छोटे यूनिट्स में बटे होने चाहिए जहां पर बड़ी धांधली नहीं हो सकें । जब बड़ी निकासी होते है तो गड़बड़ी हो जाती है ।

मान्यवर, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, आपने मुझे आश्वासन दिया था इसी सदन में लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करा लीजिये 80 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोगों को खाद्यान्न जो दिया जा रहा है, पूरी तरह से इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है । मैं पूर्वी जिले से आता हूं । बिहार सीमा पर मेरा जनपद है । उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो आश्वासन दिया गया था भरौली–बक्सर से बैरियर है, गरीबी की रेखा के नीचे का जो खाद्यान्न है वह पूरी तरह से बिहार में, फ्लोर मिल को सप्लाई किया जा रहा है । इसको देखने की जरूरत है । चीनी कोटे के लिए कई ठेकेदार ट्रांसपोर्टेशन के आपके यहां 15 वर्षों से जमे हुए हैं । ब्लैक लिस्ट करते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है । विभागीय स्तर पर ब्लैक लिस्ट किये गये,एफ० आई० आर० दर्ज की गयी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो एक कुन्तल चीनी का बोरा गोदाम में तौलेंगे तो औसतन 95 कि०ग्रा० चीनी निकलेगी । कहीं 92 कि०ग्रा० तक भी मिलेगी और अगर कहीं सख्ती है तो 97 कि०ग्रा० लेकिन यह सब स्थायी रूप से चल रहा है । जो राशन के दुकानदार हैं, सबसे बड़ी शिकायत है भारत सरकार से जो आपको पुष्टाहार मिलता है बांटने के लिए विद्यालयों में बच्चों को दिया जाता है तमाम जिलों में आज वितरण का काम न करके, कितना प्रतिशत कहां रख दिया जायेगा, कितना प्रतिशत किसको दे दिया जायेगा, वह समाप्त हो जा रहा है । उनको ढुलाई नहीं मिल रही है खाली बोरा दुकानदार को मिलता है । उनकी पल्लेदारी लग जाती है ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है । उनका पारिश्रमिक बढ़ाये जाने और इन सबके वितरण का नियोजन किये जाने की आवश्यकता है । एक बेरोजगार जिसको आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये या महिला कोटेदार को इसके माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं या पीड़ित व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर इस तरह से रोजगार दे रहे हैं या डीजल के लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं, वह पूरी ईमानदारी से काम करते हुए इन सब चीजों को कहां से कम्पनसेट करे । पूरी तरह से इसे विचार करते हुए प्रासंगिक

बनाने का काम करें और कास्ट निकालें इतनी मजदूरी तय करके इन शर्तों के साथ एजेन्सी देने का काम करें।

इसी तरह से कर्मचारी कल्याण निगम की बात है इसमें कार्यरत लोग इस सदन की सेवा कर रहे हैं कैन्टीन के माध्यम से दूसरे जिलों में जो निगम की कैन्टीन चल रही हैं वहां राज्य कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं उस वेतन आयोग का लाभ उनको मिलना चाहिए यह मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं जब आप उन कर्मचारियों को शत-प्रतिशत वेतन देने का काम कर रहे हैं तो यह लाभ भी दें। मान्यवर, कई सदस्य घर जाने की जल्दी में हैं और जवाबदेही उनको घर जाने पर देनी पड़ेगी। मैं तो घरवाली से कहूंगा कि उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए, गड़बड़ी को हमने यहां रखा है लेकिन आप जायेंगें तो घर में क्या कहेंगे आप कहेंगे कि मेजें थपथपाकर आया हूं तो वहां भी पीटे जायेंगे। श्रीमन्, जो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के और मंत्रीगण मेरी इन भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं अपना भी समय उन सदस्यों को देना चाहता हूं यह सब की पीड़ा है और इनकी पीड़ाओं को भी आप सुन लेंगे और मंत्री जी इनका निराकरण करेंगे तो उनका आभार व्यक्त करूंगा इसके साथ ही मैं अपना कटौती प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, आपने कोटेदार की कठिनाई बता दी तो क्या भाभी जी के नाम से कोई कोटा है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

भाभी जी के कोटे में हूं। मैं सरकार में मंत्री नही हूं मुझसे कोई खतरा नहीं है।

* श्री महेन्द्र सिंह यादव–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर गेहूं के उत्पादन में प्रदेश का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जनपद है। मेरा क्षेत्र भी गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। गेहूं की खरीद का सबसे ज्यादा काम खाद्य विभाग की विकेन्द्रीकरण खरीद योजना के अन्तर्गत हो गया है। व्यवस्था जो हमारे सामने प्रस्तुत की गयी है वह आदर्शस्वरूप की है उसमें कोई कमी नहीं है लेकिन इसका कार्यान्वयन जब क्षेत्र में होता है, खरीद केन्द्र में जब हम देखते हैं तो वहां काफी कमियां नजर आती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि खरीद केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के लिए वहां पर घटतौली न हो, वहां तुरन्त चेक किसानों को मिले यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें और मेरा अपना जो अनुभव है मैं भी इस विभाग में 5 साल रहा हूं 3 साल उपप्रबन्धक रहा उत्तर प्रदेश का और 3 साल इनके मुख्यालय दिल्ली में रहा यह तभी सम्भव हो सकता है जब जिले के प्रशासनिक अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे वरना विभाग के अधिकारी और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया तो सभी किसानों की शिकायतें रह जायेंगी और घोषणा और संकल्प धरे रह जायेंगे।

मान्यवर, चावल खरीद की जो योजना विभाग चलाता है आंकड़े देखने से पता चलता है कि धान की खरीद बहुत कम होती है। धान को समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीदा जाता है लेकिन बहुत कम खरीद सरकारी एजेंसियां करती हैं इसका कारण यह है कि धान से चावल निकालने में बहुत कष्ट होता है उनकी शिकायतें होती हैं जांच होती है और इसी वजह से एजेंसियां धान खरीदती नहीं हैं लेकिन किसान का लॉस होता है। इसके लिए मजबूत प्रणाली बनानी होगी जिससे [illegible] मूल्य से कम दामों पर किसानों से मिल मालिक चावल न खरीदें। अम्बिका जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं कहा गया, कितने लोगों को सजा दी गयी इसका आंकड़ा नहीं दिया गया मैं कहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पर्याप्त आंकड़े इस बात के दिये हैं कि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया जा रहा है । सजा तो जब कोई गलती करता है उसको मिलती ही है जब पत्रावली खुल जाती है तो उसका अन्त तभी होता है जब कुछ न कुछ प्रसाद मिल जाता है । मान्यवर, आपने यह भी कहा कि 11 हजार टन और आवंटन प्रदेश के लिए किया गया है, उसके लिए माननीय खाद्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । अम्बिका जी को अफसोस हो रहा है और वह केन्द्र सरकार को भी बधाई नहीं दे रहे हैं । अफसोस इन्हें यह है कि इनकी सरकार केन्द्र में थी और इनके नामित गवर्नर यहां राज कर रहे थे, तब भी यह नहीं बढ़वा पाये । इस समय कर्मचारी कल्याण निगम लाभ में है और आवश्यक वस्तु निगम भी, जो पहले नुकसान में चल रहा था, वह भी लाभ दिखा रहा है । कुल मिलाकर खाद्य विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, केवल यह देखने की जरूरत है कि जो अनुश्रवण है, वह सुनिश्चित किया जाय, जिससे कर्मचारी गड़बड़ न करें, इस समय व्यवस्था बहुत अच्छी है । उपभोक्ता पंचायत की जो शुरुआत की गई है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनने के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है, जब लोगों को भी मालूम हो सकेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है ? मैं माननीय मंत्री जी से और अपनी सरकार को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

* श्री बाबूराम यादव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने समय दिया, आपका आभार । आज जो खाद्य एवं रसद विभाग का बजट रखा गया है, उसके संबंध में कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय अम्बिका जी ने कहा था कि इस विभाग में परिवर्तन तो हो गया, माननीय मंत्री जी को बदला गया, और अधिकारियों को बदला गया । यह सही है कि माननीय हुकुम सिंह ज्यादा व्यस्त रहते थे, इन्हें शायद विभाग देखने का समय नहीं मिलता था, इसलिए बहुत गड़बड़ी थी और इसके पहले जो प्रमुख सचिव थे, वह अव्वल दर्जे के बेईमान रहे, उनकी वजह से विभाग में करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई । अब माननीय मंत्री जी आये हैं, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, चौधरी नरेन्द्र सिंह और ग्रामीण लोगों के हितैषी हैं ।

मान्यवर, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं और धान की खरीद कराना अच्छी योजना है । इस वर्ष गेहूं की जो खरीद हुई है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि गेहूं की खरीद इस वर्ष भी 560 रुपये से ऊपर नहीं हुई है, कहीं हुई हो तो अलग बात है, लेकिन मैं मैनपुरी जिले की बात करता हूं। मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, जिलाधिकारी को भी मैंने मिलकर कई बार कहा । वहां पहले व्यापारी खरीद लेता है और फिर केन्द्र पर देता है । पूरे मैनपुरी में एक-दो केन्द्र कहीं खुले, बाकी केन्द्र खुले ही नहीं । जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य 580 रुपये है, वह मैनपुरी जिले में किसी गेहूं उत्पादक किसान को मिला ही नहीं । 560 रुपये से ऊपर कहीं खरीद नहीं हो पाई । धान के संबंध में कहना चाहता हूं कि धान की खरीद एक दाना भी नहीं होती । पूरे प्रदेश में नहीं होता है । सरकार धान की खरीद की बात करती है लेकिन खरीदती नहीं है । जिस तरह से गेहूं की खरीद की जाती है उस तरह से धान की खरीद की जाय तो किसान को धान का उचित मूल्य मिलेगा क्योंकि मिल वाले किसान को पूरा मूल्य नहीं देते हैं । तो यह तो खरीद की बात रही अब वितरण की बात आती है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 1 किलो चीनी देते हैं और देहात में 330 ग्राम देते हैं इधर कुछ बढ़ा दी है । शायद 50 ग्राम बढ़ाई है । आपने शहरी आदमी को देहात के आदमी से सुपर माना है इसलिये माना है कि उसको देहात के मुकाबले दो गुनी चीनी मिलती है । माननीय मंत्री जी ग्रामीण अंचल के हैं जब हमारे साथ बैठते थे तो गांव की बात करते थे जब उधर चले गये हैं तो शहर की बात करते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारत सरकार में आपके ही लोग हैं आप शहर और देहात के लोगों को बराबर मानिये दोनों इस देश के नागरिक हैं और भारत सरकार से कोटा बढ़वा कर शहर तथा गांवों के लोगों को बराबर चीनी दीजिये। मिट्टी के तेल के दाम भारत सरकार ने दो गुने कर दिये हैं। आपने कहा कि मिट्टी का तेल सबसे गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। मैं बताना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद में चीनी और मिट्टी का तेल रक्षा बंधन, दीपावली और होली में बांटा जाता है। साल में केवल तीन बार बांटते हैं। त्योहारों के अलावा चीनी और तेल नहीं बाटा जाता है और मैनपुरी का तेल फिरोजाबाद जनपद को चला जाता है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया लेकिन इसको बंद नहीं करा पाये। तो किसी तरह से मैनपुरी का मिट्टी का तेल फिरोजाबाद जाने से रोका जाय ताकि वह तेल मैनपुरी वालों को मिल सके। ग्रामीण अंचलों में जो आवंटन होता है तो वहां के लोगों से जब पूछते हैं तो वह बताते हैं कि गोदाम से जब चीनी मिलती है तो वहां पर 5 किलो चीनी निकाल ली जाती है, 5 किलो चीनी कम मिलती है। इसलिये देहात के कोटेदारों को जब चीनी दी जाय तो तोल कर दी जाय। जो बांटते हैं वह कहते हैं कि हर महीने बांटेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब शहरी क्षेत्र के लोगों से बात की जाती है तो वह कहते हैं कि हमने 200 परमिट बनवा रखे हैं। शहरी दुकानदारों ने ज्यादा परमिट बनवा रखे हैं इस तरह से उनका काम चलता है। देहात के दूकानदार साल में 3-4 बार बांटकर अपनी बचत करते हैं। तो आप इस पर ध्यान दें। आपके प्रमुख सचिव बदल गये हैं और मंत्री भी बदल गये हैं तो अब किस बात की परेशानी है। देहाती क्षेत्र में प्रत्येक महीने चीनी बांटें और बीच में जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकिये। मान्यवर, दूसरी कठिनाई की बात यह है कि हमारे यहां जो नयी दुकानें हैं उनके सम्बन्ध में हमारी निश्चित जानकारी है कि 25-25 हजार रुपये देकर दुकानें आवंटित हुई हैं। लेकिन उनमें बेचने के लिये आज तक कोई सामान नहीं मिला है चूंकि आपने रोक लगा दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करायें। मान्यवर, जब इतनी रकम लेकर उन्हें दुकानें आवंटित की गयी हैं और उनको कुछ सामान नहीं मिलता है तो वे लोग आपके और सरकार के बारे में क्या सोचेंगे ?

मान्यवर, चौधरी अम्बिका जी ने जैसा कहा था कि कल्याण निगम के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग ने जो सिफारिश किया है उसके आधार पर इन कर्मचारियों को भी वेतन मिलना चाहिए जिससे मैं भी सहमत हूं। आपने आधे लोगों को तो पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन दे दिया है और बहुत से विभाग ऐसे हैं जिन्हें पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन नहीं मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है ? इसलिए आप सभी को, एक समय सीमा निर्धारित कर दें और उसके अन्दर, पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिलायें।

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमने जो बिन्दु उठाये हैं और मुख्य रूप से एक पत्र मेरे पास है जो सरकार और मंत्री जी के खिलाफ नहीं है बल्कि यह पत्र पूर्व प्रमुख सचिव, जो हट गये हैं, के संबंध में है, जिसमें कई करोड़ रुपये के बोरे खरीदे गये थे उसमें घपला किया है जिसकी जांच नहीं हो पायी थी इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अथवा मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए जो समय आपने दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी और मा० बाबूराम जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी अच्छे काम किये हैं अगर बजट साहित्य को आप लोग पढ़ लिये होते तो अच्छा रहता। उसकी तारीफ करने के बाद कटौती का प्रस्ताव रखते तो एक विद्वान, पुराने और पढ़े लिखे सदस्य का परिचय मिलता। लेकिन अच्छी बातों को पढ़ने का काम नहीं किया। मा० अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जो माननीय मंत्री जी द्वारा अच्छे काम किये गये हैं, माननीय मंत्री

जी ने 3,10,65,593 कार्ड नये बनवाये हैं । गरीबी की रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं 95,37,837 लोगों का कार्ड बनवाये । इसके साथ हीं जो लोग फर्जी कार्ड बनाकर तमाम चीनी और खाद्यान्न प्राप्त कर लेते थे और ब्लैक मार्केटिंग करते थे उसकी जांच कराकर फर्जी कार्डों को निरस्त करने का काम किया है । यह प्रशंसनीय कार्य हुआ है और ब्लैक मार्केटियर हतोत्साहित हुए हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन्हें 10 किलो खाद्यान्न के बजाय 20 किलो खाद्यान्न देने का निश्चय किया है । इसमें 14 किलोग्राम गेहूं, 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 6 किलोग्राम चावल 6.40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जायेगा । यह सरकार पहली सरकार है जो गरीबों का चिन्तन करती है । हमारे मंत्री जी बहुत योग्य हैं । लेवी चीनी के बारे में माननीय बाबू राम जी ने कहा कि मंत्री जी हमारी तरफ थे तो गांवों के प्रति ज्यादा चिन्तित रहते थे अब शहर के प्रति चिन्तित रहते हैं । शहर के लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनको शुगर की बीमारी ज्यादा होती है उनको सुरक्षित करने के लिए उनकी चीनी कम की गयी है जबकि ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए जो मेहनतकश हैं, गरीब लोग हैं उन्हें अब तक जो 330 ग्राम प्रति यूनिट चीनी मिलती थी उसे 400 ग्राम कर दिया गया है ।

इसके साथ ही लड़कियों की शादी के लिए जो गरीब लोग शक्कर के लिए दर-दर भटकते थे हमारी सरकार ने 40 किलोग्राम शक्कर देने का विचार किया है । यह गांव के लोगों के लिए किया है । ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिट्टी के तेल का अभाव रहता था, माननीय मंत्री जी के सराहनीय प्रयास से 50 हजार किलोलीटर तेल भारत सरकार ने बढ़ाया है, यह प्रशंसनीय काम है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए । जहां भी वितरण में अनियमितता पायी गयी उसकी मानीटरिंग की गयी जिसकी वजह से अनियमितता करने वाले लोग हतोत्साहित हो गये और जिनका खराब काम था उसके लाइसेंस निरस्त किये गये हैं । भारत सरकार ने माह अप्रैल के बाद 65 वर्ष से ज्यादा आयु के जो वृद्ध हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है उनको 10 किलोग्राम राशन अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क देने का संकल्प किया है, उसमें पुरुष और महिला को समान रूप से लाभ दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ला जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि रसोई गैस की किल्लत थी, हमारे 50 लाख उपभोक्ता एल० पी० जी० के थे और 14 लाख रजिस्टर्ड थे, हमारे मंत्री जी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि जो 14 लाख लोग पंजीकृत हैं उनको भी जल्दी से जल्दी कनेक्शन जारी कर दिया जाये । भारत सरकार ने स्वीकार किया है और कहा है कि दिसम्बर, 2000 तक गैस कनेक्शन दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब कनेक्शन मिल जायेंगे तो पेड़ और जंगल भी सुरक्षित होंगे क्योंकि जो लकड़ी जलाने के काम में लाते थे वह बन्द हो जायेगा । इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अनुश्रवण किया इसी का प्रतिफल है कि गेहूं, चावल, दाल, तिलहन के दाम नहीं बढ़े । आप सभी जानते हैं कि आलू प्याज के कारण तीन सूबों की सरकार चली गयी लेकिन यह हमारी सरकार और उसके मंत्री जी की देन हैं कि उनके अनुश्रवण के कारण कीमतें नहीं बढ़ी इसकी प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है । मान्यवर, रसोई गैस की दिक्कत शहरों

में होती है लाइन लगती है इसमें सरकार का दोष नहीं है इसमें अधिकारियों का दोष है । इसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने पर ध्यान दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री अम्बिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं यह ईमानदारी और कर्मठता से काम करना चाहते हैं । पूर्व में मंत्री का विभाग पर नियंत्रण नहीं था विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था इसीलिए मुख्य मंत्री जी ने मंत्रालय बदल दिया ।मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें सुधार आयेगा यह सुधार विधान सभा में तो दिख रहा है मंत्री जी पहले मुख्य मंत्री के करीब बैठते थे अब इतने दूर आ गये । लेकिन जो भ्रष्टाचार था उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है । यह सही है कि चोरी बेईमानी थोड़ी बहुत तो हर विभाग में छिपे-छिपे स्थान पर होती थी लेकिन यह इकलौता विभाग है जिसमें बेईमानी खुलेआम होती है मंत्री जी क्या बतायेंगे जब वह अपना उत्तर भाषण देंगे कि जब तक किसी को कोटा देते हैं तो यह कहकर कि यह बेरोजगार है रोजगार देने के लिए कोटा दिया जाता है । अगर ईमानदारी से कोई काम करे तो घाटा होगा यदि नियमानुसार काम करे एक आदमी के तनखां उसमें निकाल दिया जाए तुलाई का वेतन निकाल दिया जाए अगर किराए पर दुकान है तो दुकान का किराया निकाल दिया जाए तो उसको दो-तीन हजार रुपये अपने पास से लगाने पड़ेंगे । आजकल समाज में सबसे ज्यादा बेईमान उसी को समझा जाता है जो राशन का कोटेदार है । इसी राशन की दुकान से आदमी अपना घर चलाता है, इसी से वह डी० एस० ओ० दफ्तर के लोगों का खर्च भी पूरा करता है । इंस्पेक्टर की महवारी भी इसी में देता है । इससे बड़ा वह जनसेवक हो ही नहीं सकता । शूगर इस समय इतनी खराब मिल रही है उसमें क्रेशर की शक्कर मिलावट करके बेची जा रही है इसकी जांच करा ली जाए, शूगर में मिलावट, मिट्टी के तेल में मिलावट और घटतौली की बात मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं यह कोशिश अभी तक विफल है । मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको जो नये कोटे देने जा रहे हैं उसमें प्रिफरेंस दें ताकि उन लोगों को रोजगार मिल जाए जो घटतौली हो रही है उसको रोका जाए, यह भी देखें कि जो रेट आपने लगाये हैं उसी रेट से गांव के लोगों को सामान मिल रहा है । इसमें उसकी बचत क्या होती है ? तो सरकार निश्चित रूप से बेइमानी खुद करा रही है । अभी हमारे सम्मानित सदस्य बहुत ही जोरदार तरीके से कह रहे थे कि भारत सरकार ने ये किया, प्रदेश सरकार ने वो किया हमने ये किया वो किया । गांव देहात में प्रति यूनिट 330 ग्राम शक्कर दी जाती है और शहर में पौन किलो तो गांव और शहर के लोगों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? क्या इसलिए कि वहां का किसान गन्ना उगाता है और उसकी इसी मेहनत से हमको शक्कर मिलती है यही उसका दोष है ? तो इस अनुपात को घटाना चाहिए । एक सुझाव और मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप धान किसान से खरीदते हैं और फिर यह भी उससे कहते हैं कि धान अच्छा नहीं है सरकार को वित्तीय नुकसान होता है ।

मान्यवर, चावल आप चावल मिल मालिकों से खरीदते हैं । यदि आप चावल भी सीधे किसानों से ही लें तो किसान को अच्छा मूल्य मिल जायगा और मिल मालिक भी बीच में नहीं आयेंगे । आप कहते हैं कि आगे आने वाले दो वर्षों तक के लिए हमारे पास अनाज उपलब्ध है तो क्या परेशानी है गांव के लोगों को इतनी कम शक्कर देने की और शहर को इतनी ज्यादा देने की । आप सबको बराबर अनाज दे जिससे किसी का पेट भी न खाली रहे और आपके गोदाम का भी भार हल्का होता रहे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने मुझे श्री अम्बिका चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज सदन में मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का रूल्स आफ एसोसियेशन के हिसाब से अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है लेकिन आज इस पद पर एक पब्लिक का आदमी काम कर रहा है। हालांकि जब यह नियुक्ति हुई उस समय राम प्रकाश जी मुख्य मंत्री नहीं थे। यह नियुक्ति रूल्स आफ एसोसियेशन के विरुद्ध की गयी है। राजस्व सचिव ने एक मीटिंग में भी यह आरोप लगाया था कि यह नियुक्ति गलत हुई है। लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन के हिसाब से भी यह नियुक्ति गलत हुई है। इस पद पर तीन साल तक अवैध नियुक्ति हुई और जो अध्यक्ष बना है वह गाड़ी का भी प्रयोग कर रहा है, पेट्रोल भी बर्बाद कर रहा है और इधर सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है। नियम–51 के जवाब में खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने जवाब दिया था कि मनोनयन के निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है। पारदर्शिता का जो नारा यह सरकार देती है वह कहां चला गया। निगम पर वित्तीय संकट है निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकल पा रही है। एक करोड़ रुपये से निगम घाटे में चल रहा है। उसके बाद भी उस आदमी की नियुक्ति करना, इस सरकार की नैतिकता की बहुत ज्यादा कमजोरी है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि श्री गेंदा लाल की नियुक्ति करना बहुत गलत है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के द्वारा जो दो पहिया वाहन सेल किये जाते हैं उसमें केवल एक साल का आप प्राविधान करते हैं और जब वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है तो उसका प्रोसेस शुरू होता है जिसमें 3-4 महीने का समय लग जाता है जिसके कारण निगम को घाटा होता है इसलिए आप दो पहिया वाहनों के लिए एक परमानेन्ट व्यवस्था कर दें ताकि उनकी सेल होती रहे और निगमं को घाटा न उठाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं अपने जनपद कुशीनगर के खड्डा नगर पंचायत की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 10026 थी और जो अब बढ़ कर 25000 यूनिट हो गयी है और 32 परसेन्ट लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं इसलिए इसमें सुधार किया जाय। कुशीनगर में एक अधिकारी के गड़बड़ी के चलते हुए डीजल, मिट्टी का तेल आदि नैपाल राष्ट्र को ब्लैक किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि इसमें सुधार किया जाय। हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प खड्डा में घटतौली की शिकायतें काफी मिली हैं। 10 लीटर डीजल की जगह पर 8 लीटर या 6 लीटर मिलता है जबकि मीटर सही चल रहा है इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाय। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जो कानून बने हैं उनका कठोरता से पालन किया जाय। धन्यवाद।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, आपने मुझे 'खाद्य विभाग बजट पर अम्बिका चौधरी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। विभाग द्वारा किसानों का जो गेहूं और धान खरीदने के लिए क्रय केन्द्र खोले गये थे उसका यही उद्देश्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल सके लेकिन आज क्या स्थिति है । मैं अपने उन्नाव जनपद के बारे में अवगत कराना चाहता हूं पूरे उन्नाव जनपद में एक भी गेहूं का क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है । प्रत्येक गांव सभा में राशन की जो सस्ते गल्ले की दुकानें खोले जाने की बात है आज उनकी क्या स्थिति है । जो यह योजना थी क्या वास्तव में गेहूं, चावल आदि उन लोगों को मिल पा रहा है । समय-समय पर शिकायतें भी हम लोग करते हैं कि अमुक गांव सभा के कोटेदार द्वारा केवल साल में तीन बार चीनी बांटने का काम किया जाता है । मान्यवर, वही स्थिति मिट्टी के तेल की है । गांव में घर-घर में इसकी जलाने के लिए आवश्यकता है लेकिन वास्तव में जो कोटेदार हैं जो सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार हैं मिट्टी के तेल को गांव के निवासियों को न देकर बड़े-बड़े व्यापारियों को और जो दूसरे दुकान वाले हैं उनको बेच देने का काम करते हैं । इस विभाग में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो गेहूं दिया जाता है वह अगर सच्चाई से देखा जाय तो उसमें जो गेहूं दिया जाता है वह बगैर पैसे के उन छात्रों को दिये जाने का काम किया जाता है लेकिन आपको एक भी ऐसा विद्यालय नहीं मिलेगा जहां पूरे वर्ष का गेहूं किसी भी कोटेदार द्वारा बांटने का काम किया गया हो । यह सही है कि उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे विभाग में देखने को नहीं मिलेगा । एक दिक्कत और खड़ी हो गई है कि आज जो भी कोटेदार की दुकान निरस्त की जाती है वहीं दूसरी राशन की दुकानों पर रोक लगाने का काम किया है जिससे गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है । एक ही सरकारी गल्ले की दुकान है 10–15 ग्राम सभाओं में और वह 10–15 ग्राम सभाओं का कोटेदार होने के नाते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करता है । नई दुकानों का आवंटन न होने के कारण नई दुकानें नहीं खुल पा रही हैं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सुझाव के तौर पर एक बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि वे वास्तव में चाहते हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गेहूं दिये जाने का काम हो, चीनी, मिट्टी का तेल, चाहे छात्रों को गेहूं दिये जाने का सवाल हो सारी चीजों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में न देकर सहकारिता विभाग या अन्य एजेन्सी को इसका लाइसेन्स देकर इसका वितरण का कार्य करायें तो उचित होगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लग जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बनवारी लाल दोहरे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को चिन्हित करके 55.48 लाख कार्ड बनवाये हैं सफेद रंग के और गरीबी की रेखा के ऊपर वालों के लिए पीले रंग के कार्ड की व्यवस्था की है । इसी प्रकार से वितरण प्रणाली में चीनी की व्यवस्था शहरी क्षेत्र में 1 किलो और देहाती क्षेत्र में 330 ग्राम प्रति यूनिट की है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए चीनी को बढ़ाकर 400 ग्राम करेंगे । उसी तरह से मिट्टी का तेल है । जहां एल० पी० जी० कनेक्शन है वहां 3 लीटर प्रति यूनिट और जहां एल० पी० जी० कनेक्शन नहीं है वहां पर 8 लीटर प्रति यूनिट की व्यवस्था की है ।

माननीय मंत्री जी द्वारा यह भी चिन्ता प्रकट की गई कि पेट्रोल पम्प में जो घटतौली का मामला है उसकी चिन्ता करेंगे । पेट्रोल में मिट्टी का तेल और डीजल में मिलावट हर पेट्रोल पम्प में चल रही है । इसकी चिन्ता करनी चाहिए । मिट्टी के तेल में, डीजल में जो अन्तर हैं, मिट्टी के तेल में पेट्रोल में जो अन्तर है, उसकी चिन्ता करनी चाहिए । यह अन्तर अधिक होने के कारण मिलावट हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है। थोक डीलर मिट्टी के तेल का कोटा एक महीने रोक कर बेचते हैं । मिट्टी का तेल पेट्रोल पम्प पर ही बेचते हैं। कुछ इस प्रकार के उपाय करिये ताकि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जा सके। मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं दो-तीन सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। बार-बार यह प्रश्न उठता है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और हो भी रहा है। माननीय मंत्री जी अगर अधिकारियों पर अंकुश लगा लें तो कुछ सुधार हो सकता है, जिला पूर्ति अधिकारी आपूर्ति निरीक्षक डी० एम० से लेकर नीचे तक, सबका खर्चा करते हैं यदि इस पर अंकुश लगा दिया जाए तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात मान्यवर, जिन दुकानदारों को फेयर प्राइज शाप का आवंटन होता है वह अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं जितना पैसा मिलता है उसमें गुजारा नहीं हो सकता है तो इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें कि वह बेइमानी के लिए मजबूर न हों। साधारण लोगों को यह पता नहीं होता है कि दुकान खोलने का समय क्या है किस चीज को कितनी मात्रा में मिलना है, भाव क्या है, दुकान पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है 'तेल लेने गये हैं, यह देखकर आदमी वापस घर चला जाता है।

इसी तरह से जो फर्जी कार्ड हैं उनकी जांच होनी चाहिए डी० एस० ओ० की सहमति से फर्जी कार्ड दुकान पर रखे रहते हैं, 25–30 कार्ड, हमेशा रहते हैं उससे राशन को बेचने का काम करते हैं। इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी बात कहना चाहता हूं। ए० पी० एल० और बी० पी० एल० के बारे में कहना चाहूंगा इसमें सर्वेक्षण की उचित व्यवस्था नहीं है इसमें जो महाविद्यालय के छात्र हैं उनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य करायें, बिना पैसे के इसमें ईमानदारी से काम होगा कार्ड भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त निवेदन करना चाहूंगा कि किराया नियंत्रण अधिनियम हालांकि मंत्री जी के विभाग के अन्तर्गत आता है इसमें ऐसा कानून बनायें कि मुन्सिफ और कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मुकदमे जा रहे हैं रुके किरायेदार, भवन स्वामी दोनों को फेयर ट्रीटमेन्ट दिया जा सके। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अम्बिका चौधरी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं अपने क्षेत्र जनपद बहराइच के बारे में बताना चाहता हूं क्रय केन्द्र जो खोलने थे वह नहीं खोले गये हैं बिचौलिये सामान खरीदकर उसे बेच रहे हैं। पिछले दिनों सवाल किया था माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था मेरा जनपद बहराइच नेपाल जे जुड़ा हुआ है वहां मिट्टी का तेल शक्कर गेहूं ट्रकों और दूसरे वाहनों से ले जाया जाता है और ब्लैक होता है इस पर रोक लगवायें यह संकट का कारण है। दूसरी चीज हुजूरपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम चन्द्रभान सिंह है यह लाखों का सामान खरीद लेता है और बेच देता है, इसके बारे में पहले भी सवाल उठाया गया यहां कोई चीज कही जाये उस पर जांच न हो यह सही नहीं है। क्योंकि जो पच्चासी कोटेदार का गल्ला लेकर बेचेगा वह पैसा वाला आदमी होगा। तो यह सब कमियां हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। मान्यवर, मिट्टी का तेल कितना जरूरी है किसानों के लिए और शहर में रहने वाले गरीब आदमियों के लिए। आपने उसके भी दाम बढ़ा दिये। जो ढिबरी जलती थी उसको भी आपने अंधेरे में बदल लिया। बार्डर पर जितने जिले हैं वहां पर यह ब्लैक हो रहा है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। दूसरा एक आंकड़ा माननीय मंत्री जी ने दिया कि एक हजार दो सौ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अड़तीस लोगों के लाइसेंस निरस्त किये गये । इतना बड़ा प्रदेश करोड़ों की आबादी और एक हजार लाइसेंस आपने रद्द किये । यह तो शर्म की बात है । 99 आदमियों को आपने 3/7 में बन्द किया । तो यह भी इतने कम । आप तो जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जो बन्द कमरों में, ठण्डे कमरों में रहते हैं उन पर भी तो कुछ अंकुश लगाइये । मिट्टी के तेल में ब्लैक, शुगर में ब्लैक, गेहूं में घोटाला तो यह सब ज्यादा दिनों चलने वाला नहीं है । मिट्टी के तेल से तो सरकार भी गंधाने लगी है । कहीं ऐसा न हो कि जनता की आक्रोश की तीली से यह जलने लगे । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय चौधरी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे असुविधा होते हुए भी समय दिया । मैं माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और बिन्दुशः अपने सुझाव रखना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में जहां राशन कार्ड बने हैं उन राशन कार्ड की यूनिट्स को अगर आप चेक करा लेंगे तो 91 का जो सेशंस है बहुत पीछे छूट जायेगा । उस वक्त जो सही जनसंख्या है उससे बहुत ज्यादा यूनिट्स बने गये होंगे । जबकि सच्चाई यह है कि ढेर सारे लोगों के कार्ड बनने शेष हैं । इससे यह बात सिद्ध है कि राशन दुकानदार राशन माफिया ने मिलकर के एक यूनिट्स बनायें जिससे वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है । मैं चाहूंगा कि इसमें युद्ध स्तर पर चेक करने की कार्यवाही की जाय और जो गलत राशन कार्ड बने हैं उनको निरस्त किया जाय । मान्यवर, वेट एण्ड मेजर्स एवं पैकेज ऐक्ट में भयंकर त्रुटि चल रही है । डालडा का एक टीन सील्ड है । उसके भीतर पानी या एडल्टरेटेड घी भरा है या जितनी मात्रा है उससे कम हो और सील्ड इन्टेक्ट हो ।

(कई सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी करने पर)

यदि आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इस पर बोलूं तो मैं बैठ जाता हूं । इतना गम्भीर बजट है और आप लोग सीरियस नहीं हैं । तो त्रुटि यह है कि जो पैक है सील इनटेक्ट है अगर वह किसी दुकानदार के पास पाया जाता है तो एडल्ट्रेशन में दोषी है जो मैन्युफेक्चरर है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आती है । इसलिये इस एक्ट में संशोधन की महती आवश्यकता है । इसी तरह से चावल की उगाही करते हैं जगह-जगह पर सेन्टर्स बने हैं घोटाला होता है जो उसमें आद्रता रहती है भीगा रहता है सेन्टर में मिलीभगत करके विक्रेता प्रसन्न कर देता है तो वह उसी रूप में गोदाम में पहुंच जाता है गीला होगा तो सड़ेगा और वेस्टेज में चला जाता है आपको सरप्राईज चेकिंग करनी पड़ेगी । आद्रता नापने का काम भी किया जायेगा तब जाकर इस घोटाले से मुक्ति मिलेगी । इसी तरह से उपभोक्ता जब दुकानदार (राशन) के पास जायेगा तो कहा जायेगा कि राशन नहीं है आया नहीं है या आया तो बंट गया है । 1951 में एक व्यवस्था हो गयी थी उसको रिज्यूम करने की आवश्यकता है डोर स्टेप डिलीवरी की सूचना राशन की दुकान पर डिस्प्ले रहता था कि अमुक तिथि पर राशन जरूर आ जायेगा समय पर राशन दुकानदार ड्राफ्ट लगाता था । एफ० सी० आई० के गोदामों से जब निकलता था तो कांटा ट्रक पर रहता था कम लगा तो तुलवा लिया ।

मान्यवर, इसी तरह से सस्ता गल्ला की दुकान और सहायक खाद्य निरीक्षक कार्यालय । मान्यवर, मानक के अनुसार जनसंख्या के अनुसार इस पर बहुत दिनों से विचार नहीं हुआ है । यह संख्या दुकानों की तय हो उसके अनुसार दुकानों की स्थापना हो ए० आर० ओ० आफिस का ठिकाना नहीं है कई कई लाख राशनकार्ड लगे रहते हैं इस पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है । चावल में एडलट्रेशन की बात है--जो मोटा चावल होता है उसका मशीनीकरण करके वह बासमती का रूप ले लेता है । उस बासमती में अडलट्रेशन होता है । इसी तरह से जो आपका रेंट

कंट्रोल ऐक्ट है आज उसकी प्रासंगिकता नहीं रह गयी है । शहरों में जो मकान निर्माता हैं वह किराये पर उठाने में संकोच करते हैं इसीलिये मकानों के निर्माण में व्यवधान आ गया है उस त्रुटि के कारण जो किरायेदार हैं, उनके साथ भी ज्यादती होती है । इसलिए इस ऐक्ट की समीक्षा करके ऐसे दोषों से इसको दूर किया जाय, मकानों का निर्माण हो किरायेदारों का हित संरक्षण हो । इसी के साथ बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय महेन्द्र सिंह यादव, माननीय बाबू राम यादव, माननीय तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी, माननीय राम औतार शाक्य, माननीय दीपलाल भारती, माननीय उदयराज यादव, माननीय बनवारी लाल दोहरे, माननीय अम्बरीष कुमार, माननीय रामतेज यादव एडवोकेट और माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार रखे ।

मान्यवर, इन सभी माननीय सदस्यों ने जिनमें औपचारिकता के नाते बजट प्रस्ताव का समर्थन करने वाले माननीय सदस्य भी शामिल हैं एक राय से इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों की चर्चा की । माननीय मंत्री जी ने स्वतः अपने भाषण में स्वीकार किया था कि पेट्रोल पम्पों पर घटतौली जारी है । मैं आभारी हूं माननीय दीपलाल भारती का उन्होंने जब इस बजट प्रस्ताव का समर्थन किया तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि 10 लीटर पेट्रोल में 8 लीटर पेट्रोल मिलता है, डीजल में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, तमाम खाद्य पदार्थों में जिसका नियंत्रण प्रकारान्तर में कहीं सीधे और कहीं घुमाकर खाद्य और रसद विभाग का है और राशन की दुकानों पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है तथा गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन नहीं मिल पा रहा है और उसको ब्लैक कर दिया जा रहा है । यह कमोवेश सभी माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है इसलिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं ।

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य जहां एक राय हैं कि आपके विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं किये जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में इस बात की प्रशंसा करके कि भारत सरकार ने हमारे लिये बड़ी मदद कर दी, कोटा बढ़ा दिया मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस पर सरकार ने सब्सिडी घटाई है । किरोसिन तेल महंगा कर दिया, रसोई गैस महंगी कर दी, भारत सरकार के निर्णय से चीनी महंगी हो गई । उस भारत सरकार की तारीफ तब करते जब वांछित कोटा आपके हिसाब से जितनी जरूरत थी उतना बढ़ा देती, माननीय प्रधान मंत्री चुनकर जहां से गये हैं, जिस प्रदेश से सांसद हैं उसके लिए जो आवश्यक कोटा है वह भी दे देते तो आप तारीफ करते तो हम भी आपकी तारीफ में अपने को शामिल पाते लेकिन यह झूठी तारीफ से इसमें कोई बात बनने वाली नहीं है । उपभोक्ता संरक्षण की बात आपने कही है और मिलावट के संबंध में कई बातें आपने कही हैं । मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण पर अगर ईमानदारी से यह सरकार काम करने लगती और उपभोक्ताओं की तकलीफों को उनके फोरम पर सुनने का प्रबन्ध कर लिया जाता और शिकायत सही समय पर सुन ली जाती तो इस भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से काफी अंकुश लगाया जा सकता है । जिस योजना का आपने जिक्र किया है, वह ईमानदारी से सरकार लागू करे तो आपकी इस योजना का स्वागत करता हूं । सिर्फ शब्दों से काम चलने वाला नहीं है । माननीय बाबू राम जी ने कहा कि इसके पूर्व जो सचिव थे उनके ऊपर बहुत भारी भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने साथ सम्बद्ध कर लिया तो यह तालमेल मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मुख्य मंत्री जी इस पर कोई जानकारी देंगे तो हम आभारी होंगे । एक बात बहुत आसानी से कह दी जाती है कि हम क्या करें इसके पूर्व की सरकारों ने किया । मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी जो आपने दिवास्वप्न बनाया है, बहुत खूबसूरत है लेकिन इनको दिखा पाने की स्थिति नहीं है, आज वितरण व्यवस्था कितनी चरमराई हालत में है ।

घटतौली और मिलावट के माध्यम से लूट मची है। आपने जिस तरह आलोचना के लिये तिरछे शब्दों का इस्तेमाल दूसरे लोगों के लिए किया है, जिनकी चर्चा करके आप अपने दायित्व से निजात नहीं पा सकते हैं। आप खाद्य मंत्री हैं, मैं कहना चाहूंगा–

"इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं,
जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं,
आपके कालीन देखेंगे कभी,
आज तो ये पांव कीचड़ में सने हैं।"

इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, श्री अम्बिका चौधरी जी ने कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए कई अच्छे सुझाव दिये। भाई महेन्द्र सिंह यादव जी ने भी वास्तविकता बताई है और बजट का समर्थन किया है। भाई बाबू राम यादव, सम्मानित सदस्य ने तो कोई सकारात्मक सुझाव न देकर के सिर्फ आलोचना की है, टिप्पणी की है। सम्मानित सदस्य शुक्ला जी ने बजट का समर्थन करते हुए तमाम उपलब्धियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने भी कोटेदारों की समस्या को बहुत अच्छे ढंग से रखने का प्रयास किया है। शाक्य जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और पारदर्शिता पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। भारती जी ने कुशीनगर में राशनकार्डों की बात कही और आवश्यक वस्तु निगम के बारे में भी बात की और उदयराज यादव जी ने भी कोटेदारों की कठिनाई पर ध्यान आकर्षित किया। भाई बनवारी लाल दोहरे ने पेट्रोल पम्पों पर डीजल और पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट की बात कही। अम्बरीष जी के सुझाव बहुत अच्छे हैं और व्यवहारिक हैं तथा कोटे दारों के पक्ष में हैं। रामतेज यादव जी ने सीमावर्ती जनपदों से नेपाल में किरासिन आयल की तस्करी की बात कही, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाल चन्द्र मिश्र जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये हैं, वह लगभग एक से हैं। लेकिन सम्मानित सदस्य अम्बिका जी ने कुछ बिन्दु ऐसे उठाये हैं, जिनका जवाब देनी जरूरी है। यह कहना कि यह विभाग मेरे हिस्से में है और जानबूझकर दिया गया, किसी की शिकायत की वजह से, इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं। मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का, एक संवेदनशील, अति संवेदनशील विभाग उन्होंने हमारी सुपुर्दगी में किया जिसका आम अवाम से वास्ता है और मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन की जो अपेक्षाएं हैं, आगे आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर मिलावट कम होगी और मैं बताना चाहता हूं। हमारे अधिकारी एक साथ 9 स्थानों पर, बड़े स्थानों पर छापा मार रहे हैं और यह कार्यवाई बड़ी तेजी से हो रही है। इलाहाबाद, कानपुर लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, झाँसी, मेरठ। हर तरफ से पूरा प्रयास है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, इस सरकार में मिलावट कितने दिनों में बन्द होगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सम्मानित सदस्य बुनियाद हुसैन अंसारी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह दूसरे की तरफ ही मिलावट की बात में न जायें जरा अपनी तरफ भी देखना चाहें। जो कटौती की बात उन्होंने कही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे जो राशन की दुकानों को स्थगित करने की बात सम्मानित सदस्य

ने कही, उसके पीछे दो बातें थी । मंत्रि-परिषद् में भी चर्चा हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी चर्चा हुई और कोई भी प्रार्थना-पत्र निरस्त नहीं किया गया । वह आवेदन-पत्र स्थगित कर दिये गये, आवंटन स्थगित कर दिया गया, हो सकता है कि उसमें कोई शिकायतें रही हों । हमारा उद्देश्य यह रहा है कि समाज का कोई उपेक्षित वर्ग, जो पिछड़ा और दलित वर्ग है, जिसमें उसकी भागीदारी हो, उसे भागीदारी से वंचित होना पड़ रहा था, वह उस भागीदारी से वंचित न हो सके और कुछ लोगों को प्रार्थना-पत्र देने का मौका मिल सके, इसलिए स्थगित किया गया है । एक दूसरा उद्देश्य यह भी था, मैं सदन को पहले भी अवगत करा चुका हूं कि हम इस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं । हमने 7 राज्यों में अध्ययन दल भेजे, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र और पश्चिम बंगाल । सभी राज्यों से रिपोर्ट आ गयी है और हमने विभिन्न संगठनों से भी भेंट की, कोटेदारों का भी जो प्रदेशीय स्तर का संगठन है, उसकी कठिनाइयों को सुना ।

यह निश्चित बात है कि हमें इस व्यवस्था को और व्यावहारिक बनाना पड़ेगा और उनके लाभांश को बढ़ाना पड़ेगा तब हम उनसे बहुत सख्ती से काम ले सकेंगे, तब हम कोई मोरौवत नहीं करेंगे, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि खाद्यान्न और मिट्टी का तेल उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगा और एक गुणवत्ता को भी उसमें ध्यान रहेगा । हम पूरी व्यवस्था को सुधार करके एक प्रस्ताव लेकर माननीय मंत्रि-परिषद् के सामने जायेंगे और उसे जनहित में लागू करेंगे, यह हमारा प्रयास होगा । श्री अम्बिका चौधरी ने कहा कि किसी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं । मान्यवर, खाद्य एवं रसद आयुक्त संगठन में 32 कर्मचारी और अधिकारी निलम्बित किये गये हैं, 72 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है । उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गयी हैं, 23 के खिलाफ कार्यवाही चल रही है । विधिक माप विज्ञान विभाग इसमें 6 लोग निलम्बित किये गये हैं ।

हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कार्यवाही करने का और आगे आने वाले दिनों में यह कार्यवाही और तेज की जायेगी । जो भी गलती करेगी, गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा, अधिष्ठाता महोदय, मैं सम्मानित सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके साथ कोई मोरौवत नहीं की जायेगी और उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जायेगा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं । जहां तक रेन्ट कन्ट्रोल की बात है, रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट काफी पुराना है, मकानों की दिक्कत हो रही है, उस पर और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है । सम्मानित सदस्य बाल चन्द्र मिश्र जी का सुझाव बहुत अच्छा है और उस पर मंत्रि-परिषद् की एक समिति भी बनी हुई है वह समिति उस पर विचार करके सुझाव और प्रस्ताव लायेगी और उस पर कार्यान्वयन किया जायेगा । बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना प्रारम्भ किया जाये तो बहुत समय लगेगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, हम उनका पूरा उपयोग करेंगे इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे । आपने किसी न किसी रूप में हमारे इस बजट का समर्थन ही किया है, हालांकि कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं माननीय अम्बिका चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और यह कहने का कष्ट करें कि कुछ और अधिक धन दिया जाये ताकि गरीबों की और अधिक मदद हो सके, यह मेरा निवेदन है ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मिलावट का मामला जिस तरह का है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट आश्वासन और कार्यवाही की बात नहीं रखी । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में और विधान सभा के संज्ञान में पीठ के माध्यम से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा में, सदस्य विधान

सभा के लिए जो खाद्य और पेय दिये जाते हैं, उसमें जिस बोतल में एक कीड़ा मिला था और जिसका संज्ञान पीठ ने लिया था, उस पर आज तक कोई कार्यवाही की घोषणा सरकार ने सदन में नहीं की तो इसके कोरे आश्वासन से क्या होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं सदन में, और इस पूरे सदन के सम्मुख अगर वह प्रदूषित जल की बोतल दी गयी, लखनऊ से सम्बन्धित मामला है, विधान सभा के सदस्य को जिस तरह का पेय और खाद्य दिया गया। 15 दिन हो गये आज तक उस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का काम नहीं किया। उस कम्पनी को इस प्रदेश में काम करने का अधिकार ही नहीं रहना चाहिए। मान्यवर, इस स्थिति में अगर सरकार का यही रवैया है, इस बात को तो हम अलग से पूँछ लेंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में पुनः यह बताना चाहता हूं मिलावट को रोकने के लिए कोई प्रभावी घोषणा न किये जाने के कारण मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21–खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21–खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,81,35,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार सदन का उपवेशन प्रारम्भ होने एवं विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं के समय में परिवर्तन की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं। आज दिनांक 13 मई, 2000 के उपवेशन में स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 15, 16 तथा 17 मई, 2000 को सदन का उपवेशन प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11 बजे के स्थान पर पूर्वाह्न 10 बजे से प्रारम्भ होगा। अतः उक्त तिथियों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51, 56 तथा 301 के अन्तर्गत, यथास्थिति, सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सूचनायें पूर्वाह्न 9 बजे से 9.30 बजे के मध्य दी जा सकेंगी।

कानपुर जिले के वाजिदपुर, पेबन्दी, शेषपुर, मोतीपुर, औलापुर तथा सुखनीपुर आदि ग्रामों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल से कृषि उपज एवं पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री राम कुमार एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानपुर नगर के वाजिदपुर, पेबन्दी, शेषपुर, मोतीपुर, औलापुर, सुखनीपुर आदि गांवों में सिंचाई की व्यवस्था सीवेज वाटर को गंगा जल में मिलाकर की गयी है। इस सिंचाई व्यवस्था में जो इण्डस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, औद्योगिक प्रदूषित जल जबसे सिंचाई के लिए दिया जा रहा है इस कारण से 15 सौ से 2 हजार एकड़ में जो फसल पैदा होती थी उसमें काफी कमी आयी है। इसके कारण किसानों को सिंचाई की लगान जो देना होता है उनको उतने की फसल नहीं मिल पाती है। उनकी सिंचाई का लगान बढ़ता चला जा रहा है। पहले उनकी फसल 5–10 क्विंटल प्रति बीघे हुआ करती थी अब वह घट कर 2 क्विंटल रह गयी है। यह प्रदूषित पानी भूगर्भ जल में मिलकर पीने

के पानी को प्रदूषित कर रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस प्रदूषण से आगे आने वाले समय में कानपुर नगर ही नहीं आसपास के जिलों में पेयजल की समस्या उत्पन्न होगी।

इस संबंध में जिलाधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को पत्र दिया गया जिन्होंने रिपोर्ट लगाकर सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्यवाही के लिये 17-5-99 को अग्रसारित किया था लेकिन लगभग 1 वर्ष हो रहा है इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के संबंध में अब तक सचिव की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं यह दोनों पत्र आपके पास भेज रहा हूं। इस संबंध में कानपुर में अखबारों में जो निकला है उसकी कटिंग भी मैं आपके पास भेज रहा हूं। ग्राम वाजिदपुर और अन्य गांवों में जहां पर हैण्डपम्प लगे हुए हैं उनकी बोरिंग 120 फीट है। यह जो पम्प से पीने का पानी मिल रहा है उसमें क्रोम मंटेंट आ रहे हैं। मैं यह पानी लाया हूं। (माननीय सदस्य ने एक पानी की बोतल सदन में दिखायी) मान्यवर, यह पानी जो आ रहा है यह पीले रंग का है और न नहाने लायक है न पीने के लायक है। मैं यह पानी की बोतल आपके पास भेज रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि वहां पर जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा जो सालिड वेस्ट सड़कों के किनारे या जमीन पर डाला जा रहा है, जब बरसात होती है तो क्रोम कांटेंट इंग्रेडियेंट वाटर में जा रहे हैं और पानी को पाल्यूट कर रहे हैं। यही सालिडवेस्ट जब सूखता है तो घर्षण से आग लग जाती है जिससे वायु प्रदूषण होता है, इस पर अभी तक कोई कठोर कदम प्रदूषण बोर्ड द्वारा नहीं उठाये गये इसलिए आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री और पर्यावरण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या के बारे में वह उचित कदम उठायें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री राम कुमार एडवोकेट ने जो समस्या रखी है उसके संबंध में मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है और मेरे क्षेत्र में भी यही समस्या है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसमें खाली चर्चा है और आप जिसको अनुमति देना चाहें दे सकते हैं, आपका निर्देश शिरोधार्य है, वैसे चर्चा नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता–

पानी की समस्या के बारे में यह पीठ को दिया गया है इसलिये शासन इसमें जांच करा लें और आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है जिन गांवों की सूची माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उनसे लगा हुआ मेरा क्षेत्र है इसलिये हमारे यहां के गांवों का सवाल है जैसे सजारी, उचटी कुलगांव, त्रिलोकपुर, खलार, रूमा आदि अनेक गांव हैं। मान्यवर, जल प्रदूषण के कारण वहां पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और प्रदूषित जल के कारण गांव के लोगों को बीमारियां हो रही हैं इसलिये यह चिन्ता का विषय है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है और जो समस्या है उसके बारे में मंत्री जी को लिखकर भेजना चाहें तो आप भेज दें। अब आप बैठ जायं।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी ने कानपुर के वाजिदपुर, पेबन्दी, शेषपुर, मोतीपुर, औलापुर, सुखनीपुर आदि गांवों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल के कारण कृषि उपज एवं पेयजल की जो समस्या है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है तो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि पहले जो सीवरेज वाटर होता था, डोमेस्टिक क्षेत्र से आता था, उसको गंगा नदी के पानी के साथ मिलाकर सीवरेज ट्रीटमेंट करके वितरित किया जाता था। मान्यवर, उस समय गंगा जी कानपुर घाटों के किनारे थी और स्वच्छ पानी उपलब्ध था इसलिए गंगा के पानी में जो पानी आवश्यक था उसको मिलाकर वहां सप्लाई करते थे। इसके पीछे एक और कारण था कि सीवरेज का जो पानी आता था वह काफी प्रदूषित होता था, इसलिए उसको कम करने के लिए गंगा का जल प्रदूषित जल में मिलाया जाता था, जिससे पानी में प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती थी और फिर वह पानी खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता था।

मान्यवर, वर्षों से यह परम्परा चली आ रही थी। लेकिन कुछ वर्षों में वहां पर टैनरी और चर्म उद्योग लगे जिससे उनका प्रदूषित पानी गंगा में आने लगा। इसलिए सरकार ने प्रदूषण बोर्ड और गंगा एक्शन प्लान द्वारा 36 एम० एल० डी० वाटर ट्रीटमेंट के लिए 5 टेनरीज का पानी ले जाते थे जिसे शोधित करके और उसमें गंगा का पानी मिलाकर सप्लाई किया जाता था। पिछले कुछ वर्षों में 120 एम० एल० डी० वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू हुआ और अब ट्रीटमेंट करके वहां के किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। पिछले दिनों इस बात की शिकायत हुई थी। मैं स्वयं गया था। समाचार-पत्रों के माध्यम से और वहां की जनता के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उसको देखने के पश्चात् मैंने जांच के आदेश दिये और यह आदेश भूस्तरीय और भू-गर्भ जल के जांच कराने के लिए किया था और विभिन्न गांव के भिन्न-भिन्न हैण्डपम्पों से नमूने लिये गये उसकी जांच की गयी और जो रिपोर्ट्स आयी हैं वह सन्तोषजनक है परन्तु फिर भी अगर कहीं भी इस बात की शिकायत है, हमारे रामकुमार जी बड़े जागरूक सदस्य हैं, उन्होंने जो बाटल दिया है उसका परीक्षण करा लूंगा। मैं माननीय सदस्य का सहयोग भी चाहूंगा। वहां पर जो इकाइयां हैं, टेनेरी हैं जो उत्पादन करती हैं, अभी मैं पत्रावली देख रहा था उसमें ऐसे दो माननीय सदस्यों के दस्तखत हैं जिनकी स्वयं की वहां पर टेनेरी है। आपका प्रभाव उन टेनरीवालों पर है वहां पर जो सालिट वेस्ट है उसको हटाने के लिए अभियान चलाया था लेकिन उसमें दिक्कतें आयीं। मैं आपके माध्यम से रामकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारा सहयोग करें। जनता के हित के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यक है और इसे हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। जो सैम्पुल दिये हैं उसका टेस्ट कराकर जो भी आवश्यक कार्यवाही है, वह करेंगे।

प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयं सेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। यह चर्चा है और आधे घण्टे की है इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे पूरा समय दिया जाये। पर्वतीय क्षेत्र के और भी विधायक इसमें बोलना चाहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मेरा निवेदन है कि "सहयोग" नामक एक स्वयं सेवी संस्था जो विदेशी धन से चलती है, ने एक ऐसी रिपोर्ट एड्स पर छापी जिसने पूरे पहाड़ को जला सा दिया। जब यह रिपोर्ट छपकर बाहर आयी तो पूरा पर्वतीय जनमानस उद्वेलित हो गया, लोग सड़कों पर उतर आये। पर्वतीय क्षेत्र जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एक आदर्श के रूप में मान्यता रखते हैं वहां पूरे विश्व में, वहीं के लोगों के बारे में एड्स पर एक

रिपोर्ट ऐसी संस्था ने छापी है जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, आथेन्टिसिटी नहीं है । उसमें ऐसी बातें लिख दी हैं जिनको मैं बोल ही नहीं सकता हूं और न सभ्य समाज का मनुष्य उसको पढ़ सकता है । सिर्फ पति-पत्नी ही उस किताब को पढ़ सकते हैं और वह बिलकुल फुटपाथी साहित्य है।

मान्यवर, ऐसा लगता है कि जो यह किताब छपी है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत छपी है। मैकार्थर फाउण्डेशन अमेरिका ने धन दिया है । यह रिपोर्ट पति-पत्नी के बीच अविश्वास तो पैदा करेगी ही साथ ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यह है कि सीमाओं की रक्षा कर रहा फौजी अगर उस रिपोर्ट को पढ़ लेगा तो वह सीमाओं की रक्षा करना छोड़कर अपने घर की ओर भागेगा उसका मनोबल टूट जायेगा । उत्तरांचल में जो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है । पिता का पुत्री के साथ, भाई का बहन के साथ और परिवार का परिवार के साथ लांछित करने वाले शब्द लिखे हुए हैं, रिश्ते-नातों का घृणित तौर से बखान किया हुआ है । जो किसी सभ्य समाज में क्षम्य नहीं हो सकता है । आज पूरा उत्तरांचल ही नहीं पूरे भारत में ऐसी संस्थाओं की बाढ़ सी आ गयी है जो कल तक फुटपाथ पर थे उन्होंने संस्थाएं बना ली हैं और आज विदेशी धन अर्जित करके टाटा सूमो, सफारी, इस्टीम गाड़ियों पर चल रहे हैं उनका स्टैण्डर्ड राजा महाराजों से कम नहीं है विडम्बना यह है कि इन पर न भारत सरकार का नियंत्रण है और न उत्तर प्रदेश सरकार का और न ही कन्सर्न गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है । मैंने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा कि मुझे इस संस्था के बारे में जानकारी दें तो पत्र का उत्तर तो नहीं मिला लेकिन जब मैंने दूरभाष पर उनसे सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि जब कहीं लाठी चार्ज होते हैं तब हमें पूछा जाता है इनका रिकार्ड हमारे पास नहीं होता है । अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया से पैसा आयेगा और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा गृह सचिव तक को पता नहीं होगा । नेपाल, तिब्बत, चाइना बार्डर पर ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के विरुद्ध साजिश करती हैं और सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ।

मैं यहां ओंकारानन्द संस्था का जिक्र कर देना चाहता हूं करोड़ों की प्रापर्टी खरीदी है इन्होंने उत्तरांचल में । ऋषिकेश के कई रास्तों के नाम बदल दिये वह तो कुछ जिम्मेदार लोगों ने समय पर हस्तक्षेप कर ऋषिकेश का नाम बदलवाने से बचा लिया । ओंकारानन्द फ्राड था इस संस्था के विदेशी मूल के स्वामी का नाम जोसेफ मेरली उर्फ विश्वेश्वरानन्द है । ओंकारानन्द को स्विट्जरलैण्ड में कई अनैतिक कार्यों का दोषी पाया गया और 1976 में 14 साल की सजा हुई । वर्ष 1992 में इनको देश निकाला दिया गया इन्होंने ऋषिकेश में दर्जनों भवनों पर कब्जा किया हुआ है जाने कितनी जमीन हड़प ली । कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के तमाम लोगों ने इनके खिलाफ जांच के लिए लिखा है सम्भवतः सी० बी० आई० जांच चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भी इनकी संस्था के विरुद्ध जांच चल रही है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि देश की सुरक्षा और एकता अखण्डता के लिए इन संस्थाओं पर कहीं न कहीं अंकुश लगना चाहिए । सब संस्थाएं बेईमान नहीं हैं और सब संस्थाओं के बारे में यह कहना उचित नहीं होगा । मैं अब मुख्य विषय पर आना चाहता हूं । जो सहयोग संस्था ने एड्स के बारे में पुस्तक प्रकाशित की है उसके पृष्ठ 19, 20, 21, 35, 29 में ऐसी शब्दावली का व ऐसे तथ्यों का उल्लेख हुआ है कि उसको कोई सुन भी नहीं सकता । मैकार्थर फाउण्डेशन अमेरिकी फाउण्डेशन है इस संस्था का हिसाब देखने से पता चलता है कि एक करोड़ 16 लाख रुपये मात्र इन्होंने 3 साल में खर्च कर दिये हैं और 35 लाख रुपये मैकार्थर फाउण्डेशन ने इस किताब को छापने के लिए अलग से दिया है । दुःख की बात यह है कि न तो भारत सरकार को पता है न ही उत्तर प्रदेश सरकार को पता है इसके कहीं रिकार्ड नहीं हैं । यद्यपि आज शासन ने उन पर एन० एस० ए० लगाने की रिकमण्डेशन की है । लोगों में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पोलीटीशियन लोग स्वयं सेवी संस्थाओं को परेशान कर रहे हैं जबकि ऐसा कहीं नहीं है । अगर वहां के लोग उद्वेलित हुए हैं तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वे ऐसे मुद्दे को सरकार के सामने लायें जिस

पर सरकार को नीति बनाना लाजमी हो जायगा । आखिर ऐसा हुआ क्यों ? आज ''सहयोग'' जैसी संस्थाएं पैदा हुई क्यों ? हम तमाम लोग जो इस सदन में बैठे हैं उदासीन रहे एड्स जैसी भयानक त्रासदी के प्रति जिसके बारे में एड्स कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन में गम्भीरता से लिखा है जिसके पृष्ठ–3 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, मैं यह किताब दिल्ली से लाया हूं ।

माई अपील टु दी मेम्बर्स आफ पार्लियामेन्ट इज टु टेक अप दी वर्क आफ एड्स अवेयरनेस आन ए प्रियारिटी बेसिस इन देयर कान्स्टीट्यूवेन्सीज. आई उड आलसो अर्ग दी चीफ मिनिस्टर्स आफ आल दी स्टेट टु टेक अप अवेयरनेस कम्पेन्स पर्सनली बाई मीटिंग मेम्बर आफ लेजिस्लेटिव एसेम्बली चेयरपरसन्स आफ जिला परिषद्स, पंचायत्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, म्युनिसिपल कारपोरेशन चेयरपरसन्स एनजीओज एण्ड कम्यूनिटी बेस्ड आर्गेनाइजेशन्स ।

यह इतनी हल्की फुल्की बात नहीं है ।,मैं आंकड़ों के साथ और भी बातें बताऊंगा इस सदन को । हम ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है । इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सबको एड्स हो सकता है । उपरोक्त अपील प्रधान मंत्री जी ने की है । यह स्थिति क्यों आई ? इसलिए आई क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी अपने अधिकारों का निर्वहन नहीं किया । उत्तर प्रदेश एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी भी यहां है । यद्यपि मैंने वहां दो-तीन बार फोन किया लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिला । जिनको ड्यूटी सौंपी गयी वे लापरवाह रहे हैं । 99 से एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पार्ट II यह 2004 तक चलेगा । इसके लिए लगभग 9 अरब रुपये विश्व बैंक ने दिया है और विश्व बैंक यह जानता था कि यह स्थिति बड़ी भयानक है भारत में भी । इसीलिए उसने ऋण देते समय ही यह कह दिया कि 2004 तक भारत में एड्स के विषाणुओं से संक्रमित होने वालों की संख्या 5 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़नी चाहिए ।

मान्यवर, आप अंदाज लगा लें कि आज हमारे देश की आबादी 100 करोड़ है और 100 करोड़ का (पांच प्रतिशत) पांच करोड़ हो गया और उत्तर प्रदेश का पांच प्रतिशत निकाल लीजिए तो 21 लाख 9 हजार 600 लोग एड्स से ग्रसित होंगे । यह कितनी भयानक बात है । हमें तो ''सहयोग'' को धन्यवाद देना चाहिए कि इस गम्भीर समस्या की ओर हमारा ध्यान तो गया (व्यंग करते हुए) मैंने यह आंकड़े दिल्ली से मंगाये हैं । राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान भारत सरकार के अनुसार ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं । एक हजार पर 11.7 लोग एड्स के विषाणुओं से संक्रमित हैं । जिसका मतलब यह हुआ कि एक लाख पर 1172 लोग संक्रमित हो गये और एक करोड़ पर एक लाख सत्तर हजार दो सौ लोग । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या 18 करोड़ हैं अगर हम इससे अनुपात को देखें तो 21 लाख 9 हजार 600 लोग संक्रमित होंगे । यह आंकड़े ''नाको'' के हैं यह मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

और माननीय सदस्यों को भी बोलना है । एक अनुरोध और मैं आपसे कर रहा हूं कि यह जो सूचना है यह सहयोग संस्था द्वारा बांटी गयी पत्रिकाओं पर जनाक्रोश से संबंधित है इसलिए आप अपने को वहीं तक सीमित रखें । 15 मिनट बोलते हुए हो गये हैं ।

श्री अजय भट्ट–

मैंने 1998-99 के जो आंकड़े दिये हैं वह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान के हैं । अब मैं उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी के आंकड़ों के बारे में बोलना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने सूचना दी है एक सहयोग संस्था के बारे में । उसने एक पत्रिका छापी, जिसके कारण वहां के लोगों में आक्रोश है । इस पर आप अपनी बात कहें ।

श्री अजय भट्ट–

चूंकि इसका सम्बन्ध एड्स से है इसलिए बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या का 1.24 प्रतिशत लोग इस विषाणु से संक्रमित हैं। 31 मार्च, 1999 से 31 जुलाई, 99 तक "नाको" की रिपोर्ट की अनुसार 1.17 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। दोनों की रिपोर्ट से साफ है कि सिर्फ चार महीनों में 1.07 लोग इससे संक्रमित हो गये हैं। इस प्रकार आप देखें तो 18 करोड़ की आबादी में 1 लाख 12 हजार लोग सिर्फ चार महीने मे संक्रमित हो चुके हैं। मान्यवर, सहयोग जैसी संस्थायें जन्म क्यों लेती हैं। विश्व बैंक से जो ऋण लिया है, उस गाढ़ी कमाई को सीरत फातिमा जो एन० जी० ओ० की एडवाइजर हैं, खा रही हैं। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। किस एन० जी० ओ० को काम देना चाहिए और किसे नहीं, इसकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। किसी भी अच्छी संस्था को इन्होंने आज तक कोई काम नहीं दिया, सिर्फ "स्पर्श" संस्था के अलावा क्योंकि पहले वह इसमें रह चुकी थीं। यह संस्था "सहयोग" जैसी संस्थाओं की सहयोगी है। आज तक इस एडवाइजर ने किसी भी ऐसी संस्था को नहीं निकाला। इनके ऊपर के अधिकारी हैं डाक्टर रमेश चन्द्रा जो ज्वाइन्ट डाइरेक्टर टारगेटेड इन्टरवेशन के पद पर हैं, जिनका काम है टारगेटेड प्रोग्राम बनायें। कोई भी रोग चलता है उसके लिए लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम बनाया जाता है लेकिन आज तक ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम नहीं बनाया गया इसीलिये "सहयोग" जैसी संस्था ने अल्मोड़ा जिले में "एड्स और हम" नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। सी० एम० ओ० और उप चिकित्सा अधिकारी जो कि क्रमशः जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी और जिला एड्स नोडल अधिकारी हैं उनको इस बात का पता नहीं लगा कि एक संस्था ने उनके यहां आग लगा दी है। मान्यवर, पांच वर्षों से कार्यरत इस संस्था के बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी। मान्यवर, आज कुछ जो बिन्दु आपके सामने लाया हूं यह पीड़ा थी हमारे दिल की। यह पूरे राष्ट्र का मामला है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, उत्तरांचल का ही नहीं पूरे देश का मामला जुड़ा है। इसलिए मैं डिमान्ड करना चाहता हूं, तमाम लोगों की तरफ से बात रखना चाहता हूं कि जो भी विदेशी धन से संस्थाएं चल रही हैं उनकी पूरी जांच करी जाय। एक तो यह सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं गलत तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं जो कि दिग्भ्रमित करने वाली हैं। ऐसी संस्थाओं का का एफ० सी० आर० ए० कैंसिल किया जाय, उनको काली सूची में रखा जाय और हमेशा के लिए ऐसा कार्य करने से रोक दिया जाय।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश के जनपद अल्मोड़ा में स्वयं सेवी संस्था सहयोग और लखनऊ की सहयोगी संस्था स्पर्श ने जो पत्रिका 'एड्स और हम' नामक पुस्तिका प्रकाशित की है उससे उत्तरांचल की नहीं पूरे देश की संस्कृति और मर्यादा पर एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है। आज वहां की जनता बहुत आक्रोषित हुई है और लगातार आन्दोलनरत है और आन्दोलन करती जा रही है। वहां के लोगों को तब पता चला जब 19 अप्रैल को अखबार में इसका समाचार आया। वहां के लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी और आन्दोलन शुरू हुआ। जहां इनका आफिस था प्रेम कुटी अल्मोड़ा में लोगों ने उसको घेर लिया। मैं भी उस दिन वहीं था। प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी को सूचना दी गई तब उनका आफिस बन्द करवाया। जिस तरह का अश्लील साहित्य उन्होंने लिखा है काल्पनिक आधार पर इसको प्रकाशित किया है। धौलादेवी मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है। वे किसी क्षेत्र में गये नहीं। विदेशी धन को ज्यादा कमाने के लिए उन्होंने यह पत्रिका प्रकाशित की है। वहां की जनता में आक्रोश है। लखनऊ में यहां 26 तारीख को धरना दिया था 27 को सदन में भी सूचना दी थी और मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया था लेकिन आज तक सरकार की

तरफ से कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पाई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। दो मई को वहां पर जन आन्दोलन हुआ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। कृपया बैठ जायं। आप भिज्ञ हैं कि यह चर्चा आधे घंटे की है। 25 मिनट की चर्चा पूरी हो चुकी है आधे घंटे में चर्चा समाप्त करनी है। सरकार की तरफ से भी व्यू आना है। कृपया करके इस बात को ध्यान रखें। भट्ट जी ने स्वयं 20 मिनट ले लिये। अब आपकी बात समाप्त हो गयी। अब अम्बिका जी.....

(व्यवधान)

सहयोग संस्था द्वारा प्रकाशित आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरण पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, विषय की महत्ता को देखते हुए इसका समय बढ़ा दिया जाय।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

ठीक है। दो-दो मिनट सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया जाय। 10 मिनट बढ़ा दें।

(सदन की सहमति से उक्त प्रकरण पर 10 मिनट समय बढ़ाया गया)

प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयं सेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

दो मई को ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष जनपद अल्मोड़ा में आये और इन लोगों ने वहां पर इस संस्था के विरोध में धरना दिया। इस संस्था द्वारा अन्य लोगों के अलावा सैनिकों के परिवार पर लांछन लगाये हैं। जिससे पूर्व सैनिक जे० के० पंत ने 15 तारीख से चेतावनी दी है कि इसमें कार्यवाही नहीं होती है तो आमरण अनशन पर बैठेंगे.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें। कृपया बैठ जाएं।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

थोड़ा समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

10 मिनट इस चर्चा पर समय बढ़ा दिया गया है जितने पहाड़ के माननीय सदस्य हैं इस चर्चा में भाग लेंगे सबको बात कहने का मौका मिल जाए। समय का अनुशासन बनेगा तभी चर्चा का मौका मिल पाएगा, वरना कुछ बन्धु छूट जायेंगे। आपने चर्चा में भाग ले लिया है। अब आप बैठ जाएं।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

मान्यवर, चार लोगों पर रासुका लगा दी समाचार पत्र में आया है, भारतीय जनता पार्टी पर लांछन लगाया गया है क्षेत्रीय मीडिया पर लांछन लगा है, ई मेल से विदेश से समाचार आया, संस्था पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं, वरना मुझे विवश होकर आपकी बात को न लिखने के लिए कहना पड़ेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं सिर्फ विषय तक अपने को सीमित रखूंगा भट्ट जी ने कहा आक्षेप करने वाली टिप्पणी के संबंध में, जो बातें प्रकाशित हुई हैं इससे हम सम्बद्ध अपने को इस सीमा तक करते हैं कि किसी अंचल के लोगों को, किसी वर्ग के लोगों पर सामूहिक रूप से लांछन लगाने का काम किया जाए तो यह निन्दनीय है । उस अध्ययन रिपोर्ट को देखा है उसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है । 1999 में एक स्पर्श संस्था है और सहयोग संस्था है इन्होंने ज्वाइन्ट रिपोर्ट प्रकाशित करने का काम किया इसकी पांच सौ प्रतियां छपीं और जो इस विषय की स्टडी से सम्बन्धित लोग थे उनको भेज दिया गया किसी स्टाल पर इसको नहीं भेजा गया है । चार लोगों को गिरफ्तार किया गया इसमें यशोधरा और अभिजीत दस वर्षों से काम कर रहे हैं । इस संस्था ने एड्स पर काम करने का काम नहीं किया । उसने सबसे पहले पंचायती राज पर काम किया है और कुछ लोग ऐसे हैं वहां अपने राजनीतिक स्वार्थों पर जब आघात होता है तो वह अमानवीय कार्य करते हैं । वे लोग तोड़-फोड़ करें उनको पकड़ कर घसीट कर ले जायें, जमानत नहीं दी गयी । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश निचली अदालतों पर न पहुंच सके.....

(व्यवधान)

मान्यवर, वामा, आली, बनांगा जो इस क्षेत्र में काम करती हैं जहां काम करने वाले लोग अगर मानवीय अधिकारों की हिफाजत चाहते हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं मुकदमा हम लड़ें और जमानत हो लेकिन जो मुकदमें में वकील थे उनको अनुमति नहीं दी गयी, उनके दफ्तरों को तोड़ा गया अल्मोड़े में, जागेश्वर में.....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं निश्चित आधार पर तथ्य रख रहा हूं । मेरा निवेदन यह है कि सहयोग संस्था में शोध करने वालों ने क्षमा मांग ली है,मैं यह नहीं कहता कि क्षमा कर दिया जाय बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई दण्ड बनता हो तभी उसको दण्डित किया जाय । अगर कोई निश्चित मत है तो दूसरे व्यक्ति को अटपटा लग सकता है । मल्टी नेशनल को बुलाने का काम करते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी कृपया समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, सहयोग संस्था का लोगों को कानून बचाव का अधिकार दिया जाय । 20 अप्रैल से आज तक जिन आरोपों पर उनको जेल भेजा गया है उस आधार पर उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है । जनाक्रोश है तो उस जनाक्रोश से कैसे, मान्यवर, मान लीजिये एक्सिक हजरतगंज में घुस गयी और तोड़ फोड़ करने लगी उसको तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया जायेगा और पुलिस उसको नियंत्रित कर रोकने का काम करती है, तो फिर जनाक्रोश को नियंत्रित करने का काम भी सरकार का है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के ऊपर रासुका लगायी गयी है उसको वापस लिया जाय । 7 लोग गिरफ्तार हैं उसमें एक अतुल जैन है जिनका इस संस्था में कोई लेना देना नहीं है, जो शोध और अध्ययन रिपोर्ट में नहीं है, संयोग से वह संस्था के दफ्तर में बैठे थे उनको पुलिस पकड़ कर ले गयी, जो बाहर से लोग आये हैं उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है तो मानवाधिकारों की रक्षा की जाय । जो कानूनी अधिकारी आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में हैं उनकी हिफाजत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इसका उत्तर तो हमारे राज्य मंत्री जी देंगे। लेकिन जो बात कही गयी है केवल उस तक में सीमित रखना चाहता हूं। मान्यवर, मानवाधिकार की बात कहकर ऐसे प्रकरण का पटाक्षेप किया गया जिसके प्रकाशन में जनाक्रोश व्याप्त है और जो कुछ लिखा गया वह पुस्तिका में वह सीधे-सीधे हमारी संस्कृति और सभ्यता और गरिमा से जुड़ा हुआ है। अगर किसी परिवार के बारे में, गांव के बारे में वहां के भाई के बहिन से और पिता के पुत्री से सम्बन्ध हैं तो ऐसे लोगों का क्या स्थान है जो बचाव करने के लिए खड़े हुए हैं आजकल विदेशी पैसे के बल पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगें और हम चुप बैठे रहें और कुछ लोग सदन में ऐसे भी हों जो ऐसी बातें कहें तो क्या हो सकता है ? मान्यवर, यह लोग कानून की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, हम निन्दा करते हैं जो इनकी पैरवी करते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हमने कोई जबरदस्ती किसी को जेल में नहीं बन्द कर दिया ऐसा नहीं है कि बिना किसी कानून के किसी को जेल में डाल दिया हो। एफ० आई० आर० 20 अप्रैल, 2000 को दाखिल हुई जिसमें सब कुछ लिखा गया कि किस प्रकार का प्रचार किया गया है। उसमें कितनी भ्रामक चीजें हैं। मान्यवर, काहे का अध्ययन था न कोई अध्ययन है और न कुछ है। कितनी अश्लीलता उसमें है। मान्यवर, फलां-फलां व्यक्तियों की बात कही गयी है, मान्यवर, वहां जनाक्रोश व्याप्त है। इनके खिलाफ कार्यवाही हुई तो इनके वकील यहां पर खड़े हुए मैं इसकी निन्दा करता हूं। हम कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं और कोई विदेशी ताकत है केवल पैसे के बल पर हमारी अस्मिता के ऊपर हमला करे, संस्कृति के ऊपर हमला करे और उसका मुकाबला हम नहीं कर पायें तो धिक्कार है ऐसी बात पर।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसे किसी कृत्य का, किसी पर लांछन लगाना, उसकी भर्त्सना की जाय वह बात अलग है, लेकिन कानून का राज यहां रहेगा कि नहीं रहेगा यह मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मैंने अपनी बात शुरू में कही थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसको गलत दिशा दे रहे हैं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका चौधरी जी अब आप बैठ जायं। अब आपकी बात नहीं लिखी जायेगी।

सहयोग संस्था द्वारा प्रकाशित आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरण पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग

(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें समय बढ़ाना पड़ेगा।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, ठीक है, 10 मिनट।

(सदन की सहमति से उक्त प्रकरण का समय 10 मिनट और बढ़ाया गया)

प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में स्वयं सेवी संस्था "सहयोग" द्वारा प्रकाशित "एड्स और हम" नामक आपत्तिजनक पुस्तिका के वितरित किये जाने से लोगों में व्याप्त आक्रोश के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

आबकारी राज्य मंत्री (श्री नारायण राम दास)-

मान्यवर, यह मामला केवल उत्तरांचल का नहीं है पहाड़ के लोगों पर लांछन लगाने का नहीं है यह हमारे भारत के संविधान पर मनमाने ढंग से कीचड़ उछालने का है। विदेशी धन एक करोड़ 16 लाख कुछ हजार उस संस्था को मिला है, 3-4 वर्षों के अन्दर। 10 साल से वह संस्था काम कर रही थी। मान्यवर, भारत के खिलाफ जानबूझकर, भारत की एकता, संस्कृति और अखण्डता को नष्ट करने का षडयंत्र किया जा रहा हो और जिनके बचाव की बात की जा रही हो। मैं इस सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां पहाड़ के दो-तीन लोग गिरफ्तार किये गये हैं। चाहे वह कलकत्ता का रहने वाला हो, हिन्दुस्तान के किसी कोने का रहने वाला हो, चाहे पहाड़ का रहने वाला क्यों न हो। अगर भारत के संविधान के खिलाफ कीचड़ उछालने का काम करता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुना है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना है और सदन की भावना से परिचित हुआ हूं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारतीय समाज की सभ्यता और दर्शन का लोहा वर्षानुवर्ष से सारा विश्व मानता रहा है। यहां की सामाजिक व्यवस्था सारे विश्व के दर्शनशास्त्रियों के लिए एक अनुसंधान का विषय है। आज भी सारा विश्व इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस सामाजिक संस्था के साथ, खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं सरकार को यह निर्देशित करता हूं कि ऐसे किसी भी प्रयास को कड़ाई के साथ कुचला जाय, ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाय जो समाज की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं निश्चित रूप से सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसे प्रयासों की जितनी निन्दा की जाय उतनी कम है, यही व्यवस्था पर्याप्त होगी।

कानपुर दक्षिण नाम से कानपुर महानगर में नये जनपद के सृजन के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने इस सूचना पर नियम 52 में कानपुर दक्षिण को नया जनपद गठित करने की चर्चा प्रारम्भ करने का मुझे अवसर दिया है। श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि जब यह महत्वपूर्ण चर्चा सदन में हो रही है तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं जो कृपापूर्वक हमारे इन तर्कों को महसूस करेंगे और कृपापूर्वक हमारी इस मांग पर अपना ध्यान देंगे। श्रीमन्, गजेटियर आफ इण्डिया उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कानपुर के आधार पर 250 साल पहले तक हिन्दू सिंह राजा सचेन्डी के थे। एक दिन वह गंगा स्नान के नातें गंगा के किनारे आये और उन्होंने यह गांव बसाया और इसका नाम कान्हपुर रखा जिसे कालान्तर में कानपुर का नाम प्राप्त हुआ इसके उत्तर पूर्व में हरदोई, उन्नाव, दक्षिण में यमुनापार हमीरपुर, जालौन, दक्षिण पूर्व में बिंदकी, फतेहपुर और पश्चिम-उत्तर पश्चिम में औरैया एवं विधूना इसका क्षेत्रफल 6121 वर्ग कि०मी० था। 1 जुलाई, 1971 के सेन्सस के आधार पर यह प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुपात में 16वें स्थान पर स्थापित था और इसका क्षेत्रफल 1971 के सेन्सेस के हिसाब से था 6121 वर्ग कि०मी० और जनसंख्या 29,96,232 था, प्रदेश में जनसंख्या के

अनुपात से इस महानगर का तीसरा स्थान 1971 में था। 1801 में कानपुर जनपद में परगना था जाजमऊ बिठूर, शिवराजपुर, बिल्हौर, रसूलाबाद, डेरापुर, सिकन्दरा, भोगिनीपुर, अकबरपुर, घाटमपुर, साढ़, सलेमपुर, औरैया व कन्नौज। श्रीमन्, 1836 में औरैया जनपद इटावा में और कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद में चला गया। 1817 में तिर्वाण, थतिया, इटावा से कानपुर में जोड़ दिये गये किन्तु 1836 में फर्रुखाबाद में जोड़ दिये गये। परगना बिठूर 1860 में टूटकर शिवराजपुर और जाजमऊ में समाहित हो गया और 1886 में सिकन्दरा डेरापुर में समाहित हो गया। 1991 में तहसीलों का पुनःसीमांकन हुआ और शिवराजपुर और नर्वल समाप्त हो गये उस समय केवल 6 तहसीलें हो गईं। वह सब डिवीजन की 6 तहसीलें हैं बिल्हौर, डेरापुर, भोगिनीपुर, अकबरपुर, कानपुर और घाटमपुर 6 तहसीलों में प्रत्येक का 1971 के सेन्सेस के अनुसार 469 ग्राम, बिल्हौर में क्षेत्रफल 1049 वर्ग कि०मी० 3,04,084 इस प्रकार कुल जनसंख्या 3.04.084। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार कानपुर सब डिवीजन में 286 ग्राम, 6 टाउन एरिया और 1048.7 स्क्वायर किमी०, जनसंख्या 15.25.835। घाटमपुर सब डिवीजन में 1971 के अनुसार 322 गांव क्षेत्रफल 1.103.9 स्क्वायर किमी० और जनसंख्या 3.11,562 है। इस प्रकार आज कानपुर महानगर में 1971 के सेन्सेस है, उसके अनुसार 1077 ग्राम, 6 टाउन एरिया और क्षेत्रफल कुल मिलाकर 3201.6 स्क्वायर किमी० और जनसंख्या 21,41,481 व्यक्ति थे। सबसे पहले एक सेशन जज की अदालत 1861 में आज से 140 वर्ष पूर्व कानपुर में स्थापित हुई थी और 25-3-81 को सेशन जज की अदालत में फ्रांसिस जायन मियर्सेन जज के साथ कार्य शुरू हुआ। पहली म्युनिस्पल कमेटी 22 नवम्बर, 1861 में बनी। वर्ष 1862 में एल्गिन मिल स्थापित की गई और तभी पीपे का पुल बना। 11 जून, 1866 में आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, जिम वाल्टर मार्गन चीफ जस्टिस हुए जिसमें कानपुर उसके अधीन था और 1969 में जब इलाहाबाद में स्थायी रूप से हाईकोर्ट की स्थापना की गई तब कानपुर उसके साथ हो गया।

श्रीमन्, आज की तारीख में कानपुर दो हिस्सों में बंटा है, उत्तर और दक्षिण में। प्रशासनिक दृष्टि से 2 ए० डी० एम० एक उत्तर और दक्षिण का काम देखते हैं। मैं कुछ उदाहरण देकर उस असंतुलन की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। उत्तर और दक्षिण में असंतुलन कितना है, इसको कृपया देखें। आर्टीफिसियल लिम्ब फैक्ट्री उत्तर में आई० आई० टी० उत्तर में, साहू जी विश्वविद्यालय उत्तर में, शर्करा संस्थान उत्तर में, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय उत्तर में, पालीटेक्निक उत्तर में, आई० टी० आई० उत्तरमें, दलहन संस्थान उत्तर में, सभी चिकित्सालय उत्तर में, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज उत्तर में, हैलट चिकित्सालय उत्तर में, उर्सला अस्पताल उत्तर में, के० पी० एम० अस्पताल उत्तर में, डफरिन महिला चिकित्सालय उत्तर में, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय उत्तर में, लगभग सभी सरकारी कार्यालय उत्तर में, न्यायालय उत्तर में, नगर निगम उत्तर में, कानपुर विकास प्राधिकरण उत्तर में, जल निगम उत्तर में, जल संस्था उत्तर में व्यापार कर कार्यालय उत्तर में, आयकर कार्यालय उत्तर में, कैन्सर इंस्टीट्यूट उत्तर में, जच्चा-बच्चा अस्पताल उत्तर में, इसी प्रकार जनपद न्यायालय उत्तर में, जिलाधिकारी कार्यालय उत्तर में, अपर जिलाधिकारी कार्यालय उत्तर में, भूमि अध्याप्ति कार्यालय उत्तर में, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय उत्तर में, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय उत्तर में, वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक कार्यालय उत्तर में, पुलिस लाइन उत्तर में, विकसित बाजार उत्तर में, व्यापारिक प्रतिष्ठान उत्तर में, वी० आई० पी० क्षेत्र उत्तर में, वी० आई० पी० मार्ग उत्तर में, सभी प्रमुख महाविद्यालय उत्तर में, सभी दर्शनीय स्थल उत्तर में, लगभग सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान उत्तर में हैं। लालइमली, जे० के० जूट मिल, जे० के० काटन मिल, एल्गिन मिल नं० 1 और 2 उत्तर में। इसके अलावा श्रमायुक्त कार्यालय उत्तर में, श्रमायुक्त न्यायालय उत्तर में, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज कार्यालय उत्तर में, असिस्टेंट डाइरेक्टर (फिशरीज)–उत्तर में, असिस्टेंट

इंजीनियर (माइनर इरीगेशन)–उत्तर में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (कोआपरेटिव सोसाइटीज) उत्तर में, चीफ मेडिकल आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर–उत्तरमें, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट हरिजन एण्ड सोशल वेलफेयर आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट हार्टीकल्चर आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट इनफारमेशन आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाक आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रक्ट आर्गनाइजर, प्रादेशिक विकास दल–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट सेविंग आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट स्टेस्टिक आफिसर–उत्तर में, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर–उत्तर मे, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर–उत्तर में, एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर (कैनल)–उत्तर में, एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर (लिफ्ट एरीगेशन)–उत्तर में, एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर(एरीगेशन)–उत्तर में,एक्ज्यूकेटिव इंजीनियर (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट)–उत्तर में, रीजनल इम्प्लायमेंट आफिसर–उत्तर में, सेल्स टैक्स आफिसर–उत्तर में, स्वायल कन्जरवेशन आफिसर–उत्तर में, सुपरिन्टेंडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल–उत्तर में।

श्रीमन्, जन्म उत्तर में–बाल्यावस्था का विकास दक्षिण में, युवा होकर श्रम उत्तर में–श्रमिकों का रात्रि विश्राम दक्षिण में वृद्धावस्था का वेदनापूर्ण जिन्दगी या यापन उत्तर में, जीवन का अवसान दक्षिण में, दाह संस्कार दक्षिण में भैरों घाट पर। दक्षिण की जनता का विश्वास इस सरकार में, आशा है प्रतीक्षा कर रहे हैं, विश्वास है। श्रीमन्, नागरिक–दक्षिण में, नरक–दक्षिण में, नारकीय जीवन–दक्षिण में, मलिन बस्तियों की श्रृंखला–दक्षिण में, पेय जल का अभाव, वर्षा का जलभराव–दक्षिण में, हताशा–दक्षिण में, निराशा–दक्षिण में, अभिलाषा–दक्षिण में, जोश–दक्षिण में, रोष–दक्षिण में, पुलिस उत्तर में, अपराध–दक्षिण में, न्यायालय–उत्तर में, वादकारी–दक्षिण में, विकास–उत्तर में, विनाश–दक्षिण में, अस्पताल–उत्तर में, बीमार दक्षिण में, विद्यालय–उत्तर में, विद्यार्थी–दक्षिण में, उद्योग उत्तर में, मजदूर दक्षिण में, उद्योगपति उत्तर में, निर्धन दक्षिण में। जनसंख्या के आधार पर दशम् वित्त आयोग से धन का आवंटन, दक्षिण के नागरिकों की अपार जनसंख्या पर धन की प्राप्ति–खर्च उत्तर में। मान्यवर, जितने विकास के जो बिन्दु होते हैं वह सब उत्तर में स्थापित हैं, इसलिए आज भी कानपुर के नाम से मान्यता प्राप्त है, उत्तर में वी० आई० पी० बैठे हैं, और दक्षिण के हिस्से का पैसा उत्तर में खर्च हो रहा है। मान्यवर, रेलवे लाइन से उत्तर–दक्षिण का विभाजन। सड़कों का स्वास्थ्य अतिक्रमण से खराब होता गया, दुबली पतली, हीन, कृशकाय सड़कें। लोगों का हुजूम, भीड़भाड़ भरे मेले का दृश्य, सड़क जाम, दुर्घटना-बढ़ते प्रदूषण, पेट्रोल, डीजल का अपव्यय, विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते विवाद, बढ़ते वाद और बढ़ते वादकारियों की संख्या के कारण न्यायालयों की बढ़ती संख्या की समस्या, ऐसी भीड़ के केन्द्रीकरण की जगह विकेन्द्रीकरण हो। जब वहां प्रदूषण फैलता है, वाहनों की गति धीमी होगी जिस वक्त यह सड़क बनायी गयीं, आज तक डेढ़ दो सौ वर्ष पहले से न्यायालय उस वक्त जैसा मैंने कहा कि डेढ़ सौ साल पहले एक सेशन जज का न्यायालय बना था और सड़क वही थी जो आज है। आज वहां पर 100 न्यायालय बन गये हैं इसलिये करीब ढाई तीन करोड़ लोग वहां आ रहे हैं। वादकारियों की संख्या बढ़ी है लेकिन सड़कें चौड़ी नहीं हुई हैं। अनेक न्यायालयों को मल्टीस्टोरी भवन बनाकर उसमें उनको स्थापित कर दिया गया है पर सड़क तो वही है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल और डीजल का अपव्यय हो रहा है जिससे विदेशी मुद्रा वेस्ट हो रही है प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे तमाम कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिन पर धन का अपव्यय हो रहा है। इसलिये मैं एक मात्र यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही उपाय है कि कानपुर दक्षिण नाम का एक नया जनपद बनाया

जाय। यह मांग राजनीतिक नहीं है, यह मांग तकनीकी और व्यवहारिक है और तर्क पर आधारित है। बीच में एक टेन्योर आया था जब नये जिलों का गठन हो रहा था। 21 मार्च से 17 सितम्बर, 97 तक 15 जिलों का तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया ने गठन किया था। यह राजनीतिक कारणों से जिले गठित किये गये थे। जब राजनीतिक कारणों से नये जिलों का गठन हो रहा था तो मुझे आशा बंधी थी कि तकनीकी एवं व्यवहारिक कारणों से मुख्य मंत्री जी स्वीकार करेंगी और इसी लिए उसी वक्त 26-6-97 को यह मांग की थी कि एक नया जिला कानपुर दक्षिण बनाया जाय। लेकिन अभी तक केवल उस पर जांच पड़ताल चल रही है और आख्या मांगी गयी थी। आख्या वहां के अधिकारियों ने भेजी है जो विवादित है, कुछ का मत है कि नया जिला बनाया जाय और कुछ का मत है कि नया जिला बनाने से खर्च ज्यादा होगा। जहां तक खर्च की बात है तो खर्च बचाने के लिए जिले के सारे थाने एक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में कर दिये जायं या पुलिस लाइन में कर दिये जायं तो खर्च बचेगा लेकिन यह व्यवहारिक नहीं होगा। थानों को अलग-अलग क्षेत्रों में रखने का उद्देश्य यही है कि जिस क्षेत्र के नागरिक को परेशानी हो वह अपने क्षेत्र में जाकर एफ० आई० आर० लिखाये और रिलीफ ले। सारे कार्यक्रम एक जगह केन्द्रित है। सारी गड़बड़ियों की जड़ केन्द्रीकरण है।

विकास का असंतुलन ऐसा शाश्वत सत्य है जो अनेक दिक्कतों को पैदा करता है। असंतुलन से अलगाव का जन्म होता है, विघटन का जन्म होता है, आतंकवाद का जन्म होता है। राष्ट्रसंघ में भी जब चर्चा होती है तो असंतुलित विकास पर चर्चा होती है और कहा जाता है कि विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं। लोक सभा में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि विकसित प्रान्त विकासशील प्रान्तों का शोषण करते हैं। यहां जब चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि विकसित जनपद विकासशील जनपदों का शोषण करते हैं। जब कानपुर की चर्चा होती है खुले आम यह चर्चा होती है कि विकसित क्षेत्र कानपुर उत्तर, कानपुर दक्षिण का शोषण करता है। परिवार में भी ऐसी ही स्थिति देखी जाती है। परिवार में यदि 3-4 भाई हैं और एक भाई ज्यादा डेवलप हो गया तो उस पर खर्च ज्यादा होता है और फिर परिवार में विघटन शुरू हो जाता है। इसी कारण नयी तहसीलें, जिले, नगर और प्रान्तों की मांग होती है क्योंकि वहां विकास समुचित नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उदारतापूर्वक इस पर विचार करें, मेरी मांग राजनीतिक नहीं है। यह मांग तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से है। मेरा निवेदन है कि कानपुर दक्षिण नाम का एक नया जनपद गोविन्दनगर, छावनी, सरसौल, घाटमपुर के क्षेत्रों को मिलाकर बनाये जाने की घोषणा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बाल चन्द्र मिश्र जी ने कानपुर दक्षिण नाम से नया जनपद बनाने की बात किया है, तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कानपुर दक्षिण किसी मानक पर नहीं आता है। 1991 की जनगणना के अनुसार 15 लाख की आबादी हो, न्यूनतम 5 कि०मी० क्षेत्र हो, तहसीलों की संख्या 3 हो, विकास खण्डों की संख्या 10 हो और लेखपालों की संख्या 300 होनी चाहिए। कानपुर के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं, कानपुर देहात नया जिला बना था जिसके मुख्यालय को अभी तक हस्तान्तरित नहीं कर पाये हैं चूंकि इसमें बड़े धन की आवश्यकता होती है। हम अभी तक आवासीय भवन उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। एक जनपद बनाने के लिए कम से कम 110–130 करोड़ रुपये खर्च करना होता है। हर वर्ष दो करोड़ रुपया खर्च होगा। कानपुर दक्षिण के नाम से जो जिले की मांग है वह किसी मानक पर ठीक नहीं है, जो दक्षिण जिले के नाम से मांग कर रहे हैं उसमें केवल एक तहसील आंशिक रूप से आती है, वह भी पूरी तहसील नहीं है। सारा नगरीय क्षेत्र है और वहां लेखपालों की संख्या 14 है, थानों की संख्या 6 पूर्ण है और 3 आंशिक हैं। इसमें क्षेत्रफल लगभग 12 हजार हेक्टेयर है तो किसी भी मानक में पूरा नहीं होता है। मान्यवर, जनपद के लिये वहां जमीन भी

उपलब्ध नहीं है । जनपद के कार्यालय के लिये 300 करोड़ की जरूरत होती है जो अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए कानपुर दक्षिण जिला बनाना सम्भव नहीं है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, खेद के साथ कहना पड़ता है कि रिपोर्ट के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया, अखबारों में भी छपा था, पीड़ा है जिन अधिकारियों ने मंत्री जी को रिपोर्ट भेजा है, मैंने उस समय दो बिन्दु उठाये थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सदन के सामने उन बिन्दुओं को रखने के बाद भी अधिकारियों द्वारा मंत्री जी के पास जो आख्या भेजा है, खेद का विषय है और उन अधिकारियों के ऊपर तरस आ रहा है सारे बिन्दुओं पर चुनौती देता हूं कि मंत्री जी यहां से एक-दो अधिकारियों की कमेटी गठित कर दें जो सारे बिन्दुओं पर देखें कि वहां जगह है कि नहीं । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जगह है। कानपुर करोड़ों रुपये देना है लेकिन ठीक से उसका गठन नहीं हुआ है इसलिए अब भी नया जिला न गठित हो यह न्याय संगत नहीं है । मान्यवर, एक जगह पर विशेष परिस्थिति में स्थान का विवाद था इसलिए और शीघ्र गठित नहीं हुआ फिर दूसरी जगह क्यों गठित किया जाय, यह निराधार और थोथा तर्क है । जिला मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट बनाकर भेज दिया, क्षमा करेंगे, मुझे बड़ी पीड़ा है, यदि यह अधिकारी, आई० ए० एस० अधिकारी, इतनी बुद्धिमानी से काम करते और उनको इतना ज्ञान होता और यह इतने काबिल होते तो जनप्रतिनिधियों को उन पर नियंत्रण करने के लिए, उनको मार्ग-दर्शन देने के लिए जरूरत नहीं होती । इसलिए नये जनपद की तर्कसंगत आवश्यकता है लेकिन खानापूर्ति करके कह दिया गया कि जरूरत नहीं है । सारी चीजें उत्तर में स्थापित की गई है । यदि मेरे तर्कों का क्वेश कर सकें और कहें कि एक भी गलत है और उत्तर की बजाय दक्षिण में है । तो मैं स्वयं शोक व्यक्त कर दूंगा । इसलिए जो रिपोर्ट आयी है उस पर मुझे खेद है । मान्यवर, मैंने खुलें मन से सरकार की सहायता के लिए यह बातें रखी हैं । यह व्यवहारिक पक्ष है जिसे मैने यहां रखा । इसलिए खुले मन से मंत्री जी की तरफ से विचार आना चाहिए था लेकिन अधिकारियों से पूछा जो उन्होने रिपोर्ट दिया है उसको मैं चुनौती देता हूं कि रिपोर्ट निराधार है और इसकी जांच करा लें । मंत्री जी, अगर उनमें आधार है तो मैं अपना यह सुझाव वापस ले लूंगा । इस प्रकार से सरकार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया वह बड़ा खेदजनक है और असंगत है । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं उसी रिपोर्ट की जांच यहां से किसी विशेष सचिव, सचिव या दो अधिकारियों को भेजकर दिखवा लें । मैं जगह दिखा देता हूं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

हम बोर्ड से इस मामले को दिखवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने कह दिया कि हम बोर्ड से जांच करा लेगें । अब मैं यह चर्चा समाप्त कर रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही से हज यात्रियों को हुई सुविधा के सम्बन्ध में नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

यह आधे घण्टे की चर्चा है, सभी माननीय सदस्य 5-5 मिनट में अपनी बात कह दें । आधे घण्टे की चर्चा है । माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश भी आ गये हैं ।

श्री फरीद महफूज़ किदवई–

मेरा आपसे निवेदन यह है कि इससे पहले एक घण्टे की चर्चा पिछले एजेण्डे में मंजूर है । अब उसे आधे घण्टे कर दिया गया । अभी मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

आधे घण्टे की चर्चा स्वीकृत है, आप अपनी बात प्रारम्भ करिये ।

* श्री फरीद महफूज़ किदवई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बार उत्तर प्रदेश से जो हाजी हज़ करने गये उनकी संख्या लगभग 15 हजार थी और उत्तर प्रदेश से मान्यवर, जो संख्या हज़ करने गये वह पूरे देश की लगभग एक चौथाई थी । जो भी हाज़ी इस बार लौट करके आया है वह बहुत बुरी तरह से पीड़ित है और हर आदमियों से यह बताया कि उसको हज़ के लिए जाने में और हज़ करके वहां से लौट करके आने में जिन तकलीफों का सामना करना पड़ा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है । यहां की जो हज़ कमेटी है वह अपने आप को यह कहती है कि हम तो केवल पोस्ट-ऑफिस हैं । यहां से फार्म भर दिया जाता है वह फार्म सेण्ट्रल हज़ कमेटी चला जाता है वहां से जो कुछ निर्णय होता है वही होता है । वह यह कहते हैं कि हम यहां की डाक सेण्ट्रल हज़ कमेटी को ले जाते हैं । 167 मेम्बर हज़ कमेटी के हैं । माननीय मंत्री जी ने 100 मेम्बरों का नाम काटकर 67 रखा हुआ है । इस बार हज़ कमेटी की कोई मीटिंग भी नहीं हुई और हाज़ी हज़ करने चले भी गये । जो हाज़ी वहां से लोटे हैं उनकी पीड़ा सुन लीजिए । 4-4 दिन उनको जद्दे में रहना पड़ा ।

21 तारीख को जो प्लेन आना था जद्दे से वह 23 तारीख को आया, 3 दिन तक सारे हाजी जद्दे में पड़े रहे उससे बाहर वह निकल नहीं सकते थे । 22 को जो प्लेन आना था वह 24 तारीख को आया । आखिरी प्लेन 5102 जो 28 तारीख को आना था वह 31 तारीख को आया और उस प्लेन पर पानी नहीं था । वह इण्डियन एयर लाइन्स का नहीं था । हज कमेटी जो जहाज किराये पर लेते हैं वह वे जहाज होते हैं जिनका इस्तेमाल इण्डियन एअर लाइन्स नहीं करता है उनको सस्ते किराये पर हज कमेटी ले लेती है । हाजियों को बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर ठहराया गया जहां पर लिफ्ट नहीं लगी हुई थी । मैं हज़ करने और उमरा करने भी गया हूं और 4 बार सऊदी अरब भी गया हूं । यह वह बिल्डिंग होगी जो इनको मुफ्त मिल जाती होगी । क्योंकि अब तो जीने भी ऐसे बनने लगे हैं कि आप उस पर खड़े हो जायें, ऊपर पहुंच जायेंगे ।

(इस समय 6 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अम्बरीष कुमार पुनः पीठासीन हुए)

उन बिल्डिंगों में लिफ्ट नहीं है जो 50–60 साल पुरानी हैं ऐसी बिल्डिंगें वहां मुफ्त मिल जायेंगी । उनका किराया दिखलाकर पैसा वसूल किया गया । हिन्दुस्तान में समस्या क्या है जब हम लोग बुड्ढे हो जाते हैं तब अल्ला मियां याद आते हैं । बूढ़े लोग जो 70–80 साल के थे उनको चार मंजिल जीने से चढ़ना पड़ा है । हमारे एक विधायक भी गये हैं वह लौटकर बतायेंगे क्या-क्या समस्याएं हुई हैं । इन सब चीजों की वजह यह है कि हमारा मंत्रालय जिसके अधीन यहां पर हज़ कमेटी और दूसरी चीजें हैं इसमें बड़ा मिस मैनेजमेंट है । सेन्ट्रल हज कमेटी से फार्म छपकर आया उसमें किराया लिखा हुआ था 5500 रुपये फारेन करेंसी उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया और अपना फार्म जिसमें 5500 की जगह 5600 रुपए और 12000 की जगह 12600 रुपए अपनी तरफ से कर दिया । इन्हें क्या हक है मुझे मालूम नहीं मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन जिस तरह से पैसा लिया गया है पैसे को खुर्द बुर्द किया गया है ।

आपने मंत्री एप्वाइंट कर दिया माइनारिटी का साफ दिल से और चपरासी से लेकर मंत्री तक सब माइनारिटी के रख दिए इसमें ईमानदारी भी हो सकती है कि चलो माइनारिटी का मामला है यह लोग अच्छी तरह से समझेंगे लेकिन इस बार जो समस्या हज़ यात्रियों को उठानी पड़ी या जो करेप्सन के चार्जेज हैं उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा । आपने 5500 की जगह 5600 और 12000 की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जगह 12600 कर लिया इसमें 90 लाख का डिफरेंस पड़ा यह पैसा कहां गया ? जो सेन्ट्रल हज़ कमेटी है उसने इस पर ऐतराज किया लेकिन आप कोई क्लाज ढूंढ लाए हैं जिसके तहत यह कहते हैं कि हमारा हक है कोई न कोई क्लाज हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि पैसा लेने की जरूरत क्या थी ? हमारे यहां हिन्दू धर्म में जब कोई तीर्थ स्थान जाता है तो रास्ते में प्याऊ लगा देते हैं उसको पानी शर्बत आदि पिलाते हैं हम लोग जब हज जाते हैं तो स्टेशन तक लोग छोड़ने जाते हैं लेकिन उनसे पैसा लिया गया । एक बात नई शुरू की गई इस बार यह व्यवस्था की गई कि हाजियों को खाना सप्लाई करेंगे । 25 लाख आदमियों का मजमा होता है यह लोग एक जगह बैठते नहीं हैं कभी इधर जाते कभी उधर जाते । खाने के लिए 650 रियाल तकरीबन 8 हजार रुपए लिए गए । मैं भी हज कर चुका हूं दो हजार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आता है लेकिन 8 हजार रुपए का कांट्रेक्ट कर लिया गया । जो आदमी साथ गया वह वहां के आफिस सुपरिन्टेंडेंट की हैसियत का था उसी ने कांट्रेक्ट किया इस बात की जानकारी हिन्दुस्तान के विदेश मंत्रालय को नहीं है एवं सऊदी अरब में जो दूतावास है हिन्दुस्तान का उसको भी इसकी जानकारी नहीं है और जाकर उसमें 16 करोड़ का कांट्रेक्ट कर लिया क्योंकि हाजियों को खाना देना था उनको । क्या हाजियों को खाने की जरूरत है ? बड़े-बड़े लम्बे-लम्बे ट्रक जाते हैं कोई रोटी फेंक देता है, कोई पेप्सी फेंक देता है कोई डबलरोटी फेंक देता है मैं भी वहां गया मैंने भी लिया । एक-एक रोटी इतनी-इतनी बड़ी होती है । 2-3 रियाल में पूरा खाना होता है । विदेश मंत्रालय को नहीं मालूम, सऊदी अरब में दूतावास को नहीं मालूम । मंत्री जी चुपके से चले गये और कान्ट्रेक्ट कर लिया । मैं गया तो वहां के एम्बेस्डर ने कहा कि बड़ा अजीब मंत्री है जब अखबारों से मालूम हुआ तब मैंने कहा । जब भाण्डाफोड़ हुआ तो मना कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है । हुकुम सिंह जी आपका बयान है नियम–56 की सूचना पर कि कोई कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ है । मंत्री राम सुमेर यादव जी ने विधान परिषद् में कहा कि कोई कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ है । यह तस्वीर है कान्ट्रेक्ट की । इसके क्लॉज में है कि अगर यह कान्ट्रेक्ट कार्यान्वयन नहीं हुआ तो सऊदी गवरमेन्ट सऊदी जमीन पर मुकदमा चलायेगी और एक लाख रियाल यानी 14 लाख इण्डियन करन्सी का हरजाना भरना पड़ेगा ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं एक बात साफ कर दूं क्योंकि यह बात कई बार सदन में आयी है जब कोई पेमेन्ट नहीं हुआ, कोई खाना नहीं लिया गया, यह हो सकता है कि इस पर जिक्र आया हो । इसका इम्पलीमेन्टेशन हुआ ही नहीं । मुकदमे वाली बात तो अलग है । आप इल्जाम लगा रहे हैं कि खैरात में खाना मिल जाता है । अब सरकार की तरफ से साफ हो गया है कि कोई कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ ।

डा० वकार अहमद शाह–

खैराती वर्ड निकालें इसमें से ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मेरे पास कान्ट्रेक्ट के फोटो हैं । चलिये पैसे का ट्रांजिक्शन नहीं हुआ हम मान लेते हैं । मेरा कहना है कि कम्पनी ने मुकदमा दायर कर दिया है । इनको वहां जाना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा । यह पैसा हमारी आपकी जनता से जायेगा । आपने कहा कोई कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ तो उसकी कापी है हमारे पास । खैर छोड़िये जो हो गया सो हो गया । अब मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं । बम्बई, चेन्नई, बैंगलोर से फ्लाइट जाती है और यहां से लोग दिल्ली जाते हैं । मैं चाहता हूं कि एक हज़ हाउस की स्थापना यहां होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

15 मिनट हो चुके हैं ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

हज़ हाऊस के बारे में मुझे बताना है आपका लेटर रखा हुआ है माननीय मुख्य मंत्री जी । इसमें यह कहा गया है कि 50 लाख रुपए एक जमीन का पेमेन्ट हो गया और 25 लाख रुपए एक जमीन का पेमेण्ट हो गया परन्तु किसी का भी कब्जा हमारे पास नहीं है । यदि आपने यह तय कर लिया है कि मुसलमानों का मामला है तो एक मुसलमान को मंत्री बना दिया जाय । इसमें चपरासी से लेकर मंत्री तक मुसलमान हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर कोई एक समझदार कैबिनेट मंत्री बैठा दीजिये या फिर आप स्वयं इसे अपने अधीन ले लें तो अच्छा रहेगा । कहना तो मुझे बहुत कुछ है । मेरी बहुत पीड़ा थी, वह मैंने कही । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई समझदार कैबिनेट मिनिस्टर बैठा दीजिये, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के भ्रष्टाचार की फेहरिस्त काफी लम्बी है । मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा । उत्तर प्रदेश की जो 16 करोड़ जनता है, उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो करोड़ों लोग हैं वह इस विभाग से इतना पीड़ित हैं कि उसका बयान लफ्जों में नहीं किया जा सकता है। यह सेन्ट्रल हज हाऊस का पत्र है । वहां के एक्जीक्यूटिव आफिसर ने लिखा है कि जो फार्म दिये जाते हैं उतने ही हाजी भेजे जाते हैं जितने कि हज कमेटी की स्थिति होती है । 28 जुलाई, 1998 को उन्होंने 10 हजार फार्म दिये, 31 जुलाई को 5 हजार फार्म दिये और बाइ पोस्ट 500 फार्म भेजे । इस प्रकार स्टेट हज कमेटी को 15500 फार्म दिये गये जबकि इनका कोटा था 14534 का । पहला फ्राड का कदम तो यहीं से शुरू हो गया । बाद में इस फार्म को तब्दील कर दिया गया, जबकि फार्म में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है । इसमें लिखा है कि 12 हजार रुपए किराया जहाज का है, जो हिन्दुस्तान से सऊदिया आने जाने का है इन्होंने उसे 12600 रुपए कर दिया । यह पैसा तो इन्होंने हाजियों से वसूल कर लिया है । अब सरकार को इसमें क्या कहना है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि इसमें कोई लेन-देन नहीं हुआ है । इसमें तो लेन-देन हो गया है । कितने नासमझ लोगों ने इन्हें 12600 रुपए भेज दिये । 90 लाख रुपए का फर्म तो यहीं पर आ गया । चलो मान लिया, सेन्ट्रल हज कमेटी द्वारा बाद में यह साझा हो गया था कि स्टेट हज कमेटी को नहीं दिया जाना है, तो कुछ कम लोगों ने भेजा होगा । फिर भी 100 रुपए प्रति हाजी के हिसाब से 15 लाख रुपए होता है । हज कमेटी ने 22 एकाउन्ट लखनऊ में खोले । इसका क्या मतलब हुआ ? इतना छोटा मंत्रालय और 22 एकाउन्ट्स, तो फिर जो बड़े-बड़े विभाग हैं, उनके खाते तो फिर 122 बैंकों में होने चाहिए । इसका मतलब है कि बेईमानी का सबसे बड़ा तरीका निकाला है । ए० जी० भी पता नहीं लगा पायेंगे । सी० ए० इसका पता नहीं लगा पायेंगे । हज कमेटी ने कहा है कि इसकी हम जांच करा रहे हैं । यह ए० जी० को इसलिए दिया है कि वह इसको बराबर करदें ताकि यदि विजिलेंस जांच करे तो पकड़ न पाये । अल्पसंख्यकों के ऊपर माननीय मंत्री जी तरस खाइये । हम कोई चार्ज नहीं लगा रहे हैं । हज कमेटी की जांच विजिलेंस के द्वारा करवा दीजिये । 22 एकाउन्ट जो इनके शहर के अन्दर खुले हैं प्रत्येक बैंक में तीन करोड़, 2 करोड़, 60 लाख रुपया है सब खाते बन्द कर दिये जाएं । पता नहीं चला कि हज कमेटी में 25.50 लाख रुपया कहां गया कब चैक कैश हुआ ? हज कमेटी के कानून में नहीं है कि यह फार्म में कुछ रद्दोबदल करें लेकिन इन्होंने 90 लाख रुपए का घपला फार्म छपवा कर किया । हज यात्रियों से जो पैसा लिया गया है माननीय मुख्य मंत्री जी उसको वापस दिलवाया जाय । इस हज कमेटी को कोई हक नहीं है । क्या सेन्ट्रल हज कमेटी, यू० पी० हज कमेटी से उस फार्म को छपवाने की मंजूरी ली गई । अगर यह मान लिया जाय कि चन्दा लेने का अधिकार है । जब बैठक हुई तो उसमें इनको रखना चाहिए था । । अगस्त को फार्म छपवा दिये और 17 तारीख को बैठक हुई तब भी इन्होंने यह नहीं बताया कि हम चन्दा ले रहे हैं । अगर चन्दा लेना था तो उसके बारे में प्रचार किया होता, उसकी

रसीद होनी चाहिए थी, उसका कोई मकसद होना चाहिए था कि किस चीज के लिए यह चन्दा ले रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खाने की बात है। अहमियत है इस बात की कि उसका पैसा आपने दिया कि नहीं दिया। उनको मा० संसदीय कार्य मंत्री जी आपने सदन को गुमराह किया। यह आपने निश्चित जानकारी के आधार पर कहा कि कोई कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ। आपको तो जो सूचना मंत्री जी ने दी आपने उसी के आधार पर बताया, जवाब दिया। प्रश्न यह है कि (हज मंत्री) इन्होंने सदन को गुमराह किया। वहां का कानून हिन्दुस्तान की अदालत जैसा नहीं है। वहां काजी बैठते हैं सजा सजा-ए-मौत होती है, गर्दन काट दी जाती है। वहां मैंने फोन से पूछा उनके टेलीफोन की रसीद मेरे पास है, आप कहें आपके पास भेज देंगे। टेलीफोन पर बताया गया कि हम वहां डर के मारे नहीं गये कि कहीं हमको ही मुजरिम समझकर सजा न सुना दें। इनके पास फैक्स आया कि इनको भेजें हिन्दुस्तान को बदनाम किया है इन्होंने। हाजियों को बदनाम किया। एक तरफ कहते हैं कि हम डाकिये के समान हैं हाजियों को दिल्ली के हज कमेटी तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली की सेन्ट्रल हज कमेटी देखती है कि किसको जाना है किसको नहीं। विदेशी कम्पनियों से आप एग्रीमेन्ट कर रहे हैं न विदेश मंत्रालय को जानकारी है न सेन्ट्रल हज कमेटी को, न हिन्दुस्तान के अम्बेस्डर को। इसकी सजा एक लाख रियाल देनी होगी। मान्यवर, 12 लाख रुपये का जुर्माना होने वाला है। मेरा कहना है कि यह जुर्माने का पैसा हज कमेटी पर न डाला जाय। इनकी व्यक्तिगत जेब से लिया जाय। इन्होंने जो एग्रीमेन्ट किया, यह उसका दण्ड है इनसे वसूला जाय। हज कमेटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आपको और मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहते हैं कि हम यहां लखनऊ हज हाउस बनायेंगे। जब मान्यवर, समाजवादी ब०स०पा० पार्टी की सरकार थी तो पांच एकड़ जमीन ओखला दिल्ली में दी गई। गर्वनर राज्य में 4 करोड़ 66 लाख रुपये दिये गये। उस समय मैं इसको देख रहा था। निर्माण निगम को इसका ठेका दिया गया। जब मायावती की सरकार थी उस समय 2 करोड़ 6 लाख रुपये अल्पसंख्यक विभाग के पी० एल० ए० में जमा कर दिये गये। हज हाउस वहां दिल्ली में नहीं बनाया और नया तरीका निकाला कि लखनऊ में हज हाउस बनाया जाय। लखनऊ में वक्फ की जमीन पड़ी थी, आप ले लेते। मुख्य मंत्री जी की फाइल में नोट लिखा है कि हज हाउस का निर्माण रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या हवाई अड्डे के पास आलमबाग से चारबाग के बीच में हवाई अड्डे के निकट जहां अनेकों योजनायें शामिल हैं योजनायें संचालित हैं जहां काफी कम मूल्य पर भूखण्ड उपलब्ध हो सकता था इस पर कदाचित विचार नहीं किया गया। मुख्य मंत्री जी ने इसको लिखा कि विशेष परिस्थितियों में सुझाव है कि 50 लाख रुपये का भुगतान न किया जाए, 23-12-99 का निर्णय स्थगित कर दिया। आगे लिखा है कि समीउल्ला अंसारी अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति सचिव राज्य सम्पत्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी उपरोक्त धनराशि का भुगतान न हो। इस मामले की अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री ने 25 लाख और 50 लाख का भुगतान रोक दिया, वह जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया है, यह सीधा-सीधा गबन है मेरे पास चेक की फोटो कापी है, पचास लाख का गबन है, अगर नहीं है तो मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कह दें कि इसकी जांच करायेंगे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हज कमेटी ने कितने खाते खुलवाये, सेविंग एकाउन्ट में पैसा जमा होता है 12 हजार के हिसाब से, 15 हजार आदमियों का 14-15 करोड़ रुपया हो गया। सेविंग एकाउन्ट में आता 20-25 लाख इन्ट्रैस्ट जमा होता, प्राइवेट बैंक में पैसा देकर करेन्ट एकाउन्ट में जमा कर दिया। 25 लाख का नुकसान हज कमेटी को हुआ, इनको पांच लाख मात्र फायदा हो गया। यह पैसा प्राइवेट बैंक में क्यों जमा किया गया यह गम्भीर बात है। इण्डियन मरकन्टाइल बैंक है 13-14 करोड़ रुपया प्राइवेट बैंक में जमा कर दिया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं बीमा दो लाख

रुपये का हमारे समय में हुआ, जो हाजी शहीद हो जाते हैं उनको हज कमेटी दो लाख रुपया देगी, लेकिन जो हाजी शहीद हुए उनके घरवाले दर-दर भटक रहे हैं उनको पैसा बीमे का नहीं मिल रहा है 40 प्रतिशत कमीशन के बगैर नहीं दिया जाता है, कमीशन के बगैर उसको मंजूर नहीं किया जाता है।

मान्यवर, इसी तरह से हज गाइड छपती है विदेश जाएं तो गाइड लाइन या नक्शा देते हैं, 17 हजार हज गाइड बंटवानी थी इन्होंने दो हजार छापी है और 15 हजार हज गाइड का जो पैसा था उसको गबन कर लिया गया इसी तरह से दुआओं की किताब 17 हजार छपनी थी उसमें भी दो हजार छपवाई, 15 हजार के पैसे का गबन किया गया। मान्यवर, पांच हजार हाजियों के फार्म गायब हो गये। मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कह दें नहीं गायब हुए, पांच हजार ओरिजनल फार्म गायब हो गये ताकि वह परेशान हो जायें। हज कमेटी में जो काम करते थे इण्टरनेशनल फ्लाइट से जाने को मजबूर किया। पांच हजार आदमियों से उत्तर प्रदेश में वसूली हुई, 30-40 लाख रुपया वसूल किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

फार्मों की फोटो कापी कराई गई इसी तरह बिल्डिंग सेलेक्शन टीम जाती है उसका लाखों रुपया खर्चा होता है। बिल्डिंग सेलेक्शन टीम वहां गई सऊदिया में कानून है चार मंजिला बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होती ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट अवश्य रहती है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

तो मेरा कहना यह है कि क्या जो वह बिल्डिंग सेलेक्शन टीम गयी थी उसने जो मकान पसन्द किये थे वह लिए कि नहीं। यदि नहीं लिये तो क्या वजह है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अंसारी जी समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हज हाउस एक [× × ×] बन गया है। लाखों करोड़ों का गबन है। आप इसकी विजिलेंस से जांच करा लें मैं यह मांग करता हूं। अगर जांच रिपोर्ट आ जाय और उसमें करोड़ों का गबन है यह आ जाय तो उसको सजा दे देना। अगर नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश के अकलियत के लोग यह कहेंगे कि यह कैसी सरकार आयी है जो [× × ×] है। मान्यवर, क्या मैं यह समझ लूं कि मुख्य मंत्री जी हम लोग [× × ×] आपके हाथ में दे रहे हैं और आप इसे छोड़ देंगे। यह तो वक्फ मंत्री वह आदमी है जो [× × ×] जाता है। यह समझते हैं कि मेरे खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। हम हट जायेंगे तो सरकार गिर जायेगी। अगर आप इसी तरह के मंत्री को लेकर बैठते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी है वह कभी माफ नहीं करेंगे। यह कुर्सी स्थायी नहीं है। आज आप बैठे हैं हो सकता है कल दूसरे बैठेंगे। यह कुर्सी जाने वाली चीज है। यदि आप में हिम्मत हो जाय तो निर्णय लें और भ्रष्टाचार पर रोक लगायें। इनसे तुरन्त यह मंत्रालय ले लिया जाय और इसकी जांच करा दें।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हज यात्रियों को हुई असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करें।

संसदीय कार्य,. पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसमें 15 मिनट समय बढ़ा दिया जाय।

(सदन की सहमति से उक्त प्रकरण का समय 15 मिनट बढ़ाया गया)

उत्तर प्रदेश हज कमेटी एवं हज मंत्रालय की लापरवाही से हज यात्रियों को हुई असुविधा के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, हमारे साथी किदवई साहब और बुनियाद साहब ने हाजी, हज कमेटी और मंत्री जी के बारे में बताया। यह सही है कि इस बार जो हाजी उत्तर प्रदेश से गये उनको बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी हैं उससे पूरे हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश के हाजियों का विचार गिरा है। यह एक शर्म की बात है। मान्यवर, वह हाजी बिलख-बिलख कर अपनी बात कह रहे थे। मान्यवर, इसकी कहानी पहले साल ही शुरू हो गयी थी जब माननीय मंत्री जी ने इन्कार किया था कि खाने का प्रबन्ध नहीं किया गया। इस संबंध में मैंने और सौलत अली जी ने विशेषधिकार की एक नोटिस भी दी थी। मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को [× × ×] दिया है और इससे हमारा सर सारे संसार के सामने शर्म से झुक गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी [× × ×] और किसी और मंत्री को यह विभाग दे दें। मान्यवर, आज हाजियों की बेइज्जती हुई है, लूट हो रही है। माननीय मंत्री जी के [× × ×] हैं। जो खुद्दाम और खादिमुल हुजाज जाते हैं उनमें भी उनके रिश्तेदार चले गये। मेरे पास कागजात हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के तनवीर हैदर उस्मानी साहब ने मांग की है कि मंत्री वक्फ को निकाल दिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं तो इसकी पूरी जांच आप सी० बी० सी० आई० डी० या सी० बी० आई० से करा लीजिये खुदा के लिए इन मंत्री जी से पीछा छुड़वा दीजिये। वरना अब लोग हज जाने से डरने लगेंगे। औकाफी की सम्पत्तियां बरबाद हो जायेंगी हाजी लोग 3 दिन बिना खाना पानी के पड़े रहे सिर्फ जिम्मेदार है तो मंत्री जी [× × ×] मान्यवर, वक्फ के लिए, हज कमेटी के लिए किसी को कर दें चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो इन मंत्री पर मुसलमानों का ठप्पा लगा हुआ है माननीय मुख्य मंत्री जी इसे खत्म करके इस इन्क्वायरी की रिपोर्ट के समय के बारे में बतायें कि सदन के पटल पर कब रखेंगे और मंत्री जी के इन भ्रष्टाचारों की जांच करायेंगे ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राजा गजनफर अली खां)–

मान्यवर, राज्य हज समिति का गठन हज नियमावली, 1958 के अन्तर्गत किया गया है। मान्यवर, यह लांछन लगाया कि हज के लोग रास्ते में भूखे रहे पानी नहीं मिला हमें कहीं शिकायतें नहीं मिली।

मान्यवर, यह समिति परामर्शदात्री संबंधी छात्रों की संस्था होगी और यह हज समिति मुम्बई के निकट सहयोग का कार्य करेगी। मान्यवर, एक वरिष्ठ अधिकारी और एक सदस्य को वहां मकानों को देखने के लिए भेजा है। मान्यवर, 58 जिलों में प्रशिक्षण कैम्प लगाये गये प्रशिक्षण दिया गया और

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

टीकाकरण की सुविधा दी गयी । जो कुछ हमारे दायरे में था हमने सब कुछ किया । मान्यवर, जो बुनियाद साहब ने कहा हर हज यात्री को निशुल्क गाइड पिछले वर्ष दी गयी । मान्यवर, बीमा निशुल्क किया गया 70 वर्ष तक की उम्र के लोगों का 2-2 लाख रु० का । मान्यवर, हज यात्रियों के सुविधा के लिए साथ में 7 लोग भेजे । मान्यवर, जो आवेदन पत्र उपलब्ध कराये गये उसकी स्वीकृति करने के बाद उसकी सूचना हमने समय से हाजियों को दी । पंजीकरण शुल्क की बात हुई, मान्यवर, हवाई जहाज का किराया और अन्य धनराशि के साथ-साथ आवेदन-पत्र सेन्ट्रल हज कमेटी को भेजा गया हाजियों का टीकाकरण निःशुल्क किया गया, गाईड दी गयी । मान्यवर, मेरे पास भी हाजी आते हैं मुसलमान भी आते हैं मान्यवर, हाजी हमारे लिये भी पानी लेकर आये किसी ने भी शिकायत नहीं की हमें एक टेलीफोन पर शिकायत मिली हवाई जहाज के लिए पानी की, हमने टेलीफोन किया औ उसका निवारण किया गया । दिल्ली एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट तक हज यात्रियों को पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी सेन्ट्रल हज कमेटी, मुम्बई की होती है । आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं यह सिर्फ इसलिए कि मैं यहां पर मुसलमान वजीर हूं और आप देखना नहीं चाहते हैं ।

एक किराये की बात कही गयी । हज 1997, 1998, 1999 व 2000 में सभी सामान्य हज यात्रियों से हवाई जहाज का किराया रु० 12,000 केन्द्रीय हज समिति, मुम्बई द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया गया ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अगर 12,600 रुपया न लिये गये हों तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । हज हाउस के निर्माण के बारे में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हज हाउस के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की 5 एकड़ भूमि दिनांक 25-3-95 में उपलब्ध कराई गई थी जिस पर निर्माण कराये जाने हेतु नक्शा आदि दिल्ली विकास प्राधिकरण व उनकी अन्य इकाइयों में 30-7-96 में जमा किया गया जिसकी स्वीकृति के लिए महामहिम श्री राज्यपाल, उ० प्र०, माननीय मुख्य मंत्री जी, उ० प्र० व सचिव,अल्पसंख्यक कल्याण व अन्य द्वारा लिखा गया । परन्तु भूखण्ड दिल्ली महायोजना में हरित पट्टी घोषित होने के कारण नक्शा आज तक स्वीकृत नहीं किया गया । वर्ष 1996 में राष्ट्रपति शासन के दौरान रु० 4,66.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी जिसमें वर्ष 1997 में 2.67 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पी० एल० ए० में रखे जाने हेतु प्रदान की गई । हज समिति को कोई भी स्वीकृति सीधे प्रदान नहीं हुई और न ही उक्त मद में स्वीकृत किसी धनराशि का आहरण हज समिति द्वारा किया गया ।

लखनऊ में हज हाउस के बारे में कहना चाहता हूं कि लखनऊ में हज हाउस बनाये जाने का निर्णय दिनांक 17-9-97 को माननीय तत्कालीन मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं अध्यक्ष, राज्य हज समिति श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में हुई हज समिति की बैठक में लिया गया था एवं लखनऊ में हज हाउस निर्माण हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने की मांग की गई थी । परन्तु अनेकों प्रयासों के उपरान्त भी अभी तक किसी भू-खण्ड को क्रय नहीं किया गया और न ही किसी भू-खण्ड को क्रय किये जाने हेतु कोई अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया है ।

हज 1998 के यात्रियों हेतु सऊदी अरब में प्रवास के दौरान उनके खाने व नाश्ते की व्यवस्था किये जाने हेतु दिनांक 17-8-98 को हज समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त एक औपचारिक अनुबन्ध दिनांक 18-9-98 में किया गया था जिसे यात्रियों की राय जानने के उपरान्त 15-10-98 में दोनों ही पक्षों की सहमति से निरस्त कर दिया गया ।

श्री वसीम अहमद–

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मामले की जांच तो कराई जा सकती है ।

श्री हुकुम सिंह–

इसके बारे में बहुत बल दिया गया, कुछ फोटो भी दिखाये । यह सही है, हज कमेटी में विचार हुआ था, औपचारिक अनुबंध भी हुआ था । सबकी राय जानने के बाद इसे कैन्सिल कर दिया गया, अब उसकी बार-बार बात क्यों की जा रही है ? जमीन के बारे में 25 लाख का एडवांस दे दिया गया, यह बात कही गई । माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश को उन्होंने पढ़कर सुनाया । अगर 25 लाख की अदायगी की गई तो किसी फंड से दिया गया होगा, कोई तफ्सील आपके पास होगी । सदन में बयान है, कार्यवाही में आया है । आप कह रहे हैं दिया गया, और वह कह रहे हैं कि नहीं दिया गया, इसके बावजूद यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो दीजिये, आप आये सामने । जब इतने गम्भीर आरोप लगा रहे हैं । डाक्टर साहब ने अपनी बात कही, आपने भी कही और भाई फरीद ने भी कही, जब किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण होना चाहिए । दो बातें अलग-अलग आई हैं, दोनों का कार्यवाही में उल्लेख है. अगर उसकी पुष्टि के लिए आपके पास प्रमाण हैं तो नियमों में प्राविधान है, दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा, आप दे दीजिये ।

डा० वकार अहमद शाह–

सारे प्रकरण की जांच करा ली जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी, यह सरकार [× × ×] है, जिस प्रकार के कार्यकलाप हो रहे हैं, इतनी गम्भीर समस्या है कि भारत के प्रधान मंत्री ने भी इसको गम्भीरता से लिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

बदनाम होंगे वह, जो वोटों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के नाम पर ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा समाप्त हो गई ।

(विरोध पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री फरीद महफूज किदवई द्वारा अपने स्थान से कागज दिखाने पर)

किदवई साहब आप ऐसे हाउस में कागज न दिखायें, आप इस प्रकार हाउस में नहीं दिखा सकते । अगर आपको देना है तो आप हस्ताक्षर करके प्रमाणित करके भेज दें ।

"यह सदन केन्द्र सरकार से से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय" सम्बन्धी नियम–103 के अन्तर्गत श्री लाल जी वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लाल जी वर्मा के अनुरोध पर, माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार 15 मई के लिये स्थगित की जाती है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नकली दवाओं की तेजी से पनपते व्यापार उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–52 के अन्तर्गत श्री राम कुमार एडवोकेट द्वारा दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा

(सत्ता पक्ष की ओर से स्थगित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी व्यवस्था न दें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यों को जाना भी है, इसे या तो स्थगित कर दें या जारी करा दें ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216(4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री राम कुमार एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर.....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी । 15 तारीख के लिए निर्धारित ।

पोलीथीन बैग्स के कारण जन स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियों के विस्तार से आतंक फैलाने तथा जाली नोटों का प्रचलन होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

प्रदेश में मध्यांचल निधि की स्थापना हेतु नियम 52 के अन्तर्गत डा० कौशल किशोर आदि द्वारा दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 14, 16 मई, 2000 के लिए स्थगित ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी के अस्वस्थ होने के कारण उनके अनुरोध पर मद सं०–15, 16 एवं 17 को दिनांक 15 तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नांकित विषयों पर उनके सम्मुख अंकित सदस्यों की 17 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :––

(1) श्री सीताराम निषाद — जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया बीकापुर को नगरीय क्षेत्र की भांति विद्युत आपूर्ति की सुविधा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति ,

(2) श्री जगदीश नारायण राय — जनपद जौनपुर के जफराबाद देवकली मार्ग पर बेलावघाट गोमती नदी पर पीपे के पुल के निर्माण,

(3) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — स्वर्णकारी, कैंची व खद्दर उद्योग हेतु भारत सरकार की सी० आई० बी० योजना के अन्तर्गत आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि करने,

(4) श्री श्रीराम पाल — जनपद जालौन में पंचायत राज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा परिवार रजिस्टर में हेरा फेरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति,

(5) श्री राम चन्द्र यादव — जनपद फैजाबाद अन्तर्गत शहीद ग्राम विसनोहरपुर (डेरियावां) की उपेक्षा कर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् फैजाबाद द्वारा आदर्श ग्राम मण्डी के रूप में न चयनित करने से उत्पन्न स्थिति,

(6) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में स्वीकृत जिला अस्पताल के निर्माण,

(7) श्री राम औतार शाक्य — माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के निर्णयानुसार हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किये जाने तथा अन्य निर्देशों का पालन करने,

(8) श्री बाबू खां — जनपद हरदोई के शाहबाद क्षेत्रान्तर्गत हुई भीषण ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति,

(9) श्री दुर्गा प्रसाद यादव — जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तहवरपुर में ग्रामसभा मन्धारी के पास विद्युत सब स्टेशन के निर्माण,

(10) श्री संजय गर्ग — उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अनुरूप 'उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग' का गठन न होने से उत्पन्न स्थिति,

(11) डा० धर्मज्ञ मिश्र — जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत की स्थापना,

(12) डा० छोटे लाल वर्मा — जनपद महोबा के चरखारी क्षेत्रान्तर्गत राठ-चरखारी मार्ग पर बरना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(13) डा० पूर्णमासी पंकज — प्रदेश में प्रशिक्षित बी० एड० बेरोजगारों को सेवायोजित न करने से उत्पन्न स्थिति,

(14) डा० अशोक बाजपेयी — समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनिल सिंह के साथ जिलाधिकारी बस्ती द्वारा किये गये दुर्व्यवहार,

(15) श्री वसीम अहमद — जिला कारागार, आजमगढ़ में व्याप्त अराजकता व भ्रष्टाचार,

(16) श्री अजय कुमार पोइया– जनपद मथुरा में व्यापार कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार तथा

(17) श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल — जनपद गोरखपुर में सोनबरसा–मोलनापुर–मैन्सिर मार्ग का बरसात से पूर्व पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :—

1–श्री भारत सिंह रावत, 2–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, 3–श्री सतीश जतारिया, 4–श्री सौलत अली एडवोकेट, 5–श्री तेज भान सिंह, 6–श्री राम नरेश यादव, 7–श्री हरपाल सिंह, 8–श्री रघुवर दयाल वर्मा, 9–श्री रूप चौधरी, 10–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, 11–श्री बनारसी दास वांदना, 12–श्री प्रदीप कुमार, 13–श्री नरेन्द्र सिंह तथा 14–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ।

अब हम उठते हैं दिनांक 15-5-2000 को पूर्वाह्न 10.00 बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 30 मिनट पर सोमवार 15 मई, 2000 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक 13 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 314 विधान सभा (728)-2001-813 (डी०टी०पी०) ।